राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का 24वां दिवस [संख्या 11

मंगलवार

दिनांक 30-5-67

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई :

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(खाद्य, राजस्व, अकाल सहायता, पशुपालन, राजकीय उद्योग, सहकारिता कोलोनाइजेशन, पंचायत, सामुदायिक विकास, वित्त विभाग)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न । श्री नत्थीसिंह ।

भरतपुर शहर में चीनी का कोटा

97. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर शहर में चीनी के होलसेल का व्यापार दो दुकानदारों तक ही सीमित है ? यदि हां, तो उनके नाम व पूरे पते क्या हैं और किस किस तहसील का होलसेल का कोटा उनके पास आता है ?

(2) क्या यह सही है कि पहले भरतपुर किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति के पास भी होलसेल का कोटा था ? यदि हां, तो उससे वह कोटा कब छीना गया और उसे किन व्यापारियों को दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि भरतपुर के कुछ अन्य व्यापारियों ने भी उपरोक्त होलसेल का कोटा लेने को आवेदन-पत्र दिये थे ? यदि हां, तो किन किन ने और उनकी कौन कौन सी शर्तें उपरोक्त व्यापारियों से ज्यादा अच्छी थी ?

(4) क्या यह सही है कि भरतपुर किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति से चीनी का होलसेल का कोटा छीन कर भी उपरोक्त दो व्यापारियों को ही दे दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी नहीं, भरतपुर शहर में चीनी को सम्बन्धित मिलों से मंगाने हेतु 3 होलसेलर्स नियुक्त किये गये हैं:-

(1) भरतपुर ट्रेडर्स कं, भरतपुर ।

(2) मे० गेंदालाल कपूरचन्द, भरतपुर ।

(3) भरतपुर होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि., भरतपुर ।

उपरोक्त 3 व्यापारियों के पास भरतपुर शहर के चीनी के कोटे के काम के अलावा भरतपुर तहसील का कार्य भी दिया गया था। भरतपुर जिले की अन्य तहसीलों हेतु अलग होलसेलर्स नियुक्त किये जा चुके हैं।

(2) जी हां। भरतपुर किसान क्रय-विक्रय सहकारी समिति, भरतपुर का

Page No. 2

(श्री परसराम मदेरणा)

11-5-66 को चीनी के होलसेलर का लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया था । इस समिति से यह कार्य हटा कर मैं० भरतपुर ट्रेडर्स, भरतपुर व मैं० गेंदालाल कपूरचन्द, भरतपुर वालों को फरवरी, 1967 तक दिया जाता रहा था । मार्च, 1967 से इस समिति का कार्य उपरोक्त दो फर्म तथा भरतपुर होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार को भी दे दिया गया है ।

(3) जी नहीं । केवल भरतपुर होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार ने जिलाधीश द्वारा निर्धारित शर्तों पर कार्य करना मंजूर करते हुए आवेदन-पत्र दिया था जिस पर इस संस्था को भी होलसेलर नियुक्त किया गया ।

(4) जी हां । इस समिति का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की वजह से 11-5-66 को यह कार्य हटा दिया गया और अब इस समिति का कार्य भरतपुर में नियुक्त 3 होलसेलर्स के द्वारा कराया जा रहा है जैसा कि प्रश्न 2 के उत्तर में बताया गया है ।

श्री नत्थीसिंह : सहकारी उपभोक्ता भण्डार को कब कोटा दिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : मार्च, 67 से ।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि सहकारी उपभोक्ता भण्डार को केवल मई के महीने का ही कोटा दिया गया है और प्रश्न पूछने के बाद दिया गया है ? अगर मार्च में दिया गया तो कितना कोटा दिया गया, अप्रेल में कितने वेगन दिये गये ?

श्री परसराम मदेरणा : भरतपुर होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार को मार्च में 1 टन····

श्री नत्थीसिंह : भरतपुर होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार और कर्मचारी उपभोक्ता भण्डार को अलग अलग डिस्टिंग्विश करके चलिये ।

श्री परसराम मदेरणा : मार्च-अप्रेल 2 टन, अप्रेल-मई 2 टन और मई, जून में 5 टन ।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि गेन्दीलाल कपूरचन्द ट्रेडर्स बताये उनके खिलाफ ब्लेक करने की कार्यवाही चल रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि इन दोनों फर्म्स को यह कोटा दिया गया है, इन्हीं पर लगातार पिछले तीन साल से कोटा चलता आ रहा है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने प्रश्न के उत्तर में पहले ही बता दिया है ।

श्री नत्थीसिंह : आपने कहा कि इस समिति से यह कार्य हटा कर इन दो फर्म्स को कोटा दिया गया, भरतपुर होलसैल सहकारी उपभोक्ता भण्डार को भी इनके साथ साथ कोटा दिया गया । मेरा प्रश्न यह है कि इन व्यापारियों को कोटा दिया गया, इससे पहले क्रय-विक्रय समिति से कोटा लिया गया था तो क्या उस समय कई नये व्यापारियों ने भी दरख्वास्तें दी थी कि हमें यह कोटा दिया जाय । पर उनमें से किसी को नहीं दिया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने उत्तर में कहा कि सहकारी उपभोक्ता भण्डार को भी कोटा दिया गया।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति का लाइसेंस निलम्बित किया गया ? उस समय सहकारी उपभोक्ता भण्डार का गठन भी नहीं हुआ था ?

श्री परसराम मदेरणा : मार्च, 67 से पहले कोटा दे दिया गया।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति की स्टे और अपील पिछले साल भर से फूड कमिश्नर के यहां विचाराधीन है ?

श्री परसराम मदेरणा : किसान क्रय-विक्रय सहकारी समिति ने मार्केटिंग सोसायटीज एक्ट के क्लाज 3 को वायोलेट किया, शूगर कन्ट्रोल ऑर्डर का वायोलेशन किया इसलिये कलेक्टर ने उसका लाइसेंस फोरफिट कर दिया। कलेक्टर के इस आदेश के खिलाफ फूड कमिश्नर के पास अपील की, जो जेर तजबीज है।

श्री नत्थीसिंह : स्टे की दर्ख्वास्त थी अपील कब से पेंडिंग है ?

श्री परसराम मदेरणा : स्टे के दर्ख्वास्त पर स्टे देना या नहीं देना यह जुडिशियल मामला है, जुडिशियल मामले में मैं राय नहीं दे सकता।

श्री नत्थीसिंह : मैं यह पूछ रहा हूं कि कितने दिन से पेंडिंग है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह तारीख तो अभी मेरे पास नहीं है लेकिन काफी अर्से से पेंडिंग है। इसका मतलब यह है कि फूड कमिश्नर को सम्बन्धित फाइल, मार्केटिंग सोसायटी के लाइसेंस को सस्पेन्ड करने की थी वह रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा भेजी थी वह मिसप्लेस हो गई। जांच विभाग इस मामले में जांच कर रहा है, इसलिये देरी हुई है।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि यह फाइल खोई कहीं गई है, जिसके कारण स्टे की अपील का फैसला नहीं हो रहा है, तो क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि फाइल खोई गई, यह तो मैं आगे बताऊंगा, यह एक कहानी है, पर फाइल खो दी जाय और एक साल तक फाइल पेंडिंग पड़ी रहे जाय, यह उसका तो कसूर नहीं, तो क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि अपील का फैसला जल्दी से जल्दी किया जायगा ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, फाइल हमारी गलती से नहीं खोई गई, पोस्ट आफिस और वहां के अधिकारियों से मिस्प्लेस हुई, एक इन्सपेक्टर को इसी काम के लिये तैनात किया गया है। रहा सवाल विक डिस्पोजल का तो जब फाइल ही नहीं है तो उन इस्यूज के बारे में कैसे फैसला दिया जा सकता है।

श्री नत्थीसिंह : स्टे का तो फैसला कर सकते हैं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : नीति संबन्धी प्रश्न है। कोटे का वितरण सहकारी समितियों के द्वारा प्रिफर करेंगे या व्यापारियों के द्वारा ?

श्री परसराम मदेरणा : भरतपुर जिले में · · ·

श्री शंकरलाल (जैतारण) : यह तो जनरल क्वेश्चन पूछा है।

श्री परसराम मदेरणा : पोलिसी ही की तो बात कर रहा हूँ।

मैं यह कह रहा था कि भरतपुर जिले में कुल मिलाकर 17 होलसेलर्स हैं, उनमें से 12 कोआपरेटिव सोसायटीज हैं। राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है कि प्राइवेट होलसेलर्स को धीरे-धीरे इसमें से हटाया जाय ताकि वे डिस्लोकेट नहीं हों।

श्री नत्थीसिंह : भरतपुर ट्रेडर्स के नाम यह चीनी का कोटा कब ट्रांसफर किया गया, इसके पहले यह कोटा किस फर्म के पास था?

श्री परसराम मदेरणा : भरतपुर ट्रेडर्स कम्पनी को कोटा पहले कब दिया गया यह मुझे मालूम नहीं है पर जिस वक्त वह मार्केटिंग सोसायटी का लाइसेंस सस्पेन्ड किया गया है उसके बाद से बराबर दिया जा रहा है।

श्री नत्थीसिंह : दूसरे व्यापारियों ने दरख्वास्त दी है ...

श्री अध्यक्ष : 10 मिनिट ले लिये हैं आपने इसी एक प्रश्न पर।

श्री नत्थीसिंह : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी व्यापारी ने दरख्वास्त नहीं दी? वे रसद विभाग की गतिविधियों के सम्बन्ध में मालूम करें। वह अभी बनी है, इसके पहले दूसरे के पार्टनरशिप में थी, उससे पहले कोटा लिया तब भी किसी व्यापारी को नहीं पूछा और धीरे से उस ही को ट्रांसफर कर दिया। आप मालूम करायें इस सब को।

श्री रामकिशन (वैर) : मैंने कई मामले चीनी के पूछ रखे हैं, इनकी सफाई हो जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीसिंह।

कोटा नगर में भूदान में दी हुई भूमि

98. श्री केसरीसिंह (हिन्डोली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा नगर में क्या महाराज साहब कोटा ने 15 साल पहले भूदान में भूमि दी थी जो नगर के आस पास के क्षेत्र में है?

(2) यह भूमि भूमिहीनों को अब तक क्यों नहीं वितरित की गई?

(3) क्या यह सही है कि इस भूमि पर सेवा संस्थाओं ने अपना अधिकार कर लिया है?

(4) क्या यह सही है कि यह जमीन मंडी कमेटी क्षेत्र में है?

उप राजस्व मन्त्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) कोटा महाराव द्वारा सन् 1954 में 24 बीघा 8 बिस्वा, सन् 1957 में 9 बीघा 9 बिस्वा तथा सन् 1958 में 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि भूदान में दी गई थी।

(2) उक्त भूमि में से 9 बीघा 9 बिस्वा भूमि सन् 1957 में तथा 16 बीघा सन् 1958 में भूमिहीनों को वितरित करदी गई थी। 4 बीघा 9 बिस्वा भूमि सन् 1959 में और 8 बीघा 8 बिस्वा भूमि सन् 1961 में भूदान बोर्ड द्वारा सर्वोदय स्वावलंबन केन्द्र कोटा को दी गई है।

(3) 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर सर्वोदय स्वावलंबन केन्द्र का भूदान बोर्ड द्वारा दिये गये पट्टे के अनुसार अधिकार है।

(4) जी नहीं।

श्री केसरीसिंह : क्या सरकार भूमिहीनों की लिस्ट दे सकती है ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : यह अलग सवाल है।

श्री केसरीसिंह : यह अलग क्यों है ? इसके साथ ही है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसे उत्तर दिया गया है, यह भूमि भूमिहीनों को ही दी गई है अगर नाम पूछते तो बता देते।

श्री केसरीसिंह : नामों के लिए ही तो यह प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्ष : नाम तो नहीं हैं।

श्री केसरीसिंह : नामों की लिस्ट साथ में होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं है।

श्री केसरीसिंह : नाम जरूरी हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं आपको नाम भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष : That is alright. श्री भगवानदास शास्त्री।

अजमेर नगर में राशनिंग

99. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार अजमेर नगर के लिए उपभोक्ता भंडार को समाप्त कर नियमित रूप से स्थायी राशनिंग प्रारंभ करने का आदेश करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

(2) क्या सरकार उपभोक्ता भंडार का कार्यभार शासक दल के श्री विशेश्वरनाथ भार्गव, एम. पी. के स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को सौंपने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) अजमेर नगर में स्थित सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार को समाप्त करने का कोई विचार नहीं है।

(2) जी नहीं।

श्री भगवानदास शास्त्री : सेन्टर से कुछ पोलिसी मैटर्स के विचार आए थे कि एक लाख से ज्यादा जहां आबादी है, उन शहरों में स्थाई राशनिंग शुरू कर दी जाय। ये आदेश कब आए और उनका पालन क्यों नहीं किया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : स्टेचूटरी राशनिंग तभी संभव हो सकता है जब खाद्यान्न, जो राशनिंग सेन्टर्स से वितरित किया जाय, उनकी सप्लाई एस्योर्ड हो। खाद्यान्न की कमी को देखते हुए यह संभव नहीं है। इसलिए एक ही नगर में स्टेचूटरी राशनिंग लागू की जाय, ऐसा नहीं हो सकता।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या आप बता सकते हैं कि श्री विशेश्वरनाथ भार्गव, जो एम. पी. हैं, उनको आप जिला प्रमुख बना चुके हैं, उनको आपने सभी काम दे रखे हैं, कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का काम भी उनको दे रखा है, तो वह कितने काम संभालेंगे ? वह तो दिल्ली में रहते हैं, जनता से कैसे मिल सकते हैं ? एक विशेष व्यक्ति जो राजनैतिक क्षेत्र में एम. पी. बने हैं, वह उपभोक्ता भंडार पर

Page No. 6

(श्री भगवानदास शास्त्री)
होते हुए भी अजमेर नगर की कौनसी सेवा कर सकता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल ।

पाली जिले के गांवों को राहत

100. श्री शंकरलाल (जैतारन)---क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(1) पाली जिले में वर्षा के कारण फसलों को किन-किन गांवों में कितना नुकसान हुआ ?

(2) सरकार द्वारा उन गांवों में राहत पहुंचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई और क्या राहत संभव है ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) पाली जिले में असामयिक वर्षा से रबी की फसल को लगभग सभी गांवों में कुछ नुकसान हुआ है, तहसील बाली के निम्न-लिखित 10 गांवों में 8 आने से अधिक हानि हुई है --

(1) घाणा (2) पिचावा (3) बड़गांवड़ा (4) अनोपपुरा (5) वाणोद (6) बोदा (7) बिठुड़ा (8) माचुण्डा (9) पेरवा (10) बेड़ल ।

(2) उपरोक्त गांवों को अकालग्रस्त घोषित कर लगान स्थगित करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

श्री शंकरलाल : आपने पाली जिले में केवल बाली तहसील ही बताई है ।

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया कि आठ आने से ज्यादा नुकसान बाली तहसील में हुआ है, बाकी में कुछ-नुकसान हुआ है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : पाली जिले में कौनसे गांव हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : आठ आने से अधिक कोई नुकसान नहीं हुआ है कुछ नुकसान अवश्य हुआ है ।

श्री शंकरलाल : पाली जिले की दूसरी तहसीलों में भी नुकसान हुआ है जेतारन, रायपुर, पाली इत्यादि और आप कहते हैं कि नुकसान नहीं हुआ है । क्या जांच करवायेंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : अब तक की रिपोर्ट तो यही है ।

श्री शंकरलाल : इसकी जांच कराइए, ज्यादा नुकसान हुआ है ।

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : अगर दो चार नाम आप बता तो दें तो मैं उस संबंध में जांच करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल ।

गोल्डन डेरी, कोटा को चीनी का परमिट

101. श्री कृष्ण कुमार गोयल :—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर में स्थित गोल्डन डेरी को प्रति माह शुगर के परमिट दिए जा रहे हैं ? अगर हां, तो कब से ?

(2) उक्त डेरी को कब से किस मात्रा में अब तक शुगर का परमिट दिया गया ? तालिका देने का कष्ट करें ।

(3) शुगर की आवश्यकता तथा उसके उपयोग की तस्दीक किस अधिकारी द्वारा कब तक की गई व किस आधार पर ?

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

(4) क्या यह सही है कि उक्त फैक्ट्री बंद पड़ी है ? अगर हां, तो कब से ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां। इस डेयरी को मई 1964 से शक्कर का कोटा दिया जाता रहा है।

(2) इस डेयरी को वर्ष 1964-65 में 515 बोरी, 1965-66 में 209 बोरी व 66-67 में 810 बोरी चीनी दी गई है।

(3) इस डेयरी की आवश्यकता की जांच संचालक उद्योग विभाग ने की थी और उसी आधार पर इसे चीनी दी जाती रही है। चीनी के उपयोग के संबंध में जांच जिला रसद अधिकारी के द्वारा 9-7-64 को व 7-5-67 को की गई थी। जांच इस डेयरी द्वारा तैयार किये जाने वाले कन्डेन्सड मिल्क प्रोडक्शन रजिस्टर व शक्कर के स्टाक रजिस्टर में वर्णित उल्लेखों के आधार पर की गई।

(4) जी नहीं : इस समय फैक्ट्री बंद नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इस फैक्ट्री को शक्कर देने का जो कोटा तय किया गया था वह किस अधिकारी के द्वारा व किस आधार पर तय हुआ था ?

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार की डाइरेक्शन पर व उद्योग संचालक की सिफारिश पर किया गया था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आधार क्या था ? जो शक्कर दी गई कोटा की सन् 1964 से लगातार अब तक, उसका आधार क्या था ?

श्री परसराम मदेरणा : कन्डेन्सड मिल्क बनाने के लिये शक्कर की परसेन्टेज की जो आवश्यकता पड़ती है उसी को ही आधार माना है और उस को आधार मानते हुए 300 बोरी शक्कर का कोटा दिये जाने के आदेश जारी किए गए थे लेकिन जैसे मैंने निवेदन किया, हमने 1964-65 में 515 बोरी, 1965-66 में 200, बोरी व 1966-67 में 810 बोरी चीनी दी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार के पास आज भी सूचना है कि यह फैक्ट्री कन्डेन्सड मिल्क तैयार कर रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसका उत्तर भाग तीन में दे चुका हूँ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैंने अपने सवाल के अंत में पूछा कि क्या यह सही है कि उक्त फैक्ट्री बंद पड़ी है, तो आपने कहा जी नहीं। क्या सरकार के पास आज भी सूचना है कि यह फैक्ट्री जिसको शक्कर दी जा रही है, कन्डेन्सड मिल्क तैयार कर रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बिल्कुल गलत है। क्या यह सही है कि इस प्रश्न के पूछने के बाद जिलाधीश कोटा ने उक्त फैक्ट्री को शक्कर देना बंद कर दिया है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय यह दूसरा प्रश्न है। भारत सरकार ने उन यूनिट्स या इन्डिस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के लिए जिनको शक्कर की आवश्यकता है, हमारा कोटा रिड्यूश करते करते 7,000 किया और 7,000 टन से लेकर भारत सरकार राजस्थान में कन्ज्यूमर्स के लिए

Page No. 8

(श्री परसराम मदेरणा)

मासिक कोटा 5,849 टन देती है । उसके अनुपात में चीनी हम सभी यूनिट्स को देते हैं । यह डिस्क्रिशन जिलाधीशों को दी गई है । हमारे पास जो सूचना है वह यह है कि 1966-67 में इस डेयरी ने 1883 क्विंटल कन्डेन्स्ड मिल्क का उत्पादन किया है मगर माननीय सदस्य कहते हैं कि शक्कर का सही उपयोग नहीं हुआ है तो मैं इसकी जांच करवा सकता हूं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं तो केवल यही पूछना चाहता हूं कि क्या यह फैक्ट्री आज भी कन्डेन्स्ड मिल्क तैयार कर रही है ? क्या यह सही है कि जिलाधीश कोटा ने इस फैक्ट्री को अब शक्कर देना बंद कर दिया है या अब तक दी जा रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : जानकारी मैं आफ-हैंड तो नहीं दे सकता ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस प्रश्न पर आप गम्भीरता से विचार करें । इस पर जांच करवाइए । इस फैक्ट्री ने कोई कन्डेन्स्ड मिल्क तैयार नहीं किया है । कौनसी मार्केट में वह मिल्क जाकर बिका है ? कितना मिल्क आज तक तैयार हुआ है ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रतिवर्ष कितना मिल्क इस डेयरी ने तैयार किया है, वह फिगर्स मेरे पास नहीं हैं । मैंने कहा है, जांच करवा लूंगा कि आया वह डेयरी मिल्क का उत्पादन करती है या नहीं । यह भी जांच की जायगी कि डेयरी मिल्क तैयार नहीं करती इसलिए जिलाधीश ने कोटा रद्द किया है या शक्कर की कमी के कारण ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

सांगोद व रामगंज मंडी तहसील में फसल का नुकसान

102. श्री जुझारसिंह : (रामगंज मंडी) क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) सांगोद व रामगंज मन्डी तहसील के किन किन गांवों में खरीफ 1966-67 कितना कितना फसल का नुकसान आंका गया है ?

(2) नुकसान फसल की जांच कब की गई थी और अब तक कितने गांवों में राहत कार्य शुरू कर दिये गये हैं ? कृपया कार्य व खर्चे की तफसील सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि जिन गांवों में बहुत बड़ी प्रतिशतता में नुकसान फसल बताया गया है उनमें भी खरीफ की फसल पर लगान वसूल किया गया है और लोगों को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है ?

(4) क्या यह सही है कि स्थानीय एम. एल. ए. व दूसरे प्रतिनिधियों द्वारा इन तहसीलों की अकाल स्थिति पर कलेक्टर, कोटा, कमिश्नर, फूड व फेमिन रिलीफ व मुख्य मंत्री को भी बार बार पत्र लिखे गये थे व यहां की स्थिति से अवगत कराया जाता रहा था । इसके बावजूद भी अब तक राहत कार्य शुरू नहीं किये जा सकने के क्या कारण हैं ?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) नुकसान फसल की जांच वक्त गिरदावरी माह अक्टूबर में की गई थी । तहसील रामगंज मन्डी में सहायता कार्य

Page No. 9

(उप-मन्त्री राजस्व, श्री गंगाराम चौधरी) स्वीकृत किये जा रहे हैं। तहसील सांगोद की प्रभाव-स्थिति का प्रश्न विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। प्रभावग्रस्त घोषित गांवों में लगान वसूल नहीं किया गया है। जिन लोगों ने स्वेच्छा से दिया है, उन्हीं का जमा किया गया है। वसूल 30-9-67 तक स्थगित की जा चुकी है।

(4) तहसील रामगंज मण्डी में घोषित ग्राम छितरे हुए होने के कारण वहां सहायता-कार्य नहीं प्रारम्भ करके योजना कार्यों पर ही लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। सांगोद में प्रभाव-स्थिति की घोषणा के बाद काम खोले जाना सम्भव होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुझारसिंह : 228 गांव अकेली सांगोद तहसील में प्रभावग्रस्त हैं। अक्टूबर में इसकी रिपोर्ट आपके पास आ गई है। इस तहसील में अब तक काम नहीं कराने के क्या कारण हैं?

श्री गंगाराम चौधरी : 29 अप्रेल को रिपोर्ट आयी है।

श्री जुझारसिंह : 29 जनवरी को ही आ गयी है।

श्री गंगाराम चौधरी : 29 अप्रेल को।

श्री जुझारसिंह : 29 जनवरी को ही आ गयी है। 250 गांवों में से 228 गांवों में अकाल की परिस्थिति बतायी है। 12 करोड़ रुपया आपने अकाल में लगा दिये और जहां पर 3/4 अकाल है वहां पर काम चालू करने के लिये विचाराधीन होना इसका क्या कारण है?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : इस सम्बन्ध में दो लाख रुपया एडहाक बेसिस पर कलेक्टर, कोटा को दे दिया गया है और यह उनके अधिकार में है कि वे काम करायें। रामगंज मंडी में दस हजार रुपयों का काम कराया। माननीय सदस्य कोटा कलेक्टर से मिल कर काम कराते तो अच्छा होता।

श्री जुझारसिंह : यह सब मेरे प्रश्न में निहित है कि मैं अक्टूबर से ही कलेक्टर को, फूड कमिश्नर को और मंत्री महोदय को और सम्बन्धित अधिकारियों को बराबर पत्र लिखता रहा हूं। मैंने प्रश्न में यह पूछा है इसका तो कोई जवाब ही नहीं दिया और फिर कहते हैं कि कलेक्टर कोटा से जाकर मिलिये फिर कुछ होगा। छः महीने से जब प्रभावग्रस्त हैं तो राज्य सरकार ने वहां पर क्यों नहीं काम चालू कराये?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरी कोटा कलेक्टर से बात हुई। फैमिन वेजेज 1 रु० 2 आना पर लोग काम करने के लिये आते नहीं।

श्री जुझारसिंह : आपने कोशिश की?

(विराम)

दूसरा प्रश्न यह है कि लगान स्थगित कर दिया गया लेकिन आप कहते हैं कि पब्लिक ने स्वेच्छा से लगान दे दिया। पब्लिक जब प्रभावग्रस्त है और लगान माफ कर दिया तो फिर किस प्रकार स्वेच्छा से देगी। असेम्बली में आप इस प्रकार के झूठे उत्तर दें यह कहां तक वाजिब है? किसी ने

(श्री जुझारसिंह)
स्वेच्छा से लगान नहीं दिया। किन्तु जबरदस्ती उनसे लगान लिया गया। जबरदस्ती उनसे लगान लेकर कोटा की उपेक्षा की गई। अब सब कुछ हो गया लेकिन वहां पर काम कब शुरू करावेंगे?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक लगान का प्रश्न है, कलेक्टर से सूचना प्राप्त हुई है फिर भी आप इसको चैलेन्ज करते हैं उसकी इन्क्वायरी कराली जावेगी। काम कराने का जहां तक सवाल है, स्टडी टीम गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया से आयी उसके अनुसार बिखरे हुए काम हैं योजनानुसार कामों पर रुपया लगाया गया। वैसे कलेक्टर टैस्ट वर्क शुरू करा सकते हैं।

श्री जुझारसिंह : क्या क्राइटेरिया और नियम है? जिस गांव में 12 आना नुकसान हुआ है और पूरा का पूरा नुकसान है तो वहां आम तौर पर क्या कार्यवाही करते हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 12 आना से अधिक नुकसान हो तो अकालग्रस्त घोषित करते हैं और काम पर लोग आने के लिये तैयार होते हैं तो उनको काम पर लगाया जाता है।

श्री जुझारसिंह : इसमें लिस्ट दी है उसमें 10-12 परसेन्ट गांव ऐसे हैं जिनमें सेन्ट परसेन्ट अकाल घोषित किया है और 40 परसेन्ट ऐसे गांव हैं जिनमें 12 आना से अधिक अकाल घोषित किया है और उसके बावजूद आपका विचार यह है कि यह प्रश्न विचाराधीन है। नियम यह है कि 12 आना अकाल होने पर उसको अकालग्रस्त घोषित कर देना चाहिये था। लिस्ट में दिये होने पर उनको अकालग्रस्त घोषित नहीं करने के क्या कारण हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : प्रस्ताव 226 गावों से आये जिनमें से 125 गांव ऐसे दिये गये हैं जिनमें अकाल घोषित होना चाहिये। अकाल घोषित करने के लिये पहले फाइनेन्स की मंजूरी लेनी होती है। इस बीच में कलेक्टर साहब टेस्ट वर्क शुरू कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह!

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। कहा गया कि कलेक्टर चाहे तो काम शुरू करा सकते है। जनता चाहे तो क्या करे?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर प्रश्न है। कलेक्टर ने काम शुरू नहीं किया। राज्य सरकार कहती है..

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामसिंह!

परबतसर पशु मेले का प्रबन्ध

103. **श्री रामसिंह कुडी** (जायल) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या परबतसर का पशु मेला इस बार नई जगह भरेगा?

(2) यदि हां, तो क्या उसके लिये वांछित भूमि एक्वायर कर ली गई है?

(3) यदि नहीं, तो क्या पुरानी जगह पर सरकार रोशनी, सड़क आदि की व्यवस्थायें करने का विचार रखती है?

(श्री रामसिंह)

(4) परबतसर के पशु मेले के तेजाजी के मंदिर के पुजापे की रकम किस कार्य के लिये खर्च की जाती है ?

(5) क्या सभी मन्दिरों के पुजापे की रकमें इसी प्रकार खर्च की जाती हैं ?

(6) क्या इस मंदिर के पुजापे की रकम मन्दिर के लिये व मन्दिर की सरायें व दुकानें बनाने में खर्च करने में सरकार को कोई ऐतराज है ?

मंत्री, पशुपालन विभाग (श्री परसराम मदेरणा) : (1) दोनों जगह मेला भरेगा ।

(2) उसके लिये कार्यवाही जारी है।

(3) दोनों जगह प्रबन्ध होगा ।

(4) तेजाजी के मन्दिर के मेले की आय राज्य सरकार में उसी प्रकार जमा करवा दी जाती है जैसे कि दूसरी मेले की आय । आय में से कोई व्यय नहीं किया जाता ।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रामसिंह कुडी : दूसरी जगह कितनी जगह एक्वायर कर रहे हैं आप ?

श्री परसराम मदेरणा : 2315 बीघा जमीन एक्वायर करना चाहते हैं ।

श्री रामसिंह कुडी : पहले से कितनी जगह इसके लिये है ।

श्री परसराम मदेरणा : पुरानी जगह मेला भरता था वह जमीन 1576 बीघा है ।

श्री रामसिंह कुडी : पुरानी जगह तो 15 हजार बीघा जमीन है ।

श्री परसराम मदेरणा : 1576 बीघा । जोधपुर की राज्य सरकार ने यह जमीन दी थी । बाकी किसान के खेत आये हुए हैं । उसके लिये वे खड़े हो सकते हैं । जहां यह मेला भरता है वह जमीन नीची जगह पर है इसलिये वहां पशुपालक और पशुओं को बरसात में तकलीफ होती है । मवेशियों को इन्फेक्शस डिसीज से बचा सकें और पशुपालकों को भी तकलीफ न हो इसलिये ऊंचाई की जगह पर मेला भराया जाय यह सोचा गया है ।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन):—इस मेले से कितनी आय होती है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसका उत्तर मैं आपके अगले प्रश्न के उत्तर में दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक !

ग्राम पंचायतों को काश्त हेतु निःशुल्क भूमि का आवंटन ।

104. **श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों को 15 बीघा निःशुल्क काश्त की भूमि देने की घोषणा की हुई है ? यदि हां, तो क्या नागौर जिले की सभी ग्राम पंचायतों को यह भूमि अलाट कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): ग्राम पंचायतों को राजस्थान भू-राजस्व

Page No. 12

(श्री गंगाराम चौधरी)

(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1957 के अन्तर्गत भूमि एलॉट की जाती है।

नागौर जिले में कुल 361 पंचायतें हैं जिनमें से 129 को भूमि एलॉट की जा चुकी है। शेष पंचायतों को भूमि इसलिए एलॉट नहीं हो सकी है कि कई पंचायतों ने भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र नहीं दिये हैं अथवा काबिल काश्त भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल!

श्री गिरधारीलाल : इसमें एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अब नेक्स्ट ले लिया है।

पशुपालन विभाग की ओर से लगाये जाने वाले मेले

105. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन मु०):– क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पशुपालन विभाग की ओर से कितने मेले कहां कहां पर लगवाये जाते हैं?

(2) इन मेलों से विभाग को 1966 व 1967 में कितनी-कितनी आय हुई व किस किस मद में कितना-कितना खर्चा हुआ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें:—

मंत्री, पशुपालन विभाग (श्री परसराम मदेरणा) : (1) विभाग की ओर से 12 पशु मेले आयोजित किये जाते है।

(1) तिलवाड़ा
(2) मेड़ता सिटी
(3) परबतसर
(4) गोगामेड़ी
(5) निम्बाहेड़ा
(6) झालरा पाटन (गोमती सागर का मेला)
(7) नागौर
(8) झालरापाटन (चन्द्र भागा मेला)
(9) भरतपुर
(10) करौली
(11) पुष्कर
(12) बहरोड

(2) मेलों से विभाग को 1966-67 में लगभग 12,01,034) रुपये की आय हुई व करीब 2,98,745) रु. का व्यय हुआ। आय एवं व्यय का विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट देखिये)

श्री श्रवणलाल : यह जो आपने 12 मेले बताये हैं तो प्रत्येक मेले पर कितना-कितना खर्चा हुआ अलग-अलग डिटेल्स में बता सकते हैं?

श्री परसराम मदेरणा : अलग-अलग मेरे पर कितना खर्चा हुआ यह नहीं बता सकता। कुल मिला कर 12 मेलों पर 2,98 745 रु. व्यय हुआ वह सब अलग अलग मदों पर खर्चा हुआ है। जैसा माननीय सदस्य पहले पूछ रहे थे कि तेजाजी के मेले में राज्य सरकार को कितनी आय होती है। 12 मेले में से सबसे ज्यादा आय 3,74,774 रुपये तेजाजी के मेले से मिली है।

श्री श्रवणलाल : पशु मेले निम्बाहेड़ा से सरकार को कितनी आय हुई?

श्री परसराम मदेरणा : निम्बाहेड़ा मेले से 76) रु. की ग्राय सरकार को हुई ।

श्री श्रवणलाल : ग्राय कितनी हुई ग्रौर उसके मुकाबले में कितना खर्चा हुग्रा यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री परसराम मदेरणा : खर्च के ग्रांकड़े मेरे पास नहीं हैं जिससे मैं यह बता सकूं कि एक एक मेले पर कितनी ग्राय हुई ग्रौर कितना व्यय हुग्रा ? कुल खर्चा कितना हुग्रा यह मैंने बता दिया है ।

श्री श्रवणलाल : जितने मेले राजस्थान में लगते हैं उनमें जिस प्रकार से मन्त्री महोदय ग्राय बतायी तो ग्रलग-ग्रलग ग्राय ग्रौर व्यय के ग्रलग-ग्रलग मेलेवार ब्यौरा बताने तो मालूम होता कि कितना खर्चा हुग्रा ग्रौर उस मेले से कितनी ग्राय हुई । ग्रापने कुल ग्राय ग्रौर व्यय तो बता दिया लेकिन उससे पता नहीं लगता है कि किस मेले पर कितना खर्चा हुग्रा । रोशनी ग्रौर पानी पर कितना खर्चा हुग्रा ।

श्री श्रवणलाल : फर्राशखाना, पेट्रोल ग्रादि पर 35 हजार खर्च कर दिये ग्रौर सफाई पर 11,200 रुपया खर्च कर दिया । ग्रब, ग्रध्यक्ष महोदय, इसकी डिटेल मिले कि इस मेले पर कितना खर्चा किया गया, कितनी ग्राय थी, जब तक ग्रलग-ग्रलग नहीं बताते तो कैसे मालूम होगा कि किस मेले पर कितना खर्चा ग्रौर मुनाफा हुग्रा ?

विविध मदों को एक ही में ले लिया । 1 24,925 रुपया खर्च हुग्रा है । किस मेले में किस मद में खर्च हुग्रा । इसलिए स्पष्ट करें कि किस मेले में किस मद में कितना-कितना खर्च हुग्रा ?

श्री परसराम मदेरणा : ग्रलग ग्रलग मेलों पर कितना खर्च हुग्रा ऐसी डिटेल ग्रभी तो मेरे पास नहीं है । दे दूंगा । पर जहां मेले में एक एक लाख मवेशी इकट्ठे हुए हों तो वहां प्रबन्ध करना पड़ता है । खास तौर पर जहां पानी ग्रादि की कमी है । जहां एक एक लाख मवेशी इकट्ठे होते हैं, ग्रादमी इकट्ठे होते हैं तो पानी का निश्चित तौर पर इन्तजाम करना पड़ता है । सफाई पर खर्चा करना पड़ता है, वहां वैसे कोई झाड़ू नहीं लगाना पड़ता है, पर गोबर की सफाई करनी पड़ती है । लाखों मवेशी ग्राते हैं । जोधपुर की तरफ मेले भरते हैं ग्रौर परबतसर का पशुमेला तो हिन्दुस्तान के बड़े मेलों में से एक है । परबतसर हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा पशु मेलों में से एक है ।

श्री ग्रध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मूलचन्द डागा ।

श्री विजयसिंह : गोबर की सफाई के लिए कहा तो क्या मेलों में गोबर उठाने का ठेका नहीं दिया जाता है ?

श्री परसराम मदेरणा : दिया जाता है । 1.84 हजार की ग्रामदनी बताई है तो गोबर नीलामी की ग्राय भी उसमें शामिल है ।

श्री श्रवणलाल : फिर सफाई किसकी की गई ?

सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित उद्योग

106. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजकीय उद्योग मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित किये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री मूलचन्द डागा)

(2) किन किन उद्योगों में राज्य सरकार को पिछले तीन वर्षों में घाटा रहा तथा कितना कितना और क्यों? इसका विवरण भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सत्य है कि इन घाटों का कारण प्रबन्ध एवं संचालन व्यवस्था में योग्य व्यक्तियों का अभाव है?

राजकीय उद्योग मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर): (1) राज्य सरकार द्वारा निम्न उद्योग चलाये जा रहे हैं––

1. गंगानगर शुगर मिल्स।
2. हाई टैक ग्लास फैक्टरी
3. पलाना लिगनाइट खान
4. लवण उद्योग
5. सोडियम सल्फेट प्लान्ट
6. सोडियम सल्फेट वर्क्स।

इसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) निम्न उद्योगों को पिछले तीन वर्षों में घाटा रहा जिसकी सूची संलग्न है। एवं सदन की मेज पर रखदी गई है।

1. पलाना लिगनाइट कोलियरी 63-64, 64–65, 65–66।
2. गंगानगर शुगर मिल्स 63–64।
3. हाई टेक ग्लास फेक्टरी, धौलपुर 63–64, 64–65।

(3) कुछ हद तक।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द डागा: जो सूची दी गई है, वह पढ़ नहीं सकता। मालूम नहीं होता क्या है? हिन्दी में टाइप की शिकायत है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): गंगानगर शुगर मिल्स का 64–65 का दिया है?

श्री मथुरादास माथुर: घाटा कहां-कहां किस साल में हुआ है तो जिस साल में घाटा हुआ वह बता दिया। मुनाफा हुआ जिसका जिक्र नहीं किया।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): पलाना लिगनाइट कोलियरी मुनाफे में चल रही है?

श्री मथुरादास माथुर: पहले मुनाफे में चलती थी जब बीकानेर का पावर हाउस लिगनाइट बेस्ड था। पर जब भाखरा की बिजली आ गई बीकानेर का पावर हाउस बन्द कर दिया गया और इसलिये अब चूंकि लिगनाइट कोल कन्जूम नहीं होता उतनी मिकदार में, घाटा रहता है। जितना माल पैदा होता है, उतना बिकता नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: आज जब बिजली की शार्टेज है तो वहां का पावर हाउस क्यों नहीं चलाते?

श्री मथुरादास माथुर: आज से तीस बरस पहले से वह लिगनाइट बेस पर चलता था। अब यदि एडीशनल पावर की जरूरत के लिये चलाया जावे तो कास्ट आफ प्रोडक्शन बहुत आती है। इसके लिये लिगनाइट बेस पर इस पुराने की जगह कोई नया दूसरा पावर हाउस खड़ा नहीं हो जाता तब तक वह कोल कन्जूम नहीं हो सकता और यह पावर हाउस तो पुराना हो चुका है, इसकी

Page No. 15

(श्री मथुरादास माथुर)

सारी मशीनें पुरानी हो चुकीं। अब दूसरा पावर हाउस खड़ा करने को राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तैयार नहीं है क्योंकि यह कोई कमर्शियल प्रोपोजल नहीं रहा अब।

श्री रामकिशन (वैर) : इसका घाटे का कारण नहीं दिया ?

श्री मथुरादास माथुर : दिया है न, लिखा है कुछ हद तक।

श्री रामकिशन : क्या कुछ हद तक ?

श्री मथुरादास माथुर: आप प्रश्न देखिये। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या यह सत्य है कि इन घाटों का कारण प्रबन्ध एवं संचालन व्यवस्था में योग्य व्यक्तियों का अभाव है ? मैंने उत्तर में कहा, 'कुछ हद तक।'

श्री रामकिशन : किस किस उद्योग में ? आपने जो उत्तर दिया क्या आप उससे सन्तुष्ट हैं ?

श्री मथुरादास माथुर: जो सवाल पूछा जाता है उसका ही तो जवाब सदन में दिया जाता है, सदन का समय कीमती हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि धौलपुर में लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से कितना घाटा है ?

श्री मथुरादास माथुर : लेटेस्ट रिपोर्ट तो नहीं है, पर जो घाटा है वह इस प्रकार है:—

63-64 में 2,87,000) रु.

64-65 में 3,42,000) रु.

65-66 में आंकड़े नहीं आये हैं।

इसके आंकड़े कम्पायल होकर ऊपर नहीं आये।

श्री भैरोंसिंह : अब तक 65-66 के आंकड़े नहीं मिले हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री मथुरादास माथुर : सरकार को मिल गये होंगे पर इस प्रश्न में दर्ज नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : सरकार से ही मेरा प्रश्न है, जवाब उसी से चाह रहे हैं। मथुरादास माथुर से नहीं चाह जा रहा है। सरकार से ही जवाब चाह रहे हैं सरकार को मिल गये होंगे से आपका क्या मतलब है ? सरकार में और आप में अन्तर कब से आ गया ?

श्री मथुरादास माथुर : कमिश्नर से सेक्रेटेरियट तक नहीं पहुँच पाये होंगे। इसलिए मैंने ऐसा कहा है वैसे इसलिये भी नहीं आये कि मैंने पूछा तो उत्तर मिला कि कम्पाइल हो रहा है। जब आवेगा कम्पाइल होकर तब सदन में रख दूंगा।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : व्यवस्था का प्रश्न है। जब प्रश्न यहा सदन में पूछा जाता है तो क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं है कि जब वे जवाब दें तो उस वक्त तक की सारी स्थिति को मालूम करके पूरी जानकारी से सदन को सूचित करें।

श्री मथुरादास माथुर : यह कोई बहुत बड़ा विवाद का प्रश्न नहीं है। इस साल के आंकड़े कम्पाइल हो रहे हैं और फाइनल फिगर कम्पनी का बोर्ड आॅफ डाइ-

Page No. 16

(श्री मथुरादास माथुर)
रेक्टर्स में पेश होकर जब तक वहां से कम्यूनिकेट सरकार को नहीं होते तब तक हम उन्हें नहीं रख सकते यहां पर ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : जब यह लिगनाइट पलाना कोलियरी एक कमर्शियल प्रोपोजीशन नहीं है तो फिर इस पर सरकार व्यर्थ खर्च क्यों करती है ? बन्द क्यों नहीं कर देती ?

श्री मथुरादास माथुर : ऐसा है कि पलाना कोलियरी में दो तरह से काम होता है। ओपन कास्ट और अण्डर ग्राउण्ड । अण्डर ग्राउण्ड माईनिंग शुरू से चल रही थी और यह पहले प्रोफिटेबल इसलिए था कि जो कोयला निकलता था वह पॉवर हाउस में काम आ जाता था। अब पॉवर हाऊस तो बन्द हो गया। अब जो निकलता है वह ईंटें बनाने के भट्टों वगैरों में काम आता है, और इनके लिये कोयले की इतनी डिमाण्ड नहीं है जिसमें सारा प्रोडक्शन खप सके। फिर यह कोयला ऐसा है कि जिसे होर्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फिर स्वतः आग लगने का डर है। फिर अण्डर ग्राउण्ड वर्क को चालू रखने और लेबर को एम्पलॉय करने के लिये उसे चालू रखना पड़ रहा है थोड़ा घाटा खाकर भी क्योंकि इसे एक बार बन्द करदें तो बाद में उसे वर्क आउट नहीं कर सकते ।

अब इसके लिये अलग से थर्मल पावर हाऊस प्लान्ट के लिये रशियन एक्सपर्ट की रिपोर्ट का इन्तजार है। वह जब आवेगी तब हम कुछ कर सकेंगे तो इस बीच एक दो साल का घाटा भी हो जावेगा तो सहन करेंगे। थर्मल पावर स्टेशन का प्लान्ट कुछ जल्दी करते पर इस साल रिसोर्सेज टेकल नहीं कर पाये हैं। जैसा पहले सोचते थे कि चौथी योजना में इसको हाथ में ले पावेंगे, पर रिसोर्सेज की कठिनाई आ रही है इसलिये यह परेशानी हो रही है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो फिर धीरे-धीरे लेबर को डिएम्पलॉय कर दीजिये। लगातार घाटा हो तो बन्द करिये । टैक्स पेयर का पसीने के पैसे को क्यों बिगाड़ते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : इसलिये निवेदन किया कि एक बार इसको स्लो करने के बाद माइनिंग में जो अब तक खर्च किया गया है वह भी बरबाद हो जावेगा इस लिये अभी चला रहे हैं, तीसरी बात यह भी सोची कि अगर इसको बन्द न करके लेबर को चलाते जायें तो भी एक लाख के करीब घाटा पड़ सकता है तो इसलिये प्राइवेट कन्सर्न और इसको करने को तैयार हो जावेगा तो उसको देने के लिये सोचेंगे। जबतक थर्मल पावर प्लान्ट की स्कीम नहीं बन जाती तब तक प्राइवेट पार्टी और सरकार दोनों मिलकर भी चलावें ताकि कोयले को कन्ज्यूम करने के सोर्स ढूंढकर वहां कन्ज्यूम किया जा सके ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है। क्या यह सही है कि सरकार ने धौलपुर हाई टेक फैक्टरी को बन्द करने का निर्णय ले लिया है ?

श्री मथुरादास माथुर : धौलपुर ग्लास फैक्टरी के बारे में माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं इसलिए उसमें अधिक न पड़ते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इस फैक्टरी के लिए एक हंगेरियन एक्सपर्ट को बुलाया था जो कि प्लानिंग कमीशन के भी मेम्बर थे और

(श्री मथुरादास माथुर)
उन्होंने एडवाइस दी थी उसके आधार पर उसको चलायें या फिर उसको बन्द ही करदें। यह है कि या तो इसमें और इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंन्ट करने के बाद उस आधार पर इसलिए सरकार ने एक हाई पावर कमेटी अपाइन्ट की है और उसकी दो तीन बैठकें भी हो चुकी हैं और उस हाई पावर कमेटी द्वारा जल्दी ही फैसला कर लिया जायेगा और फिर या तो इसको बन्द कर देंगे या फिर इसमें और इन्वेस्टमेन्ट करके चलायेंगे और इस बारे में जो कमेटी की रिपोर्ट होगी उसके आधार पर चलेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने निर्णय ले लिया है और फर्दर इन्वेस्टमेन्ट के लिए कोई बजट में प्रोवीजन भी नहीं रखा है और यह इस बात का सबूत है कि सरकार ने इसको बन्द करने का निर्णय ले ही लिया है?

श्री मथुरादास माथुर : सरकार का निर्णय नहीं हो पाया है लेकिन जो हाई पावर कमेटी बैठाई थी उसकी एडवाइस थी कि इसको बन्द कर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी।

ग्राम पंचायत बापचा में भूमि का आवंटन

107. श्री प्रेमसिंह सिंघवी की अनुपस्थिति में श्री मदनसिंह दांता द्वारा पूछा गया : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील छबड़ा की ग्राम पंचायत बापचा में जो जमीनें एलॉट की गई थी उसके पट्टे सम्बन्धित लोगों को अभी तक नहीं दिए गए हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि एलॉटमेन्ट में तहसीलदार द्वारा किसानों से कुछ धनराशि वसूल की गई है? यदि हां, तो किस कानून के अन्तर्गत तथा कितनी?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) तहसील छबड़ा की ग्राम पंचायत बापचा में आवंटन की गई भूमि से सम्बन्धित केवल चार पट्टे देने ही शेष हैं। इसका कारण यह है कि इन आवंटनों में प्रधान पंचायत समिति छबड़ा को एतराज था। इसकी जांच परगना अधिकारी, छबड़ा के कार्यालय में विचाराधीन है। जांच के पश्चात् आवंटन सही होने पर पट्टे तकसीम किये जायेंगे।

(2) आवंटन में किसानों से किसी प्रकार की धनराशि वसूल की गई है। केवल 5 रु. पट्टा फीस वसूल की गई है और रसीदें नियमानुसार दी गई हैं। यह फीस नियम 14 (ए) के अनुसार वसूल होती है।

श्री मूलचन्द डागा : आवंटित भूमि के कोई पट्टे नहीं दिये जाते हैं केवल सनद दी जाती है।

श्री मदनसिंह दांता : मैं समझता हूं कि जहां भूमि अलाट होती है, उसके 5 रुपये नहीं दिये जाते हैं, पट्टे के।

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : वह सनद कहें या सर्टिफिकेट कहें 5 रुपये नियम 74 के अन्तर्गत लेने का प्राविजन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मजलिस खां।

पटवार सर्किल ग्रौलन्दा में पटवार घर का निर्माण

108. **श्री मजलिस खां (कामां) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पटवार सर्किल ग्रौलन्दा में पटवार घर का नव-निर्माण चालू है ? यदि हां, तो यह निर्माण कार्य कब शुरू कराया गया ग्रौर ग्रब तक कितना कार्य हो चुका ग्रौर कितना बाकी है ? ग्रधूरा कार्य रहने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रभी तक जो निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है वह साथ साथ गिरना भी शुरू हो गया है, ग्रौर छतें टूट गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह जांच करायेगी कि उक्त भवन के निर्माण का सामान किसके द्वारा खरीद कराया गया ग्रौर कहां से व कितनी रकम का ग्रौर किस को ठेका दिया गया ?

(3) क्या सरकार धोखा देने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी हां, सन् 1964–65 में शुरू हुग्रा । नींव भरना, चार दिवारी व पट्टी डालने का कार्य पूरा हो चुका है । छत पर रोड़ी डालना, प्लास्टर होना तथा किवाड़ लगाना बाकी है । 4500/- रुपये जो दिये गये थे वे खत्म हो चुके हैं ।

(2) जी नहीं, कुछ भी नहीं गिरा है । प्रश्न ही नहीं उठता । यह कार्य तहसील द्वारा ग्रमानी से कराया गया, किसी को ठेका नहीं दिया गया ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मजलिस खां : ग्रध्यक्ष महोदय मैं उसी गांव का रहने वाला हूं । उसकी छत टूट गयी है । उसमें पटवारी बैठकर वसूल भी नहीं करते हैं, गिरदावर उसमें गिरदावरी नहीं करते हैं ग्रौर ग्राप कहते हैं कि कुछ नहीं गिरा है यह बिलकुल झूंठी जानकारी दी गयी है ।

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी जानकारी के ग्रनुसार यही है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसको ठीक करवा दिया जायेगा । पैसा सैंक्शन करा कर ।

श्री ग्रध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री भीमसेन ।

राहत कार्यों की मांग

109. **श्री भीमसेन (लूनकरणसर) :** क्या ग्रकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि इस वर्ष जिला बीकानेर के पंचायत क्षेत्र ग्रमरपुरा, जागोर, सुई ग्रादि में सरकार की ग्रोर से कोई राहत कार्य नहीं खोले गये हैं जब कि इस संबंध में स्थानीय जनता ने तत्काल राहत कार्यों की मांग की थी ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

ग्रकाल सहायता उप-मंत्री : (श्री गंगाराम चौधरी) : जी हां, पंचायत क्षेत्र ग्रमरपुरा, जागोर व सुई में कोई सहायता कार्य नहीं खोले गये । ग्रमरपुरा ग्रौर जागोर में लोगों के काम पर ग्राने को तैयार नहीं होने तथा सुई के निकट जैतपुर में सड़क निर्माण एवं शेरपुरा में भू-संरक्षण कार्य

(श्री गंगाराम चौधरी)
चालू होने के कारण कोई कार्य नहीं खोले गये। सुई में भू-संरक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री भीमसेन : अमरपुरा और जागीर में लोग राहत कार्यों की मांग कर रहे हैं और आप कहते हैं कि लोग आने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : दोनों गांवों में अधिकारियों ने भू-संरक्षण कार्य खोले जाने के लिए कहा था लेकिन वह वहां आने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री भीमसेन : लोग आने को तैयार हैं, यह आप गलत कह रहे हैं कि लोग आने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या सरकार वहां पर अब भी काम खोलने को तैयार है ?

श्री गंगाराम चौधरी : हां, भू-संरक्षण काम पर आने के लिए तैयर हैं तो काम शुरू किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री लाभचन्द।

रतनगढ़ जिला चूरू में अनाज एवं शक्कर का वितरण

110. **श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़)** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रतनगढ़, जिला चूरू में जनवरी सन् 67 से लेकर अब तक किस किस महीने में कितने अनाज एवं कितनी शक्कर का वितरण किया गया तथा किस आधार पर ?

(2) यदि वितरण नहीं किया गया तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) माह जनवरी, 67 में बकरा ईद के त्यौहार के लिये जिलाधीश महोदय, चूरू के पास रिप्रेजेन्टेशन प्राप्त होने पर अनाज 2 किलो प्रति व्यक्ति वितरण किया गया....

श्री लाभचन्द वैद : साफ नहीं सुनता है।

श्री परसराम मदेरणा : (1) माह जनवरी, 67 में बकरा ईद के त्यौहार के लिये जिलाधीश महोदय, चूरू के पास रिप्रेजेन्टेशन प्राप्त होने पर अनाज 2 किलो प्रति व्यक्ति वितरण किया गया ...

माह फरवरी तथा अप्रेल में कोई भी अनाज वितरण नहीं किया गया।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है।

श्री परसराम मदेरणा : इससे ज्यादा साफ नहीं कर सकता। इससे ज्यादा साफ तो भैरोंसिंहजी की भी नहीं है।

माह मार्च, 67 में आयातित गेहूं स्टॉक में था और खराब न हो जावे, तीन किलो प्रति व्यक्ति वितरण किया गया।

माह मई, 67 में भी आयातित गेहूं का स्टॉक होने से 2 किलो प्रति परिचय-पत्र के आधार पर वितरण किया गया। चीनी का वितरण प्रति माह इस प्रकार किया गया:—

जनवरी, 67-600 ग्राम	प्रति व्यक्ति	प्रति माह	
फरवरी, 67-600 ,,	,,	,,	
मार्च, 67-600 ,,	,,	,,	
अप्रेल, 67-450 ,,	,,	,,	
मई, 67-450 ,,	,,	,,	

Page No. 20

(श्री परसराम मदेरणा)

(2) राज्य सरकार के आदेशानुसार जिला मुख्यालय पर व प्रभावग्रस्त क्षेत्र को छोड़कर आयातित गेहूं का वितरण बन्द किया हुआ था, और रतनगढ़ तहसील में कोई भी प्रभावग्रस्त क्षेत्र नहीं है।

श्री लाभचन्द वैद : क्या चूरू जिला के रतनगढ़ आदि शहरों में जो वितरण किया जाता है वह जिला कमेटी द्वारा निर्णय करके किया जाता है ? अगर हां, तो उस कमेटी की बैठक किस तारीख को हुई और उसके कौन कौन सदस्य हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जिला फूड एडवाइजरी कमेटी सिर्फ फूड के वितरण के संबंध में, अनाज के वितरण के संबंध में अपनी एडवाइस दे सकती है। जहां तक वितरण का सवाल है उस जिले के तहसील के मुख्यालय और प्रभावग्रस्त क्षेत्र हैं या स्केयरसिटी इफेक्टेड एरिया हैं उसका वितरण कलेक्टर खुद करता है।

श्री लाभचन्द वैद : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आप किन किन कारणों से वितरण को विशेष महत्व देते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रभावग्रस्त क्षेत्रों को हम पहली प्रायोरिटी देते हैं 50 हजार और उससे ज्यादा की आबादी के कस्बों को दूसरी प्रायोरिटी देते हैं। जिला मुख्यालयों को तीसरी प्रायोरिटी देते हैं और उसके बाद में चौथी प्रायोरिटी ऐसे कस्बों को देते हैं जहां शादी के या त्यौहार के वक्त चीनी और अनाज की विशेष आवश्यकता है और वहां पर अनाज का स्टॉक है और लोगों को परेशानी है तो उसको दूर करने के लिये वहां भी प्रबंध करते हैं। जैसा कि रतनगढ़ के मामले में विशेष तौर से किया गया था।

श्री रावतराम (छापर) : क्या यह सही है कि 50 हजार से कम आबादी वाले कस्बों को इम्पोरटेड व्हीट बन्द कर दिया है ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां, इम्पोरटेड व्हीट और माइलो का वितरण नहीं किया है।

श्री रावतराम : रतनगढ़ में जनवरी में 600 ग्राम, फरवरी में 500 ग्राम इस प्रकार से जो चीनी वितरित की गई है जबकि अन्य शहरों में एक एक व्यक्ति को एक एक किलो शक्कर दी जाती है तो यह अन्तर किस कारण से किया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि भारत सरकार से जो चीनी का कोटा मासिक आवंटन होता है उसमें कमी होती जा रही है और राज्य भर के लिये जो कोटा निर्धारित है उसमें कमी हो रही है तो जिलों में उसी अनुपात से कम करदी जाती है और चूरू जिले में पहले जनवरी, फरवरी, मार्च में 362 टन के आसपास चीनी दे चुके थे लेकिन इधर चीनी का कोटा रिड्यूस हो गया तो अप्रेल और मई में 246 टन दिया है और इसी तरह से जब 246 टन चीनी दी है उस समय रतनगढ़ के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति को 450 ग्राम चीनी दी गयी थी लेकिन वहां पर भी जून का कोटा कम हो गया और चूरू जिले को 159.5 टन चीनी दे रहे हैं और उसी अनुपात से और कमी हो जायेगी ऐसा मुझे प्रतीत होता है।

श्री रावतराम : जब आपने आयातित गेहूं का वितरण छोटे कस्बों में बन्द कर

Page No. 21

(श्री रावतराम)

दिया, आयातित गेहूं की वितरण व्यवस्था बन्द करदी तो उसके बदले में कौन से अनाज को प्रायोरिटी मिलती है और कस्बों में कौनसा दूसरा अनाज जाता है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह तो फूड डिबेट के वक्त में निवेदन कर चुका हूं कि जितना राज्य सरकार के पास अनाज होता है···

श्री अध्यक्ष : श्री हीरा।

(व्यवधान)

जिला बांसवाडा में अकाल सहायता कार्य

111. श्री हीरा की अनुपस्थिति में श्री बिट्ठल (पीपलखूंट) द्वारा पूछा गया : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बांसवाड़ा में 1 जनवरी 1967 के पश्चात् प्रत्येक तहसील में कितनी कितनी लागत के क्या क्या अकाल सहायता कार्य प्रारम्भ किये गये हैं?

(2) जनवरी व फरवरी माह में प्रत्येक तहसील में कितने कितने मजदूर काम पर लगाये गये थे? तथा मार्च, 1967 में कितने कितने मजदूर काम पर लगाये गये?

(3) क्या यह सही है कि फरवरी की आखिरी तारीख के बाद 75 प्रतिशत कार्य बन्द कर दिये गये और 25 प्रतिशत मजदूर काम पर रखे गये?

(4) क्या जो कार्य बन्द किये गये उनके बन्द किये जाने का नोटिस मजदूरों को दिया गया था? अगर हां, तो कब और नहीं तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि जो कार्य बन्द किये गये थे वे मनमाने ढंग से किये गये थे तथा मजदूर लोग उन कार्यों पर दस दस दिन तक कार्य करते रहे जिसकी मजदूरी उनको अभी तक नहीं चुकाई गई है? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार मजदूरी का चुकारा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो चुकारा कब तक कर दिया जावेगा?

उप-मंत्री-अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) सदन की मेज पर प्रस्तुत करने हेतु सूची "क" संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

(2) सदन की मेज पर प्रस्तुत करने हेतु सूची 'ख' संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

(3) जी नहीं, कोई कार्य बिना कार्य की समाप्ति के बन्द नहीं किया गया है। अत: मजदूरों के कम करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(4) भू-संरक्षण, सिंचाई के तालाबों का कार्य एवं सामुदायिक विकास द्वारा चलाये गये लघु सिंचाई कार्य बन्द नहीं किये गये, इसलिए नोटिस देने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। सड़कों के राहत कार्यों के कारण स्थलों के परिवर्तन के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना स्थानीय मेटों को पूर्व में दी जाती रही हैं, जो मजदूरों तक पहुंचाते रहते थे।

(5) जी नहीं, कोई कार्य मनमाने ढंग से बन्द नहीं किया गया। बन्द किये गये

Page No. 22

(श्री गंगाराम चौधरी)
कार्यों पर अगर मजदूरों द्वारा कार्य किये गये हैं तो वह अमान्य हैं। जिन मजदूरों की हाजरी मस्टर रोल में दर्ज की गई हैं उनको अधिकांश रूप में चुकारा कर दिया गया है, जो कुछ मजदूर रह गये हैं उन्हें भी शीघ्र ही चुकारा कर दिया जावेगा।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : कितने काम ऐसे हैं जो फरवरी 1967 के बाद बन्द हो गए हैं? कितने परसेंट काम ऐसे हैं जो फरवरी 67 के बाद बन्द हो गए हैं?

(श्री गंगाराम चौधरी उत्तर देने के लिए खड़े हुए लेकिन राजस्व मन्त्री जवाब देने लगे)

राजस्व मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : 1 जनवरी के पश्चात्......

श्री रामकिशन (वैर) : आप अकाल मंत्री नहीं हैं, आप तो अकाल निवारण मंत्री हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 67 सड़कों पर अकाल सहायता कार्य चलाए गए जिन पर 54 लाख रुपया खर्च किया गया। तहसीलवार सूचना इसलिए उपलब्ध नहीं है..

कई माननीय सदस्य : सुनाई नहीं देता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपका प्रश्न यह है कि जो काम चलाए गए थे उनमें से कितने बन्द कर दिए गए। इसके बारे में मेरा निवेदन है कि..

श्री अध्यक्ष : आप इस माइक का उपयोग करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे सामने माईक है।

श्री अध्यक्ष : यह नहीं साथ दे रहा है आपका।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जनता की तरह माइक भी इनका साथ नहीं दे रहा है।

श्री अध्यक्ष : Straight to the Mike please.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जितने काम शुरू किए गए थे उनमें से वही काम बन्द हुए हैं जो काम पूरे हुए हैं और जो काम पूरे हो चुके हैं वहां के लोगों को आल्टर्नेटिव एम्प्लायमेंट देने के लिए सरकार ने वहां के भूमि संरक्षण और माइनर इरिगेशन के काम पर लोगों को लगाया है।

श्री नत्थीसिंह : मेरा सवाल तो यह है कि फरवरी 67 तक जो पहले काम चालू किए गए थे क्या उनमें से 75 प्रतिशत तक काम पूरे हो गए थे? मेरा सवाल तो इतना ही है कि कितने काम चले थे और उनमें से फरवरी 67 के अन्त में क्या 75 प्रतिशत काम पूरे हुए थे?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसी बात नहीं है। जनवरी, (1967) को 57 सड़कों का जहां तक ताल्लुक है वहां की 57 सड़कों पर काम चालू किया गया था और जो सड़कें बन गई हैं उनके बाद ही काम बन्द हुआ था।

श्री नत्थीसिंह : कब तक बन गई थीं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : प्रत्येक सड़क के बारे में अलग अलग सवाल करें तभी बता सकता हूं।

श्री नत्थीसिंह : 57 सड़कों में से क्या फरवरी 67 के अन्त में सब की सब बन गई थीं?

Page No. 23

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कहीं कहीं पर अभी भी काम चालू है और कई बन गई हैं।

श्री नत्थीसिंह : यही तो मैं पूछ रहा हूं कि कितनी बन गई हैं और कितनी चालू हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अलग अलग सड़कों के बारे में तो आप अलग से पूछें तो बता सकता हूं।

(कई माननीय सदस्य प्रश्न पूछने लगे)

(अश्रव्य) (व्यवधान) (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : श्री हीरा, आप पूछेंगे प्रश्न ?

श्री हरिदेव जोशी : श्री हीरा तो हैं ही नहीं।

श्री विट्ठल : अध्यक्ष महोदय, जो सड़कों का काम बन्द किया गया बतलाया उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है और वहां पर जान बूझ कर काम बन्द किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गंगा सहाय।

श्री गंगासहाय : प्रश्न संख्या 112।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

(व्यवधान) (शोरगुल)

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, अभी जो पूछा गया उसका जवाब साफ नहीं हुआ है। हम पूछना चाहते हैं कि कितने काम पूरे हो गए हैं लेकिन ये बताते नहीं हैं। 57 सड़कें हैं उनमें से कितनों पर काम पूरा हो गया है। 40 पर हो गया है, 50 पूरी हो गई हैं या दो पूरी हो गई हैं। हमारा कहना है कि सड़कें पूरी नहीं हुई हैं। चुनाव के कारण काम शुरू किए गए थे और चुनाव के बाद बन्द कर दिए गए हैं। सड़कें अभी भी अधूरी हैं। आप बतायें साफ कि कितनी सड़कों पर काम पूरा नहीं हुआ है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से माननीय सदस्य ने उसे समझा नहीं है और जो सूची मैंने सदन की मेज पर रखी है उसको देखा भी नहीं है....

श्री नत्थीसिंह : यह रही सूची मेरे पास।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस सूची में दिया गया है कि सड़कों के राहत कार्यों पर जनवरी में 50 हजार, फरवरी में 95 हजार और मार्च में एक लाख व्यक्तियों को प्रति दिन कार्यों पर लगाया गया था। चूंकि सड़कों का कार्य तहसीलवाइज है इसलिए मैं उनको अलग अलग डिटेल्स अभी नहीं बता सकता। लेकिन मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि आज भी वहां पर राहत कार्यों में एक लाख दस हजार आदमी लगे हुए हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो राहत कार्य खोले गए वे कार्य अकाल के कारण खोले गए या डेवलेपमेंट के कारण खोले गए ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अकाल राहत देने के लिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कृपा करके बतायें कि जो अकाल कार्य मार्च तक चले हैं तो क्या अभी भी अकाल है या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अभी भी अकाल है और अभी भी एक लाख से ज्यादा मजदूर काम पर लगे हुए हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या अकाल की सीवरनैस कम हो गई है और इस वजह से मजदूरों की तादाद घट गई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मजदूरों की तादाद बढ़ गई है और जून में और भी बढ़ने की सम्भावना है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत है मजदूरों की तादाद घट गई है, यह निर्विवादास्पद बात है। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा इस बारे में कि एक इम्पार्शल कमीशन अपोइन्ट किया जाय। मार्च की जो डिटेल्स हैं और उनमें जो तादाद मजदूरों की दी गई है और आज मई में जो तादाद मजदूरों की है इसके अन्दर बहुत बड़ा धोखा और घोटाला है और सरकार के ऊपर मैं यह डिसओनेस्टी का आरोप लगाता हूं। सरकार ने यह जो राहत कार्य खोले हैं वह केवल इसलिए कि येन-केन-प्रकारेण लोगों के वोट लिए जायं, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। यह एक गम्भीर विषय है और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में एक कमीशन आफ इन्क्वायरी फेस कर सकती है या नहीं ?

श्री रोशनलाल : (सलूम्बर) : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कोई अकाल ही नहीं है ? जैसा कि विरोधी दल के नेता का सवाल है··

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह बात नहीं है··

(व्यवधान शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : Order, order please ! order.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, बार बार यह कहा जा रहा है कि चुनावों के लिए राहत कार्य चलाए गए हैं, इससे बड़ा बुरा असर पड़ता है। इसके बाद में विरोधी दल के नेता ने स्वयं ने कहा कि डूंगरपुर में अकाल है और वहां पर राहत कार्य चलाए जायं..

श्री अध्यक्ष : Order, order !

श्री गिरधारीलाल व्यास : उसके बाद में यहां पर बार बार दूसरी तरह की बातें कही जाती हैं जिससे भारत सरकार से पैसा मिलने पर भी असर पड़ता है।

(शोरगुल अश्रव्य)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का मतलब गलत तौर से लगाया गया है। मैंने यह कभी नहीं कहा था कि काम बन्द किए जायं। मैंने हमेशा यह कहा है कि अकाल कार्य जारी रखे जावें। मैं तो सरकार के ऊपर यह आरोप लगाता हूं कि मार्च तक तो अकाल कार्य का टेम्पो बहुत जोर शोर से चलाया और फरवरी और मई में उसके मुकाबले 75 प्रतिशत ही मजदूर काम पर आए वह क्यों ?

कांग्रेस पक्ष के एक माननीय सदस्य : आपने ही कहा था कि काम बन्द कर दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय मंत्री महोदय (श्री मथुरादास माथुर की ओर मुखापेक्ष)

(12 मध्यान्ह)

श्री मथुरादास माथुर : (वित्त मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्षजी····(हंसी) माननीय अध्यक्ष जी·······

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : बिहार के लिए तरह तरह का प्रचार करते हैं और राजस्थान में उससे ज्यादा अकाल है। उसको लेकर विरोधी दल के नेता इस प्रकार का भाषण करते हैं। इससे भारत सरकार के ऊपर गलत असर पड़ता है और जो सहायता मिलती है उस सहायता से वंचित रह जाता है। इस तरह के गलत भाषण किये जाते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय...

श्री विजयसिंह (नसीराबाद) : हजारों लोग....(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! श्री रावत, आर्डर ! माननीय नेता महोदय खड़े हुए हैं विरोधी दल के।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य अर्थ का अनर्थ निकालें तो यह उनका अधिकार है, लेकिन मैं कहूंगा कि करोड़ों रुपयों का सवाल है और करोड़ों रुपया टेक्स-पेयर्स का यहां पर खर्च किया गया है। अगर फरवरी मार्च तक जो टेम्पो रखा गया था और रुपया खर्च किया गया था वही अभी तक जारी रखते तो एक हद तक मैं उसको मानने के लिये तैयार था कि यह जो अकाल का कार्य है वह ठीक रूप से, सुचारु रूप से या बेढ़ंगे रूप से हो रहा है पर एक सिद्धांत को लेकर खर्च कर रहे हैं, लेकिन फरवरी के बाद जो बिजली पड़ी, मुझे यह कहना है कि फरवरी के बाद जो बिजली पड़ी कि उस तरह के अकाल कार्य को बिल्कुल ही रोक दिया गया। मैंने मुख्य मंत्रीजी से यह आश्वासन चाहा था और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि बराबर अकाल-कार्य जारी रखे जायेंगे, और मेरी स्पीच के अन्दर जो उन्होंने आश्वासन दिया था वह डिलीट कर दिया गया तो यह मेरे खयाल में बड़ा अजीब व गरीब मामला है। हम सरकार को, मनमाने रूप से, हमारे बैठे हुए आप चाहें वैसा कर सकें तो नहीं करने देंगे। मैं इसका विरोध करता हूं। यह मैं अवश्य आरोप लगाऊंगा। हम यह कहेंगे कि यह प्राइमा फेसी एक ऐसा इश्यू है जिसकी जांच और छान-बीन होनी चाहिए। अगर करोड़ों रुपया आप खर्च करते हैं उसका आप को अधिकार है, आप सरकार हैं, आप करें, लेकिन आप दुर्व्यवस्था से वह रुपया खर्च करते हैं तो उसकी जांच मांगते हैं, हम उसकी व्यवस्था मांगते हैं, और अगर दुरुपयोग से आपने खर्च किया तो हम आरोप लगाते हैं कि उसका आपको कोई अधिकार नहीं था ऐसा खर्च करने का विरोधी पक्ष के अधिकारों के अन्तर्गत हम यह आपसे कहते हैं और मांग करते हैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सरकार से कि इस सम्बन्ध में कमीशन के द्वारा जांच कराई जाय।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आर्डर ! आर्डर !! जैसा कि माननीय नेता, विरोधी दल, ने अपने वक्तव्य में ऐसा संकेत दिया कि भाषण में से कोई पोर्शन डिलीट किया गया, मैं उसका स्पष्टीकरण चाहता हूं इसके सम्बन्ध में कि क्या इस सदन के रेकार्ड में से डिलीट किया गया है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : रेकार्ड में से है, अध्यक्ष महोदय ! यहां माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बराबर यह आश्वासन दिया था और उन मुख्य मन्त्रीजी के आश्वासन को कन्डीमियेन्टली एक तरह से छिपाने के लिए

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
या उनको कन्वीनियेन्स देने के लिए वह आश्वासन बिल्कुल उद्धृत नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मैं इसकी जांच कराऊंगा और माननीय नेता महोदय को विश्वास दिलाऊंगा कि ऐसा आगे न हो I will get it verified.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार की तरफ से कुछ वह हो, लेकिन जब मैंने देखा कि इस सदन की कार्यवाही में इस तरह से न्यूनताएं हो रही हैं तो मेरे दिल के अन्दर निराशा छा गई। हम आशावादी हैं और आशावादी होने के नाते सरकार से मांग करते हैं और मांग करते रहेंगे जब तक कि इस सम्बन्ध में आप हमको सेटिस्फाई नहीं कर सकें।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर प्लीज ! यह जो कुछ भी यहां पर भाषण होते हैं उनको रिपोर्टर्स उसी वक्त लिखते हुए जाते हैं और इमीजिएटली लिखने के आधार पर आगे कोई भी ऐसी स्थिति हुई तो मैं जानकारी करूंगा यदि यहां रेकार्ड पर नहीं आया तो वह स्थिति दूसरी है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं। यह एलिगेशन सीरियस है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो प्रतिलिपि मेरे पास भाषण की आई है उसमें चीफ मिनिस्टर का इन्टरवेन्शन था वह इन्टरवेन्शन नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : वह भाषण, पद्धति इस प्रकार की है, अनुमोदन के लिए माननीय सदस्यों के यहां आया करता है। वह अनुमोदन के बाद आकर फाइनल होता है। वह अनुमोदन किये गये भाषण की स्थिति में है। इसकी जानकारी प्राप्त करूंगा। माननीय नेता महोदय, विरोधी दल को अवगत कराऊंगा कि क्या स्थिति है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इन्टरवेन्शन का बिल्कुल हवाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं जब आपसे बात करूंगा इस सम्बन्ध में सारे तथ्यों को लेकर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर आप बात नहीं करेंगे तो मुख्य मंत्रीजी के पास जाकर खुद से कहता कि आपने आश्वासन दिया....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न रिपोर्टिंग का हो गया है, यह प्रश्न कार्यवाही का हो गया है, इसलिए मुख्य मंत्रीजी का प्रश्न दूसरा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं आशा करता हूं कि आपके द्वारा इस सम्बन्ध में निष्पक्ष रूप से छानबीन की जायगी और व्यवस्था दी जायगी।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता ने जो यह बात कही अपनी स्पीच में कि बांसवाड़ा जिले में जो अकाल राहत कार्य फरवरी में चलते थे और उनमें जितने मजदूर काम करते थे तो उनमें करीब 1 लाख मजदूर काम करते थे और आज इस महीने में 1,10,000 मजदूर काम करते हैं। बीच में कुछ काम बन्द हुए और कुछ मजदूरों में कमी आई, यह उस समय का जिक्र है जिस वक्त हमारे यहां राष्ट्रपति-शासन था। भारत सरकार ने......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : केयर टेकर गवर्नमेंट थी।

श्री मथुरादास माथुर : भारत सरकार ने एक कमेटी राजस्थान में चल रहे रिलीफ वर्क्स को देखने के लिए बिठाई थी, क्योंकि भारत सरकार से हमने इस बात की मांग की थी कि राहत कार्य के लिए रुपया दिया जाय, तो कितना रुपया दिया जाय उसका निर्णय करने के लिए एक कमेटी थी प्लान एडवाइजरी कमेटी गवर्नमेंट आफ इण्डिया के श्री रामचन्द्रन के नेतृत्व में। इस कमेटी ने सब राहत-कार्यों....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : विकास के मामलों में लायन्स शेयर भारत सरकार से आये हुए रुपयों का केवल मात्र एक उदयपुर डिवीजन में ही खर्च किया जाय, तीन जिलों में ही खर्च किया जाय, फिफ्टी पर्सेन्ट तीन जिलों में ही खर्च किया जाय और रेस्ट आफ दी फिफ्टी पर्सेन्ट बाकी के 23 जिलों में खर्च किया जाय।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : जहां अकाल होगा वहीं खर्च किया जायगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप दोनों तरह की बात कह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : रिप्लाई इधर से मिल जायगा जो बात कही जाती है उसका, आप शान्ति रखें।

श्री मथुरादास माथुर : इस सदन में यह चर्चा हुई थी कि मार्च के एण्ड में और अप्रेल के बिगिनिंग में कुछ वर्क्स बन्द हुए और कुछ लेबर में कमी आई थी उनको छुट्टी दी गई थी तो इसकी स्थिति....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सारे प्रश्न को लेकर, होल क्वेश्चन के कन्टेक्स्ट के अन्दर आप एक दो चीजों को उखाड़कर पोजीशन को जस्टीफाई करें। माना कि उदयपुर डिवीजन में तो जनता बसती है और रेस्ट आफ दी राजस्थान में तो जानवर बसते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, इसलिए जो मैं निवेदन कर रहा था कि वह जो कमेटी आई थी उस कमेटी के जांच करने के बाद उसने एक रिपोर्ट दी है भारत सरकार को और उस रिपोर्ट में यह रिक्वेस्ट की है कि रोड्स के वर्क्स पर जो अभी कार्य चल रहे हैं उनको एक-तिहाई कर दिया जाय। उस कमेटी ने यह कहा, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, और उसके दौरान में वे वर्क्स बन्द कर दिये गये इसलिए लेबर कम हुआ रोड्स के अन्दर। उसके बाद में जब यहां पर रैसपोन्सिबल गवर्नमेंट बन गई तो फिर चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद में वे राहत कार्य जो अधूरे थे चालू किये गये, और चालू करने के बाद में लेबर बढ़ी, और आज बांसवाड़े जिले के अन्दर 1,10,000 मजदूर काम करते हैं....

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल जयपुर) : रिपोर्ट किस महीने में आई थी?

श्री अध्यक्ष : Will not interrupt, माननीय सदस्य!

श्री मथुरादास माथुर : एक प्रश्न था कि बीच में लेबर कम क्यों हुई और वापिस क्यों बढ़ी।

दूसरा प्रश्न यह उठाया गया था कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में ही ज्यादा रुपया खर्च किया जाता है और दूसरे जिलों में

(श्री मथुरादास माथुर)

अकाल नहीं क्या। जिन जिलों में और जितनी आबादी पर अकाल है तो बांसवाड़े जिले के अन्दर 4 लाख आदमी अकाल से एफेक्टेड हैं। इसी तरह से करीब 4-4½ लाख आदमी डूंगरपुर जिले में एफेक्टेड हैं। इन्टेन्सिटी आफ दी फैमीन आफ दी डिस्ट्रिक्ट को देखते हुए कितने लेबर उपलब्ध होते हैं उन्हें लगाते हैं। हमारे कई जिलों के अन्दर जहां काम है मजदूर आते नहीं हैं क्योंकि वहां पर दूसरे व्यवसाय हैं। उस चीज को देखते हुए राहत-कार्य चालू करते हैं। मैं विरोधी दल के नेता को विश्वास दिलाता हूं कि अकाल के मामले में सियासत नहीं है। जैसी इन्टेन्सिटी आफ दी फेमीन है उसके हिसाब से राहत-कार्य खोले जाते हैं। हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि उस रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय लिया गया है तो कई जगह ऐसी हैं हमारे यहां कि जहां पर दूसरा काम नहीं हो सकता है सिवाय सड़कों के। इसलिए उनकी इजाजत दी जाय। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में ऐसी बात है कि डूंगरपुर और बांसवाड़े में क्या किया जा रहा है, आप खुद डूंगरपुर और बांसवाड़े के नुमायन्दे हैं आप वहां की समस्या को अच्छी तरह से समझते हैं। पहले से ज्यादा मजदूर अब काम करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक जानकारी करना चाहूंगा..

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे तो मुझे संतोष नहीं...

श्री मथुरादास माथुर : आपको संतोष होगा भी नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वैसे तो आप जैसा चाहें वह कह सकते हैं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह बिल्कुल एक ऐसा इश्यू है जिस पर जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जांच का मोहताज है यह मामला। अगर आप जांच कराने के लिये ना कहते हैं तो आपका अधिकार है ना कहने का। लेकिन अगर इसमें निष्पक्ष जांच होती है तो हम इस तरह की एवीडेंस दे करते कि आया इस रुपये का दुरुपयोग हुआ है या सदुपयोग हुआ है। जहां तक अकाल राहत कार्यों का सवाल है, दरअसल में उदयपुर में रुपया खर्च किया गया है और उसके मुकाबले में अन्य इलाकों में, जहां उसी हद तक दुष्काल है, जो खर्चा किया गया है वह बिल्कुल नगण्य है। अगर हम यह साबित कर देते हैं तो यह स्पष्ट हो जायगा कि इस अकाल राहत कार्य के सम्बन्ध में डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। अब इसमें बहुत सारी समस्या हो सकती हैं और बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, इसलिए आप चाहें तो आप ना कह सकते है। Don't face it. आप ना कह सकते हैं। लेकिन विरोधी पक्ष की यह मांग है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। यह ऐसा गम्भीर विषय है जिसके अन्दर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, डिस्क्रिमिनेट्री यह रुपया खर्च किया गया है। आज भी, मेरे ख्याल में, इस सम्बन्ध में जो कुछ भी खर्च किया जा रहा है वह अन्धाधुन्ध खर्च किया जा रहा है। अगर आप इस सम्बन्ध में जांच नहीं कराना चाहते हैं तो आप ना कह सकते हैं। यह तो एक सीधी-सादी मांग है इसको आप मानते क्यों नहीं है ?

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : अध्यक्ष महोदय, 226 गांवों में अकाल राहत कार्य

Page No. 29

(श्री जुझारसिंह)
शुरू नहीं किया गया है–यह तो आपने सूची में ही दिया है। 226 गांवों में यह स्थिति बताई है कि वहां अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किये हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो प्रश्न में बता दिया गया है। यह तो प्रश्न में आ चुका है।

श्री जुझारसिंह : इस प्रकार जो अकाल राहत कार्यों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसको मैं हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि 1964-65 के अकाल के वक्त जिस समय इस सदन में बहस हुई थी उस समय सरकार की ओर से राजस्व मंत्री ने जानकारी दी थी कि सड़क बनाने का काम अकाल राहत कार्यों से अलग कर दिया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : क्या ?

श्री भैरोंसिंह : जिस कमेटी का आप रेफरेन्स दे रहे हैं, क्या यह सही है कि उसके दो तीन वर्ष पहले इस प्रकार का डिसीजन ले लिया गया था कि अकाल राहत कार्यों में सड़क का काम चालू नहीं रखा जायगा ?

श्री मथुरादास माथुर : ऐसा निर्णय नहीं लिया गया था कि सड़क का काम अकाल राहत कार्य में नहीं लिया जायगा। ऐसा निर्णय लिया गया था कि नाड़ियां खोदने का जो काम है, वह जहां तक हो सके, अकाल राहत कार्यों में नहीं लिया जाय। इसके अलावा जो सड़कें प्लान में हैं वह अकाल राहत कार्यों में लेंगे। जो इन्टर-स्टेट और स्टेट रोड्स हैं वह अकाल राहत कार्यों में लेंगे। और इनके बाद भी कोई काम नहीं हो तो हमारे यहां जो दूसरे काम हैं–इरिगेशन, माइनर इरिगेशन के काम हैं, उनको हाथ में लिया जायगा। और फिर रोड्स को प्रायोरिटी लिस्ट में एड कर दिया गया है। इसलिए रोड्स का काम बन्द करने का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सड़क का काम अकाल राहत कार्यों में नहीं लिया जायगा, और सड़क का काम लेना बन्द कर दिया जायगा–यह निर्णय लिया गया था ?

श्री मथुरादास माथुर : ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। नाड़ी खोदने का काम अकाल राहत कार्यों में नहीं लिया जायगा। यह था। आप कन्फ्यूज कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं इस हद तक रेफरेन्स देने को तैयार हूं ...

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर है ! आर्डर प्लीज !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : I am sorry.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने भारत सरकार के द्वारा नियुक्त कमेटी और उस कमेटी की रिपोर्ट का रेफरेन्स इस हाउस में दिया है और उस कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर सदन को कुछ जानकारी दी है। सदन के नियमों के अनुसार यदि किसी कमेटी की रिपोर्ट या

(श्री भैरोंसिंह)
किसी डाकूमेंट का रैफरेन्स इस सदन में दिया जाय तो नियमानुसार यह जरूरी होता है कि सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए उसे सदन की मेज पर प्रस्तुत किया जाय। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यदि मंत्री महोदय उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की बात मानते हैं तो उसे सदन की मेज पर रख दें, अन्यथा इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था इस सदन में देने को मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा।

श्री रामकिशन : मान जायेंगे। मानने में क्या दिक्कत है।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, उस कमेटी की रिपोर्ट इस सदन में रखी जाती है जो कमेटी इस सदन द्वारा बनाई जाती है। जिस कमेटी की रिपोर्ट इस सदन की मेज पर रखी जाती है, उस मायने में यह कमेटी या इसकी रिपोर्ट नहीं है। भारत सरकार के एक्सपोर्ट्स हमारे यहां इस बात को देखने आये थे, जैसे वह बिहार गये थे कि इन्टेन्सिटी आफ फेमिन कितनी है और कितना असिस्टेन्स हमको सेन्ट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। उन्होंने उस वक्त कहा था कि रोड्स का काम जो है वह अकाल राहत कार्यों में बन्द कर दें। उन्होंने ऐसा कहा इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। वैसे उन्होंने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दी है। वह राजस्थान सरकार को नहीं दी है हमें तो सिर्फ इन्फारमेशन के लिए दी है इसलिए उसको सदन की मेज पर नहीं रखा जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा, जब आप गृह मन्त्री थे तब एक बार आपने इसी प्रकार का एक डाकूमेंट इस सदन में पेश किया था जो इस सदन द्वारा नियुक्त समिति से सम्बन्धित नहीं था और न सदन के द्वारा नियुक्त समिति का प्रतिवेदन था। आपने उस समय गृह मन्त्री के रूप में उस डाकूमेंट को रैफर किया था और उसको सदन की मेज पर प्रस्तुत किया था। अब आज की स्थिति में राजस्थान के मन्त्री महोदय यह कहें कि इस कमेटी की रिपोर्ट केवल भारत सरकार के पास पहुंची है, तो समझता हूं कि यह कहना किसी के लिए भी शोभाजनक नहीं है। इस कमेटी की रिपोर्ट राजस्थान सरकार को मिली है, राजस्थान सरकार के पास मौजूद है, फिर भी वह उस रिपोर्ट से इस सदन को वंचित रखना चाहें तो बात दूसरी है लेकिन यह कह कर मन्त्री महोदय बरी नहीं हो सकते हैं कि यह रिपोर्ट इनके पास नहीं भारत सरकार के पास पेश हुई है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर ! यह पाइन्ट आफ आर्डर, जो माननीय सदस्य ने उठाया है, और जहां तक उसका मुझसे सम्बन्ध है, इस आसन पर मेरे आने के बाद मेरे अतीत की स्मृतियां धूमिल हो गई हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह तो उम्मीद करते थे।

श्री अध्यक्ष : इसलिये मैं इस सम्बन्ध में मौन रहना उचित समझता हूं। जहां तक दस्तावेज का सवाल है जिसका रेफरेन्स कर दिया जाय उसको देखने का अधिकार माननीय सदस्यों को है, अथवा सदन की मेज पर रखने का अधिकार है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि ऐसे नियम का पालन होता रहे इस सदन में तो बहुत कुछ सदन में

(श्री अध्यक्ष)

होने वाले भाषणों का ऊंचा स्तर हो सकता है। लेकिन प्रायः जो रैफरेन्स दस्तावेजों के कागजों के, यदाकदा इस सदन में दिये जाते रहे हैं उन पर कभी भी जोर सदन की मेज पर रखने का अथवा देखने का नहीं दिया जाता रहा है, यद्यपि यह नियमों के अन्तर्गत आता है कि यदि कोई भी डाकूमेंट का रेफरेन्स किया जाय तो इस सदन के सदस्य अधिकारी हैं उसे देखने के और उसके साथ ही प्रीवियस नोटिस भी कुछ अंशों में आवश्यक होता है। फिर भी चूंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और माननीय सदस्य यह समझते हैं कि आगे आने वाली डिबेट में भी इस नियम का ठीक तरह पालन किया जाय और यह हमें सहायता भी देगा बहुत कुछ जो इर्रेलेवेन्ट प्रश्न स्पीचेज में आते हैं उनको कम करने में–इसलिए मैं इसके ऊपर अपनी व्यवस्था को रिजर्व रखता हूं। इसको मैं स्वयं देखूंगा और फिर व्यवस्था दूंगा।

कई माननीय सदस्य : वाह ! वाह !!

महारावल लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जिस रिपोर्ट का हवाला दिया गया है वह कोई सीक्रेट डाकूमेंट है या पब्लिक डाकूमेंट है ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह रिपोर्ट भारत सरकार के द्वारा नियुक्त कमेटी की है जो उसने भारत सरकार को दी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मथुरादास माथुर : उस पर हमारा क्या अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा निवेदन . . .

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दफा और फिर से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह इन्फोर्मेशन सीक करना चाहता हूं कि यह भारत सरकार के द्वारा नियुक्त कमेटी की रिपोर्ट है, जिसका हवाला दिया गया है, यह कोई सीक्रेट डाकूमेंट है या नहीं ? इस सम्बन्ध में जानकारी देने के मामले को आप अवाइड क्यों करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। इसके सम्बन्ध में मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। मैं स्वयं देखूंगा। आपका प्रश्न भी उसमें आ जाता है। व्यवस्था से सारे प्रश्नों का स्पष्टीकरण हो सकेगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि व्यवस्था आपने रिजर्व की है यह तो श्रेयस्कर है और बहुत अच्छा डिसीजन आपका इस पर होगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई डाकूमेंट रेफर कर दिया जाय, तो उसको सदन की मेज पर पेश करने के लिए कहा जाता है। यह इस सदन का प्रिविलेज है और उस प्रिविलेज को क्लेम करते हैं। अगर वह प्रिविलेज . . .

श्री अध्यक्ष : सूची मिल जायगी। आर्डर प्लीज।

(राज्य/प्रश्नोत्तर द्वारा प. 4 देखें)

12.18 म० प०

शोक प्रस्ताव !

(स्व० ले० कर्नल अमरसिंहजी, बनेड़ा के प्रति श्रद्धांजलि)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय नेता महोदय, विरोधी दल ने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि लेफ्टीनेन्ट कर्नल श्री अमरसिंह जी बनेड़ा का देहावसान हो गया है। उस सम्बन्ध मे इस सदन के सम्मुख शोक प्रस्ताव या शोक की भावनायें उपस्थित होनी चाहिए थीं। यह खेद का विषय है कि इसकी सूचना समय पर नहीं मिल सकी और नियमों को देखा गया तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिलता जिससे राज्य सरकार को नियमों के आधार पर सूचना देने के लिए बाध्य किया जाय कि उन्होंने सूचना क्यों नहीं भेजी। लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि यद्यपि ऐसे मौके बहुत कम आयें, लेकिन सभी कलेक्टर्स को यह हिदायत राज्य सरकार के माध्यम से कर दी जाय कि ऐसी घटनाओं की तुरन्त इस सदन को सूचना दें।

श्री रामकिशन : सूचना के लिये मरना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : सीरिअसली लीजिये, यह शोक प्रस्ताव है-इसको सीरिअसली लें। मैं सिर्फ ऐसे मौके पर यह निवेदन कर दूं कि ले. कर्नल श्री अमरसिंह बनेड़ा सन् 52 से 57 तक इस विधान सभा के सदस्य थे। मैं विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगा कि यदि वे चाहें तो इस संबंध में अपनी भावनाएं व्यक्त करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्परा यही रही है कि इस तरह के प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। वो या तो आसन की ओर से इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जावे या सदन के नेता की ओर से रखा जावे। मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष की तरफ से यह इस प्रकार का प्रस्ताव आता है तो यह उपयुक्त नहीं है। ····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर ! मैं विरोधी दल के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। आसन की तरफ से भी प्रस्ताव आ सकता है, इधर बैठने वाले माननीय सदस्य और नेता की ओर से भी प्रस्ताव आ सकता है और आपकी ओर से भी आ सकता है। इसमें प्रायोरिटी का कोई प्रश्न नहीं है। आसन बाद में आपकी भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को भी समाहित करेगा।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, बनेड़ा के ले० क० श्री अमरसिंहजी सन् 52 से 57 तक हमारे सदन के सदस्य थे। वे बड़े बुजुर्ग और गंभीर थे। मैं खुद इस सदन के सदस्य होने के नाते उनसे काफी परिचित था। वे सरल स्वभाव के थे और बड़े धर्मात्मा थे। जब कभी हम उनसे मिलते थे तो विरोधी दल में होते हुए भी वे इधर बैठने वालों से सहानुभूति रखते थे। मुझे उनसे कई दफा बनेड़ा में मिलने का भी मौका मिला। वे अच्छे विचारक थे और इस बदलते हुए जमाने में नये विचारों में प्रजातान्त्रिक विचारों का समावेश करने को तैयार थे। आज उनके निधन से बनेड़ा में ही नहीं, उदयपुर में ही नहीं बल्कि हम सभी साथियों को और सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों को बड़ा दुख है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये, अपने दल की ओर से और सदन की ओर से उनके परिवार वालों को हमारी तरफ से कन्डोलेन्स भेजा जाये, इसके लिये निवेदन करूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे दल की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। राजाधिराज अमरसिंहजी एक पुरानी संस्कृति के प्रतीक थे। सारे उदयपुर डिविजन में सभी तबकों के लोग उनको इज्जत की भावना से देखते थे। वे दूरदर्शी और सच्चे सलाहकार थे। मेरे खयाल से उनके निधन से जो क्षति पहुंची है उसकी पूर्ति होना बहुत कठिन है। मैं उनकी दिवंगत आत्मा के प्रति शांति के लिए प्रार्थना करूंगा राजाधिराज अमरसिंहजी, बनेड़ा के शोक ग्रस्त परिवार के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं विरोधी दल के नेता महोदय ने और इधर से भी जो संवेदना की भावना ले. क. अमरसिंहजी के निधन पर प्रकट की उन संवेदनाओं की भावना के साथ मैं अपनी भावना भी प्रकट करता हूं। शुरू से ले. क. अमरसिंहजी महद् राज सभा उदयपुर, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा आदि अनेक संस्थाओं के सदस्य रहे और मेवाड़ राज्य की परामर्शदात्री सभा के प्रथम गैर सरकारी सभापति हुए। आपको राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति से विशेष अनुराग था। आपने भारत के लगभग सभी ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों का भ्रमण किया है। आपको विशेष रुचि निशानेबाजी और भ्रमण में थी। आप बड़े लोकप्रिय और शांत थे और विशेष व्यक्तियों में से मेवाड़ राज्य में गिने जाते थे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दो मिनट खड़े होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें।

(दो मिनट के लिये सदन ने खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की)

(12.25 म. प.)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री दुर्गालाल बादवार (हवामहल, जयपुर) : प्रोन ए पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर सर, मैं निवेदन करूंगा कि उद्योग मंत्री कुछ उद्योगों की रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसकी तालिका तो बहुत लम्बी है और मेरा पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर, चार पांच बातों के बारे में इस प्रकार है कि मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लि. से सम्बन्धित 21वीं, 22वीं एवं 23वीं रिपोर्ट पेश करने जा रहे है। इसी तरह एसोसियेटेड ग्रायरन एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रामगंज मण्डी का तीसरा व चौथा वार्षिक प्रतिवेदन। ओरियन्टल पावर केबिल्स लि., का पांचवां प्रतिवेदन और अन्त में जाकर धौलपुर ग्लास वर्क्स लि. का 20वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब इस प्रकार से प्रतिवेदन यहां पर प्रस्तुत किये जा रहे हैं तो बीच के प्रतिवेदन कहां है? पिछली कार्यवाही के प्रतिवेदन कहां है? इस प्रकार पुराने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये बिना आप किस प्रकार से उनके औचित्य को समझ सकेंगे। अगर इस प्रकार की परिपाटी डाली है तो मैं कहूंगा कि यह गलत होगा और माननीय सदस्यों को जो अधिकार है कि उनकी इस प्रकार जांच करे, वह कैसे कर सकते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इन पर विचार करके अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न प्रस्तुत कर रखा है और उसमें आपका प्रश्न भी आ जाता है। इसलिये इस पोइंट ग्रॉफ ग्रॉर्डर को मैं अभी डिस ग्रॉर्डर कर देता हूं।

Page No. 34

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा पोइन्ट ऑफ ओर्डर यह है · · · · ·

श्री अध्यक्ष : यह मेरे अधिकार क्षेत्र में आ गया है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार जयपुर) : विशेषाधिकार के प्रश्न का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : वे पत्र रख दें उसके बाद।

श्री भैरोंसिंह : यह इन्हीं पत्रों से सम्बन्धित है। यदि वे अपनी परम्पराओं के अनुसार इतना कष्ट नहीं करते तो यह बात नहीं होती। यह उसी विशेषाधिकार का प्रभाव है जिसके कारण उद्योग मन्त्रीजी खड़े हैं। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन लेखों को सदन की मेज पर रखता हूं · · · ·

श्री रामकिशन (बैर) : Point of order, Sir, मैंने भरतपुर के लिये पानी के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके लिये कहा था कि सूचना आने पर। वह वक्तव्य सूचना आने पर कब दिलाया जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : आपका पोइन्ट ऑफ ओर्डर बिल्कुल मौन रहा है।

श्री रामकिशन : यह मेरा दोष नहीं है माइक दोष है।

माननीय सदस्य : वह भी तो व्यवस्था का ही प्रश्न है।

श्री रामकिशन : इसमें भी सरकार का दोष है।

श्री अध्यक्ष : इसको ठीक करके बातचीत करें।

श्री रामकिशन : अब सुनाई देने लग गया है मालूम होता है माइक ठीक हो गया है। मेरा स्थगन प्रस्ताव भरतपुर की पानी की किल्लत के सम्बन्ध में था। आपने कहा था कि जानकारी करके वक्तव्य दिलाया जायगा तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह वक्तव्य कब तक दिलाया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : इस बारे में माननीय मन्त्रीजी से बातचीत करके उनकी सुविधा की दृष्टि से और सदन की सुविधा की दृष्टि से वक्तव्य देने के लिये कहूंगा।

श्री रामकिशन : यह तो पानी का सवाल है, इसमें जनता की सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिये, जनता के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये। मंत्रीजी की सुविधा का ध्यान जनता की सुविधा से अधिक नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं इस बारे में व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट्स सदन की मेज पर रखी जाने वाली हैं उनके सम्बन्ध में आपके सामने एक विशेषाधिकार का प्रश्न है लेकिन इससे पहले कि माननीय मन्त्रीजी रिपोर्ट्स सदन की मेज पर प्रस्तुत करें उससे पहले आपको इस बारे में तो व्यवस्था देनी चाहिये कि आया इससे पहले की पुरानी रिपोर्ट्स को सदन के सामने लाया जायगा या नहीं ? बिना उन पूर्व रिपोर्ट्स को देखे क्या सदन का कोई भी माननीय सदस्य इन रिपोर्ट्स के आधार पर पूर्व जानकारी प्राप्त

(श्री रामानंद अग्रवाल)
कर सकेगा ? अतः आपकी इस बारे में तो व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले हैं इस तरह के कोई भी प्रतिवेदन आज तक राजस्थान विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। इस सदन में इस बारे में कई बार अध्यक्षीय व्यवस्था हुई है। उन व्यवस्थाओं की सरकारी पक्ष द्वारा अवहेलना हुई है। उसी विशेषाधिकार के प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के कारण यह व्यवस्था हुई है। यह जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं क्या सरकार इससे संबन्धित सारे पूर्व प्रतिवेदन को प्रस्तुत करेगी ? यह मैं समझता हूँ एक प्रकार से सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है कि कम्पनी कानून के मातहत और अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत जो ये प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखना अनिवार्य है जो आज तक सरकार ने नहीं किया। पहले से ही यदि यह परम्परा चालू की गई होती तो यह विधि और विधान की दृष्टि से उचित होता।

अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में 19 वें, 21 वें इस तरह के प्रतिवेदनों को उपस्थित किया जा रहा है क्योंकि यह कम्पनी लॉ और अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत रखना अनिवार्य है तो मैं क्या यह समझूं कि केवल इन प्रतिवेदनों के अलावा अन्य कोई प्रतिवेदन नहीं जिनको रखना आवश्यक हो ? मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उद्योगों से संबन्धित ऐसे समस्त प्रतिष्ठानों के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किया जा रहा है जो कम्पनी लॉ के तहत या राज्य सरकार या भारत सरकार के अधिनियमों के मातहत इस सदन की मेज पर जिनका रखा जाना लाजमी था। इनके अलावा कोई भी प्रतिवेदन नहीं बचा है जो सदन की मेज पर रखा जाना चाहिये।

दूसरा प्रश्न यह आता है कि जो प्रतिवेदन आज प्रस्तुत किये जा रहे हैं उनसे पहले के प्रतिवेदनों को इस सदन में पेश किया जायगा या नहीं। अगर उनको पेश नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से उनका तालमेल किस प्रकार से बैठ सकेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि ये प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं तो इनसे पहले के प्रतिवेदनों की भी व्यवस्था करायी जाय।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि इन प्रतिवेदनों की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखी जायगी। ऐसी हालत में जब कि हम कल से आम बजट पर वाद-विवाद करने वाले हैं उन प्रतियों का फायदा नहीं उठा सकते। एक प्रति से सब माननीय सदस्य जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिये मेरा निवेदन है कि विधान सभा के सदस्य होने के नाते हम भी एक प्रकार से उसके शेयर होल्डर हैं अतः शेयर होल्डर के नाते भी प्रतिवेदन को प्राप्त करना हमारा अधिकार है। अतः उन प्रतिवेदनों की एक एक प्रति माननीय सदस्यों को दिलाने की व्यवस्था के लिये आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कम्पनी लॉ के अनुसार कम्पनियों को अपने लेखे सदन की मेज पर रखना जरूरी था अगर उन्होंने नहीं भेजे हैं, या उन्होंने सरकार के पास भेज दिये हैं और सरकार की ओर से उनको नहीं रखा गया है, अथवा और कोई कारण से नहीं रखा गया है तो मैं उसकी जांच कराऊंगा और

(श्री हरिदेव जोशी)
कानून के अनुसार जो जरूरी होगा उसकी सारी व्यवस्था कर दी जायगी। इसके अलावा अगर कोई दोषी पाया जायगा, चाहे कोई सरकारी अधिकारी हो या अन्य, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

फिलहाल मेरे पास जो प्रतिवेदन आये हैं उनको सदन के समक्ष रखने के अलावा और कोई बात नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय आप व्यवस्था दें कि पूर्व प्रतिवेदन को रखा जाय अथवा नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : कानून के अनुसार आवश्यकता होगी तो रखा जायगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कानून के अनुसार ही तो देने की बात है।

श्री हरिदेव जोशी : अगर नियमों के अनुसार कम्पलियों रखने को बाध्य होंगी तो रखवाया जायगा अन्यथा उनको बाध्य नहीं कर सकते।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : There should be reasonable opportunity for the members to inspect the document.

श्री हरिदेव जोशी : नियमों के अनुसार जितना बाध्य किया जा सकता है उसके अन्दर मैं अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखूंगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी ओर से व्यवस्था चाहते हैं कानून के अनुसार तो एक प्रति सदन की मेज पर रख दी जायगी लेकिन जहां तक माननीय सदस्यों को इसकी एक एक प्रति देने का सवाल है उस संबन्ध में आपकी रूलिंग चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह आपके देखने की बात है कि कानून के अनुसार आप किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं किन्तु मैं कम से कम अपनी ओर से आश्वासन नहीं दे सकता कि कानून के प्रतिकूल किसी चीज को किसी से प्राप्त करने के लिये मजबूर कर सकूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : हम भी कानून के प्रतिकूल व्यवस्था नहीं चाहते हैं। आप कानून को समझने की कोशिश करें। जो कोई डोक्यूमेन्ट इन्सपेक्शन के लिये आप प्रड्यूस करना चाहते हैं वह डोक्यूमेन्ट कम से कम सब को देखने के लिये तो उपलब्ध करायें।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास विशेषाधिकार का प्रश्न आया हुआ है। उसमें मुझे देखना है कि इसमें माननीय सदस्यों का विशेषाधिकार का हनन है या नहीं अगर इनको सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाय तो इसमें कोई अनुचित नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आप विशेषाधिकार के सम्बन्ध में रूलिंग रिजर्व रखते हैं इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सरकार की ओर से जो आगे की रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं तो क्या इससे सम्बन्धित पुरानी रिपोर्ट्स भी प्रस्तुत की जायेंगी या नहीं, अभी नहीं तो क्या बाद में उनको पेश कर देंगे ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना आपके द्वारा प्राप्त करना चाहता हूं। आप जो कोई व्यवस्था विशेषाधिकार के सम्बन्ध में दें विचार करके दें, लेकिन श्री बाढ़दार ने जो विचार व्यक्त

Page No. 37

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

किये हैं उस सम्बन्ध में मंत्री महोदय सुविधाजनक तौर पर मध्यम मार्ग निकाल सकते हैं, अगर उन प्रतिवेदनों की पांच छः प्रतियां निकलवाकर विरोधी पक्ष को दो, जनसंघ को 2, जनता पार्टी और अन्य पार्टी को एक एक कापी वितरित कर दी जाती है तो मेरे ख्याल में सुविधाजनक होगा।

जो नई कम्पनियां हैं उनके लिए ज्यादा आवश्यकता नहीं पर पुरानी कम्पनियां हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि रिपोर्ट्स होनी चाहिये और यह स्वस्थ परम्परा है कि ऐसी चीज यहां पर आये। अब तक नहीं आई है तो उस पर विचार कर के आसन से व्यवस्था दी जायगी। तो मैं आपके द्वारा सरकारी बैंचेज से निवेदन करना चाहता हूं कि स्पेयर कापीज तैयार करवा दें।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर अपनी व्यवस्था देना चाहूंगा। मैंने जैसा पहले माननीय सदस्यों से निवेदन किया यह प्रश्न विशेषाधिकार के बारे में माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंहजी ने उठाया, मेरे विचाराधीन है। उसमें यह आडिट रिपोर्ट्स, कम्पनीज एक्ट के तहत रिपोर्ट्स या अन्य रिपोर्ट्स कहां तक नियमों के तहत सदन की मेज पर नहीं रखी गईं उसमें यह प्रश्न निहित है। मैं उस पर न कह कर यही कहूंगा कि यह रिपोर्ट जो अभी सदन की मेज पर प्रस्तुत की जा रही है, उनका कोई भी प्रभाव जो प्रश्न मेरे सम्मुख है, उस पर विपरीत नहीं पड़ेगा। यह रिपोर्ट विशेषाधिकार प्रश्न प्रस्तुत करने के बाद पेश की जा रही है, इसलिये माननीय सदस्यों को भ्रम हो सकता है। इसलिये मैंने माननीय सदस्यों से यह निवेदन किया।

अब मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करें।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदन लेखों को सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) मेसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लि. के डाइरेक्टर्स की वर्ष 1963–64, 1964–65 एवं 1965–66 से सम्बन्धित 21वीं, 22वीं एवं 23वीं रिपोर्ट व लेखे।

(2) मान इण्डस्ट्रियल कोरपोरेशन लि. जयपुर की वर्ष 1965 एवं 1966 से सम्बन्धित 19वीं, एवं 20वीं रिपोर्ट और लेखे।

(3) एसोसियेटेड आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रामगंज मंडी का तीसरा एवं चौथा वार्षिक प्रतिवेदन 1964 एवं 1965।

(4) कमानी इण्डस्ट्रियल कोरपोरेशन लिमिटेड की वर्ष 1964 एवं 1965 से सम्बन्धित आडिटर्स की रिपोर्ट।

(5) आदित्य मिल्स लिमिटेड के वर्ष 1964 एवं 1965 से सम्बन्धित प्रतिवेदन एवं लेखे।

(6) ओरियेन्टल पावर केबिल्स लि. का 31 मई, 1966 को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित पांचवां प्रतिवेदन।

(7) सांभर साल्ट लिमिटेड का 1964–65 से सम्बन्धित प्रथम प्रतिवेदन।

(8) दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का प्रथम

(श्री हरिदेव जोशी)
वार्षिक प्रतिवेदन, 1961-62 एवं द्वितीय वार्षिक, प्रतिवेदन, 1962-63।

(9) राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि. के वर्ष 1965 एवं 1966 से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन।

(10) दी जयपुर उद्योग लिमिटेड के 1964-65 एवं 1965-66 से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन।

(11) बीकानेर जिप्सम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 1965-66।

(12) उदयपुर काटन मिल्स का वर्ष 1965 से सम्बन्धित प्रतिवेदन।

(स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड की रिपोर्ट का एक भाग)

(13) दी जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड जयपुर के 30 सितम्बर 1964 एवं 30 सितम्बर, 1965 को समाप्त होने वाले वर्षों से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे।

(14) दी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा के 31 दिसम्बर, 1964 31 दिसम्बर, 1965 एवं 31 दिसम्बर, 1966 को समाप्त होने वाले वर्षों से सम्बन्धित कार्य विवरण एवं हिसाब तालिका।

(15) दी धौलपुर ग्लास वर्क्स लि. का 31 सितम्बर, 1966 को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित 20 वां प्रतिवेदन।

(16) श्री सादूल टेक्सटाइल्स लि0, श्री गंगानगर के 31 दिसम्बर, 1965 को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित लेखे एवं प्रतिवेदन।

(17) दी मेटल कोरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि का 1964 से सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : श्री माथुर।

स्थगन प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह : साहब, हमारे कई एडजोर्नमेंट मोशन्स हैं।

श्री जसराज : मेरा कल प्रिविलेज मोशन था।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर सीमा से सम्बन्धित मेरा प्रस्ताव है...

श्री अध्यक्ष : जी हां, है। जानकारी प्राप्त की गई है।

श्री भैरोंसिंह : ऐसे मामलों में जानकारी करने का नाम लेकर इन्हें छोड़ा गया तो फिर एडजोर्नमेंट मोशन रखने का कोई मतलब ही हल नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : मामला बहुत महत्वपूर्ण है, केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ है इसलिये जब तक जानकारी नहीं हो तब तक आगे का निर्णय देने की स्थिति में नहीं हूं।

(12.47 म. प.)

- डा. अम्बालालजी !

अजमेर की जल समस्या के सम्बन्ध में व अन्य स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जानकारी

डा. अम्बालाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अजमेर की जल

(डा० अम्बालाल)

समस्या पर स्थगन प्रस्ताव है। अजमेर की जल समस्या बड़ी विषम है, यह बड़ा भयंकर रूप धारण कर रही है, ढाई लाख आदमियों के प्राण संकट में हो गये हैं, यह कोई दलगत राजनीति का प्रश्न नहीं यह मानवता का और समूचे राज्य का प्रश्न है। कोई भी मन्त्री या कोई भी सज्जन वहां जाकर देखें तो रात को दो दो तीन तीन बजे माताएं, बहनों के क्यू में लग जाते हैं, आपस में मार-पीट गाली गलोज, लड़ाइयां होती हैं। एक रुपये में पानी का एक पीपा मिल रहा है। अजमेर के साथ वर्षों से बड़ा अन्याय हुआ है। हमारा विश्वास था कि राजस्थान में मिलने के बाद यह समस्या हल हो जायगी पर आज तक यह समस्या हल नहीं हो पाई है। आज यह समस्या बड़ा विषम रूप धारण कर गई है, आखिर सब्र की हद होती है। पिछले अगस्त में अजमेर के नागरिकों ने 5 दिन तक कम्पलीट हड़ताल की, ऐसी राजस्थान में कहीं नहीं हुई, इसके साथ साथ कई मित्रों ने, सभी पार्टियों ने, कांग्रेस को छोड़कर सब लोगों ने आमरण अनशन किया और शुरू में 3, इसके बाद 5, इसके बाद 10 और इसके बाद 18 आदमियों ने किया और इस प्रकार वह बढ़ता चला गया। इस समस्या से दुखी होकर मैं और कई मित्र डेपुटेशन ले कर यहां आये और मुख्य मन्त्रीजी से मिले, मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया कि यह प्रश्न तो हल होने वाला है, हल हो रहा है, इसमें आमरण अनशन की आवश्यकता नहीं, पाइप्स आ गये हैं, बहुत जल्दी ही पाइप लाइन बन जायेगी। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि हमें दिये गये आश्वासनों में से कोई आश्वासन पूरा नहीं हुआ। चुनाव हो गये। मैं विचित्र बात बता देना चाहता हूं, चुनावों के आते ही पाइप लाइन खुदनी शुरू हुई, इतनी तेजी से पाइप लाइन खुद गई कि मैं और जितने अजमेर के नागरिक थे सब समझने लगे कि अजमेर की पानी की समस्या तो अब हमेशा के लिये हल हो ही गई ...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो सभी जगह ऐसा ही करते हैं।..

डा. अम्बालाल : लेकिन हमारे लिये नया अनुभव था और बड़ा कटु अनुभव था।

मैं सदन को बताना चाहूंगा, यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि ज्यों ही चुनाव की तारीख खत्म हुई कि तीसरे दिन ही वे सारे पाइप, सारी पाइप लाइन समाप्त हो गई।

श्री दुगालाल बाढदार : यह सदुपयोग की व्याख्या हो रही है। मंत्री महोदय ने कहा कि सदुपयोग किया गया। इस तरह सदुपयोग किया गया, यह सदुपयोग की व्याख्या हो रही है।

सदन को सुन कर आश्चर्य होगा कि इस तेजी के साथ पाइप लाइन खोदी गई कि एक लड़का मर गया। तत्कालीन मंत्रीजी ने आश्वासन दिया कि 28 तारीख को पाइप लाइन लग जायगी, मुख्य मंत्रीजी ने भी कहा कि गर्मी में पानी आ जायगा पर आज तक पानी आया नहीं। आज वहां स्थिति बड़ी गम्भीर होती जा रही है मुख्य मंत्री जी से मिले ..

श्री भीमसेन : यह मोशन अलाऊ कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : थोड़ा रिवेक्शेशन किया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक्सपेन्शन लिस्ट में नाम नहीं इस लिये यह हड़बड़ाहट हो रही है क्या ?

Page No. 40

श्री अध्यक्ष : लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे माननीय सदस्य भी इसका उपयोग करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 74 वर्ष की उम्र है।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये।

डा. अम्बालाल : भविष्य के लिये क्या होगा ? भविष्य में कुछ नहीं हुआ तो अजमेर के सामने बड़ा विकट संकट पैदा हो जायगा। मैं आपको, मंत्री महोदय को एम्बेरेस करना नहीं चाहता। हमारे उस अजमेर में जीना दूभर हो रहा है। पुनः बहुत से लोग हंगर स्ट्राइक करेंगे। कई व्यक्ति यहां पर भी हंगर स्ट्राइक करेंगे। आखिर ढाई लाख आदमियों का संकट कैसे टलेगा ? आप इसको इमरजेंसी लेविल पर हल करें। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई पत्रों ने लिखा है कि क्यों कि अजमेर ने कांग्रेस को हरा दिया, इसका फल उसको भुगताया जा रहा है। यह शर्म की बात है राइटली या रोंगली, यह बात तो नहीं होगी लेकिन इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि यदि इस प्रकार का प्रचार है तो छोड़ देना चाहिए। चर्चिल जब इंग्लैंड के प्रधान मंत्री थे तो किसी ने आपत्ति की हमारी कान्सटीट्यूएन्सी के अंदर इस कारण से उपेक्षा हो रही है क्यों कि यहां लिबरल पार्टी के उम्मीदवार को जिताया गया। तब चर्चिल ने कहा कि यह शर्म की बात है इंग्लैंड की एक एक इंच जमीन हमारे लिए सेक्रेड है तो मैं आप से निवेदन करता हूं कि अजमेर से चाहे विपक्ष का उम्मीदवार जीता हो या कांग्रेस का, सारा राजस्थान आपके लिए समान होना चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर मैं निवेदन करता हूं कि इस समस्या को आप हल करें और इमरजेंसी लेविल पर हल करें।

श्री रावतराम (छापर): मेरे दो स्थगन प्रस्ताव हैं।

श्री अध्यक्ष : जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री हरदेव जोशी : यदि आप आदेश दें तो परसों ले लें।

श्री अध्यक्ष : परसों दे दीजिए।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, अजमेर की जनता पढ़ी लिखी जनता है, उसके धैर्य की सीमा होती है, सहन शक्ति की सीमा होती है, स्थिति सहन शक्ति के बाहर होती जा रही है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री देवीदत्त (बारां) : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आपने चेम्बर में मुझसे इस बारे में बात की थी। सदन के समय का उपयोग इस प्रकार न किया जाय। आप मुझ से मिले थे, मैंने आपको जानकारी दी, फिर आपने इस प्रश्न को यहां उठा लिया।

श्री नत्थीसिंह : परसों ही भरतपुर की जल समस्या के बारे में मंत्री महोदय उत्तर दे दें।

श्री हरदेव जोशी : मैं कह चुका हूं कि अजमेर के साथ में भरतपुर के सम्बन्ध में भी स्टेटमेंट दिया जायगा।

श्री रावतराम : मैंने दो स्थगन प्रस्ताव रखे हैं। फिलासपुर में जल समस्या है। दूसरा

Page No. 41

(श्री रावत राम)
स्थगन प्रस्ताव चूरू जिले में अकाल समस्या को लेकर रखा है। वहां आज तक कोई राहत कार्य नहीं हुआ है।

श्री लाभचन्द (सुजानगढ) : मैंने भी स्थगन प्रस्ताव रखा था। वहां हालत बहुत खराब हो रही है।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेन्ट मांगा गया है। मैं तारीख निश्चित करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : इन स्थगन प्रस्तावों के बारे में सरकार अगर दो-दो तीन-तीन दिन सूचना एकत्रित करने में लेगी तो सदन में इन स्थगन प्रस्तावों को मूव करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अच्छा यह हो कि नियमों में से स्थगन प्रस्तावों को मूव करने का प्रावधान ही निकाल दिया जाय। सरकार स्थगन प्रस्तावों को गंभीरता से नहीं ले रही है और यदि सरकार इन प्रस्तावों को गंभीरता से नहीं लेती है तो हमारे सामने कोई चारा नहीं कि हम स्थगन प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करें और सदन में सारी जानकारी दें। सरकार जानकारी देने में कोताही करती है। बाड़मेर का प्रश्न है कोटा में एटोमिक रीएक्टर जल गया, कारखाने में आग लग गई, सरकार मौन बैठी रही। अजमेर में पेय जल की समस्या है···

श्री हरिदेव जोशी : उसके लिए एक दिन तय कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : 4-4, 5-5 दिन बाद यदि दिन तय होता है, तो स्थगन प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव ओवरसीयर्स को नौकरी से निकालने के सम्बन्ध में दिया है।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेंट मांगा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तारीख कौनसी तय की है?

श्री अध्यक्ष : अभी चैम्बर में जाकर तय कर लूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिल्ली से जयपुर 132 के. वी. लाइन के सम्बन्ध में दिया है जो आज के लिए रखा गया था।

श्री हरिदेव जोशी : उसके लिए 31 तारीख अध्यक्ष महोदय ने तय की है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के बारे में प्रश्न उठाया। मैं उनसे निवेदन करूं कि इन स्थगन प्रस्तावों में अरजेंसी है, इनका महत्व है लेकिन मेरी व्यवस्था में जो स्थगन प्रस्ताव है, जिस पर कार्यवाही सदन की बैठक स्थगित की जा कर विचार किया जाय, उसमें अविलम्ब लोक महत्व मुझको प्रतीत नहीं होता है, तब मैं जानकारी या स्टेटमेंट मांग लेता हूं। उस हिसाब से अधीरता तो जरूर आती है, फिर भी जैसा मैंने निवेदन किया, यह प्रश्न अगर आप मुझसे पूछने के बाद भी यहां उठालें तो इसे समय का उपयोग नहीं कहा जा सकता। मैंने कई माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाया और उनसे कहा कि मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। खैर, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि··

श्री मदनसिंह (दांता) : अजमेर में पानी का प्रश्न ऐसा है कि एक एक क्षण काटना भी मुश्किल हो रहा है। पानी से अधिक महत्वपूर्ण चीज संसार में नहीं हो सकती।

(श्री मदनसिंह दांता)
अपने प्राणों की बाजी लगाकर आदमी प्यासा रहता है तो वहां का प्रतिनिधि यदि सवाल पूछता है...

श्री अध्यक्ष : क्या फरमाना चाहते हैं? माननीय सदस्य डा. अंबालाल ने विस्तार पूर्वक, भावनाओं के साथ और वेदना के साथ जिस ढंग से इस सवाल को यहां रखा, मेरे खयाल से, उससे सदन प्रभावित हुआ है, यदि आप उस पर कुछ कहेंगे तो प्रभाव घटेगा।

श्री दुर्गालाल बाढदार : लेकिन सरकार भी तो प्रभावित हो।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेंट 31 तारीख को दिया जायगा। मन्त्री महोदय कुछ कहते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अजमेर का परसों है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो घटना उसी दिन या एक दिन पहले हो उसमें सरकार जानकारी प्राप्त करने के लिए समय चाहे तो समझ में आ सकता है। परन्तु राणा प्रताप सागर के अणुबिजली घर की दुर्घटना 12 मई को हुई थी, आज 30 तारीख हो गई, 18 दिन हो गए। बेहतर तो यह था कि जब सदन की बैठक प्रारम्भ हुई तो सरकार की तरफ से स्वयं ही दुर्घटना के बारे में...

श्री अध्यक्ष : आपने तो भाषण आरम्भ कर दिया, यह प्रश्न कल लिया जा रहा है। अतः भाषण का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार कहती है कि उसके पास पूरी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कल सारा स्पष्टीकरण आ जायगा।

श्री भैरोंसिंह : मैंने कल विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना आपको प्रेषित की थी।

श्री अध्यक्ष : मैंने उस पर जानकारी प्राप्त की है, जिनके विरुद्ध आपने प्रस्ताव रखा है उनसे, आज शाम तक आ जायगी।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि सदन की कार्यवाही को उस समाचार पत्र ने गलत ढंग से रिपोर्ट किया है, वह रिपोर्ट इतनी घातक है कि जब तक उसका निराकरण न हो तब तक कोई और कार्यवाही न की जाय। एक सदस्य के बारे में जनता को बड़ा भ्रम पैदा होता है। इसलिए उनके महत्व को देखते हुए जब मैंने कल विशेषाधिकार का प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किया था तो उस समय मैंने निवेदन किया था कि शाम तक इस पत्रकार को यहां बुलाया जाय और सदन की बार में खड़ा किया जाय, क्योंकि पहली बार भी सदन में बिना कही हुई बात इस पत्र ने प्रकाशित करके इस सदन से माफी मांगी है। यदि कोई पत्र मोटिव्स को इम्प्यूट करके या माननीय सदस्यों पर दबाव डालने के लिए अपनी तरफ से गलत कार्यवाही का प्रकाशन करे तो मैं समझता हूं कि यह सदन की मानहानि तो है ही लेकिन इसमें सदन की प्रोटेक्शन का सवाल भी पैदा होता है। इसलिए इस प्रश्न का डिस्पोजल इस समय यदि आप न कर सकें तो सदन की बैठक समाप्त होने से पहले इसको लिया जाय। इसमें विशेष जांच की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो भाषण दिया, वह सदन की कार्यवाही में है। मेरे भाषण के कुछ अंश जो इस नवज्योति समाचार पत्र ने छापे

(श्री भैरोंसिंह)

है, वह काटकर मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। दोनों की तुलना से यह चीज स्पष्ट होती है कि मैंने जो चीज नहीं कही, वह समाचार पत्र ने छाप कर एक सदस्य के चरित्र पर लांछन लगाने की भरपूर चेष्टा की गई है। इसलिए शाम तक इसका डिस्पोजल होना चाहिए ताकि इस पत्र के कारण जो भ्रम पैदा हुआ है, उसका निराकरण किया जा सके।

श्री अध्यक्ष : जानकारी तो परमावश्यक है। इसलिये आवश्यक है कि जिसके विरुद्ध जो आप कार्यवाही कराना चाहते हैं उसके लिए सामान्य सिद्धांत है कि उसकी जानकारी की जाय, उसकी सुनवाई की जाय, उसके बाद निर्णय दिया जाय। इसलिए एक तरफा निर्णय देने में तो मैं विवश हूं। मैंने जानकारी करने के लिए उनको पत्र भेज दिया है।

(1 म० प०)

मैं उसमें और भी सक्रियता दिखाऊंगा कि जल्दी से जल्दी आज शाम तक आ जाय। यदि आज शाम तक प्राप्त नहीं हो सकेगा तो कल उसके सम्बन्ध में मैं व्यवस्था दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : एक व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। सदन की परम्परा रही है कि जब भी कोई एडजोर्नमेण्ट मोशन या विशेषाधिकार का प्रश्न या ऐसे प्रश्न जो इस सारे सदन से सम्बन्धित हों वे किसी माननीय सदस्य की ओर से उठाये जाते हैं तो उनका रेफरेंस इस सदन में किया जाता रहा है यद्यपि ऐसे एडजोर्नमेन्ट मोशन्स को या विशेषाधिकार प्रश्नों को एडमिट नहीं किया गया हो तो तब भी रिजेक्शन का उनका कारण बताते हुए इस सदन में मेन्शन किया जाता रहा है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होने से केवल कारेस्पोन्डेन्स से या चेम्बर में आपके सम्मुख माननीय सदस्य जो प्रश्न उपस्थित करें वह वहीं तक हो जाय तो ऐसे क्वश्चन का रिपीटिशन होगा। ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! ऑर्डर! मैं आपका सारांश समझ गया। परम्परा भी है और नियम भी है। जो कोई प्रश्न रिजेक्ट होता है उसके सम्बन्ध में सदन को सूचना दे दी जानी चाहिये। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है मैं सूचना न दूं। जानकारी करने के बाद स्टेटमेंट आदि प्राप्त करने के बाद जानकारी देनी चाहिये। उस प्रश्न की प्रगति के बारे में मैं माननीय सदस्यों को सूचना दे दी जाय तो उसके बाद में इस प्रश्न को सदन में उठाया जाना उचित नहीं है। जानकारी कैसी? जानकारी प्राप्त की जा रही है या स्टेटमेन्ट प्राप्त किया जा रहा है। बाकी रिजेक्शन के पोइन्ट पर बराबर परम्परा रही है, सूचना दी जाती है कि लोक महत्व का है या नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी ओर से सूचना यह है ...

श्री अध्यक्ष : उसके सम्बन्ध में मैं स्वयं निर्णय ले लूंगा। आसन ग्रहण करें।

श्री जसराज (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के बारे में क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा कि मैं उसका कल निर्णय दूंगा।

(1.03 म० प०)

अधिक अनुदानों की मांगों का उपस्थापन

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक अनुदानों की मांगें

(श्री मथुरादास माथुर)

1964-65 के विवरण का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, विवरण का उपस्थापन करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1964 के एप्रोप्रियेशन कानून के मातहत राज्य सरकार को 15283.77 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार दिया गया था उसके बाद में दो सप्लीमेन्टरी एप्रोप्रियेशन कानून पास करके 5,141.13 लाख का अधिकार दिया गया। इस प्रकार कुल 20,424.90 लाख खर्च करने का अधिकार मिला। उसमें से जो आडिट रिपोर्ट आयी है उसके आधार पर 17,405.04 लाख खर्च हुआ और इसके अन्दर 3019.86 लाख रु. की बचत हुई थी। मगर अलग अलग ग्रान्ट्स के मातहत कुछ अधिक खर्च हो गया जिसको पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के आदेश के अनुसार आज्ञा के लिये पेश की जाती है। अत: 1,51,80, 235 रुपयों की यह एक्सेस डिमान्ड 64-65 की वह सदन के सामने प्रस्तुत है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को विदित करना चाहूंगा कि अनुदानों की मांगों पर मतदान किया जा कर तत्पश्चात् विधेयक पर भी आज ही विचार किया जाना है। मेरी व्यवस्था यह है कि 4।। बजे मांगों पर विचार कर लिया जाय तत्पश्चात् मुख बंद का प्रयोग किया जाय और मतदान से पास करा लिया जाय। मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

(स्वीकृत)

श्री हरिदेव जोशी : मांगे सब एक ही बार मूव करदी जायं।

श्री अध्यक्ष : yes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 26 मई को सदन से जल्दी चला गया था। मेरी अनुपस्थिति में बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें सदन में कहीं बतायीं जिनका विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है जिसके सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार प्रश्न माननीय भैरोंसिंहजी ने उपस्थित किया है। मैं उस रोज कमीशन के लिये तैयारी करने के सम्बन्ध में जल्दी चला गया था। मुझे दुःख है कि उन्होंने मेरी अनुपस्थिति में मेरे विषय में कुछ कहा। वे यहां अभी उपस्थित नहीं हैं। उस सम्बन्ध में मैं अपना स्पष्टीकरण वे जब यहां आजावेंगे तब ही दूंगा। मैं कल कमीशन में व्यस्त रहने के कारण उपस्थित नहीं हो सका। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे विरुद्ध माननीय भैरोंसिंहजी के विरुद्ध और विरोधियों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा उसके लिये जहां तक स्पष्टीकरण का प्रश्न है मैं उसको देखने के बाद उनकी उपस्थिति में ही कहना चाहूंगा इसके लिये मैं आपसे इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

शिक्षा मंत्री (श्री बरकतउल्ला खां) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा के सम्बन्ध में संचनित निधि में से 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 47, 78, 538 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(1.09 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)।

सिंचाई मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 25 मुख्य शीर्षक 42, बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में संघनित निधि में से 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10, 21, 430 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43, सिंचन। नौचालन तट बंधन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक), 44 सिंचन, नौचालन तट बंधन तथा जल निकास निर्माण (अवाणिज्यिक) के सम्बन्ध में संघनित निधि में से 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,96,098 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30, जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में संघनित निधि में से 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,73,816 रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 48 मुख्य शीर्षक था राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में संघनित निधि में से 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,98,046 रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष: अधिक अनुदान की मांगों के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

(इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।)

मांग संख्या 15

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर): मांग संख्या 15. मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (निर्धनता के आधार पर निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षकों के फिक्सेशन में ढिलाई के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षकों के पुराने बकाया के मामलों को निपटाने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (मत्स्य राज्य में 1-9-48 को 80 अध्यापकों को 50-3-80 का स्पेशल ग्रेड दिया था, उनका फिक्सेशन अभी तक नहीं किया गया है; उसके कारणों पर चर्चा के लिये)।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा से 100) रु० कम कर दिया जाय (भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता व छात्रवृत्तियां अनुसूचित जातियों व जन जातियों को नहीं दी जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (छात्रवृत्ति का वितरण कोई आधार बनाकर नहीं किया गया, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की सजगता की कमी के कारण दावों की धनराशि मय खर्चे चुकाने के बाबत में, चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा में से 100) रु० कम कर दिया जाय (देहातों की प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने पर ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामकिशन (वैर) मांग संख्या 15 मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा में से 100) रु. कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले के शिक्षकों के फिक्सेशन के मामले में ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 25

श्री गिरधारीलाल व्यास (बासीन्द) मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 42–बहु प्रयोजन नदी योजनायें में से 100) रु० कम कर दिया जाय (चम्बल परियोजनाओं की नहरों से पूरा पानी नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 26

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43–सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) में से 100) रु० कम कर दिया जाय (अलवर तहसील स्थित विजय सागर बान्ध की मोरियां न खोलने से राज्य को सिंचाई शुल्क में हुई हानि पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)

मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (अलवर में वाटर वर्क्स को पानी सप्लाई न कर सकने में शासकीय ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (अजमेर में जल प्रदाय योजना के लिए स्ट्रक्चरल एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी, बम्बई, द्वारा नियत समय में पाइप सप्लाई न करने और अनुचित लाभ उठाने पर चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर)

मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (देहाती जल प्रदाय योजनाओं के प्रथम चरण में केवल पम्प व टैंक योजना को शामिल करने पर चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (वाटर सप्लाई स्कीम्स जो स्वीकृत की गई उन्हें पूरी कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम हाड़ेचा, तहसील सांचोर, जिला जालोर की जल प्रदाय योजना के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल दिये जाने की व्यवस्था के सुधार के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजनाएं उपयुक्त जगहों पर लागू नहीं की गई थीं, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल जयपुर) : मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन-स्वास्थ्य में से 100) रु० कम कर दिया जाय (जल प्रदाय योजना के निलम्बन के कारण जल वितरण व्यवस्था में कठिनाई उत्पन्न हुई, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री हरिदेव जोशी : शेष मांगों पर कट मोशन्स नहीं हैं और प्रायरिटी में भी नहीं हैं। प्रायोरिटी में हों उन्हीं को मूव किया जावे।

श्री दुर्गालाल बाढदार : इन मांगों पर कटोती प्रस्ताव है मेरा उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढदार।

श्री दुर्गालाल बाढदार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के समक्ष शिक्षा की एक्सेस डिमाण्ड के विषय पर विचार करने का प्रश्न उत्पन्न हो रहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : On a point of information, Sir, मैंने भी शिक्षा के सम्बन्ध में कटोती प्रस्ताव की सूचना दी है वह इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : वह रिजेक्ट हो गया है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1964-65 के वित्तीय वर्ष की जो मांग आज 1967-68 के वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत की जा रही है, मैं वह मानता हूं, इस प्रकार से एक्सेस डिमाण्ड्स पर चर्चा करना मात्र रहेगा यह तो हिसाब का मामला है, सरकार खर्च कर चुकी, किसी भी कटोती प्रस्ताव के द्वारा इस बहरी सरकार के कानों तक फिर भी आवाज पहुंचाना चाहता हूं। यह एवर स्लो मूविंग मशीनरी आफ गवर्नमेंट 64–65 में खर्च करती है और उसका हिसाब अब आ रहा है। हिसाब आपके पास समय पर नहीं आता और तीन साल बाद मांग को प्रस्तुत करना चाहते हैं पर उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की आपकी इच्छा नहीं होती।

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं और उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार तक यह आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि जनता के प्रति इस उदासीनता की प्रवृत्ति को दूर करें, जनता के फायदे और नफे नुकसान के प्रति आपने उदासीनता की प्रवृत्ति अपना रखी है, लेकिन इन परीक्षाओं के मामले शिक्षा के मामलों में भी ढिलाई अपना रखी है। इसका परिणाम यह होगा कि जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं उनमें अव्यवस्था होगी प्रारम्भ हो जावेगी इसलिये राजस्थान सरकार को चाहिये कि गलत बातें नहीं होनी चाहिये। हमें स्पीडी होना चाहिये। समय पर आंकड़े भेज दिये जाने चाहिये। और फिर स्पीडी और सही हिसाब सदन में पेश होना चाहिये।

दूसरी बात, इस शिक्षा के सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं। यह महत्वपूर्ण विषय है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के बारे में राज्य सरकार सही माने में अपनी विचारधारा रखती है और सही माने में न्याय करती है तो अच्छी बात है। स्कालरशिप वगैरह के मैटर हैं, सही व्यक्तियों को वह अगर समय पर मिलते हैं तो मैं समझता हूं कि राष्ट्र की यह सब से बड़ी सेवा है और बड़ी उपयोगी चीज है।

लेकिन आज क्या देखा जा रहा है कि इस सरकार द्वारा ऐसे मामलों में जिनमें व्यय नहीं करना चाहिये, जिनमें राज्य सरकार की इनर्जी खर्च नहीं करनी चाहिये वहां तो खर्च करने जा रही है। पर जहां टीचर्स की पेन्शन का सवाल है, इन्क्रीमेन्ट्स का सवाल है, क्वालिफिकेशन का सवाल है, बी. एड. की डिग्रियां हासिल करके प्रोमोशन देने और तनखा देने का सवाल आता है तो हुकूमत कान बन्द कर लेती है उस तरफ से। ऐसे बहुत से इन्सटान्सेज मेरे सामने आये हैं। बहुत से टीचर्स की ग्रीवान्सेज हैं। एक पे स्केल पर उनको नियुक्त कर दिया जाता है, पर बाद में अधिक क्वालिफाइड होने पर हायर एकेडेमिक क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लेने पर हायर ग्रेड में फिक्सेशन का सवाल आता है तो उनका प्रश्न सालों तक सरकार द्वारा नजर अन्दाज कर दिया जाता है। बहुत से ऐसे भी मसले आते हैं जिनके बारे में सरकार सुनने की भी कोशिश नहीं करती।

मैं आगाह करना चाहता हूं सदन के माननीय सदस्यों को भी कि जब सदन से किसी विभाग विशेष के खर्चों की सैंक्शन सरकार लेती है तो सदन का कर्तव्य हो जाता है कि वह यह भी देखे कि सरकार की मशीनरी किस तरह से काम कर रही है। यह मशीनरी स्पीडिली काम करती है या नहीं और स्टाफ, टीचर, स्टूडेन्ट्स आदि को फेसिलिटी देती है या नहीं।

पर उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान सरकार उन बातों पर ध्यान न देकर जिस समय एजूकेशनल सेशन चलता है, एग्जामिनेशन्स चलते हैं तो एग्जामिनेशन्स की व्यवस्था ठीक नहीं करते, परचे आउट हो जाते हैं। विद्यार्थियों को इम्तिहान छोड़ छोड़ कर दो दो हफ्तों का गेप पड़ता है। ऐसी दिक्कतें इस शिक्षा विभाग के नीचे चल रही हैं। जहां मांग का सवाल आता है मांग लेकर सदन में आती है सरकार, तो हमारा यह फर्ज हम समझते हैं कि इस समय राज्य सरकार के कानों में ऐसी बातें पहुंचावें। राज्य सरकार उन पर विचार करे।

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

तथ्यों को समझ कर गलतियों को ठीक करने की चेष्टा करें और यह भी कोशिश करें कि आइन्दा ये दिक्कतें फिर न आवें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपका छात्रवृत्ति के मामले में ही कटौती प्रस्ताव है। आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : किसी इन्स्टान्स को साइट करने के लिए इर्रेगुलेरिटीज बताने के लिए मैं निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार इन बातों की ओर, इनको दूर करने की ओर ध्यान नहीं देती, बल्कि ऐसे काम करती है जिनसे वह स्वयं बदनाम होती है। उदाहरण के तौर पर उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं यह रिलेवेन्ट जरूर है, एवीडेन्स एक्ट के मुताबिक और इस तरह से इसे विषयान्तर नहीं माना जावेगा।

मैं इतना ही निवेदन करूंगा। आपको मालूम होना चाहिये कि हम लेजिस्लेचर के सामने खड़े हैं। संविधान के अन्तर्गत कानून के बनाने वाले हैं, कानून को देखते ही आपका प्रश्न नहीं उठना चाहिये। मैं एक इन्स्टान्स देना चाहता हूं। एजूकेशनल डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी ज्यादती मौजूदा साल में मेरे सामने हुई, वह मैं बताऊंगा। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के बच्चे का इम्तिहान था। सेन्टर पुरानी बस्ती की स्कूल में रखा गया। क्या कारण है कि एक स्पेशल तरह का इम्तिहान करके एक ही बच्चे के लिए एक सेन्टर कायम किया गया और इसके बाद स्पेशल टाइप से इम्तिहान का प्रबन्ध किया गया मैं यह इसलिए बताना चाहता हूं कि एजूकेशन विभाग क्या करता है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका कट मोशन है उसमें सिर्फ जो बात आपने कही है उससे अधिक दूसरे बाहर के मामलों पर नहीं कह सकते।

आपको निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति देने के बारे में कहना है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : जहां तक स्कालरशिप का मामला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरिट्स और नियमों के आधार पर जिस तरह डिजर्विंग कैन्डीडेट को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती, बल्कि शिक्षा विभाग ने क्या किया। जोधपुर विश्वविद्यालय को रकम दी गई वह ऐसे अवसर पर दी गई जिसका हिसाब समय पर नहीं दिया जा सकता था। विश्वविद्यालय पर मंत्री महोदय अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए रकम देने का सवाल आता है तो वक्त का इन्तजार करते हैं कि किस तरह से फलां काम फलां व्यक्ति से कराया जा सके। स्कालरशिप बांटने में यही वृत्ति रखते हैं। तो इनके कारण अकाउन्ट्स में गड़बड़ियां पैदा होती हैं। वक्त पर अकाउन्ट्स पास नहीं होते। ये बातें भ्रष्टाचार को जन्म देती हैं। कोई गलत काम होता है तो उनको सुधारने का उत्तरदायित्व मन्त्रीजी पर है। मैं यह कहूंगा कि विभागों की यह गलती नहीं हो सकती। या तो ये इस काबिल नहीं कि वक्त पर काम कर सकें और यदि उनमें काबलियत है तो उनके स्वयं के अन्दर कोई ऐसा दोष है जिसके कारण उनको दबना पड़ता है। ये दलीलें इस बात के लिए हैं कि या तो उनको स्पष्ट रूप से यह मान लेना चाहिये कि उनमें काबलियत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का माद्दा नहीं है और अगर माद्दा समझते हैं अपने में तो उनका वेस्टेड

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
इन्टरेस्ट ऐसा होना चाहिए, निहित स्वार्थ होना चाहिए कि जिसके कारण वे हिम्मत से काम नहीं कर सकते ।

तो माननीय उपाध्यक्ष, इस मांग पर केवल मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आइन्दा इस राज्य सरकार को चाहिए कि किसी भी विश्वविद्यालय को, किसी भी संस्था को, किसी भी विद्यार्थी को यदि स्कालरशिप देने का, अनुदान देने का सवाल हो तो वह उसको वक्त पर मिल जानी चाहिए विद्यालयों द्वारा कम खर्चे वाले, जिनके पास पैसा कम होता है, वक्त पर अनुदान नहीं मिलती है, स्कालर्स को वक्त पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है इससे उनकी पढ़ाई में नुकसान होता है। उसमें राज्य सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनके आराम में कोई दिक्कत नहीं आयेगी, किसी को क्लबों में जाने में दिक्कत नहीं आयेगी लेकिन उनको ट्यूशन जैसी चीज में इनकी गफलत की वजह से यदि शिक्षा जैसी संस्था में कोई अपवाद उत्पन्न होता है तो सब का दोष मंत्री मण्डल पर है। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप इसका ध्यान रखें और हर शिक्षण संस्था को समय पर अनुदान दिया जाये, हर विद्यार्थी को समय पर स्कॉलरशिप दी जाये और जो डिजर्विंग केन्डीडेट्स हों उनको स्कालरशिप दी जाये। इनका नियमन किया जाये और इसमें देरी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आपको कठिन से कठिन कार्यवाही करनी चाहिए और आपको स्वयं जागरूक रहकर इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के संबंध में·····

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह सब डिमाण्ड्स शामिल ली जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा के संबंध में बोल रहे हैं····

श्री गिरधारीलाल व्यास : जिन्होंने कट-मोशन्स दिये उनका भी नम्बर आ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : वह सब साथ ही मूव हो जायेंगी । एक के बाद एक मांग हो जायेंगी, सब ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपकी व्यवस्था के अनुसार अलग अलग डिमाण्ड के ऊपर अलग अलग बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : एक साथ ही बोल लीजिए क्योंकि सब डिमाण्ड्स एक साथ ही मूव की जा चुकी हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी जन स्वास्थ्य पर पानी का मामला है और जिस पर मुझे थोड़ा सा ही अर्ज करना है। मैं तो इसी भरोसे में रहा कि शिक्षा पर ही बोलने के लिए अनुमति प्रदान की है और इसी वजह से मैं शिक्षा के ऊपर ही बोलकर रह गया। पानी की तो इतनी सी बात है यह मंत्री महोदय सुन लें तो वह पूरी हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए। पहले शिक्षा की मांग को ले लेते हैं उसमें जितने कटौती के प्रस्ताव हैं उस पर चर्चा हो जायेगी और उसके बाद में दूसरी मांगें ले ली जायेंगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के संबंध में मैंने 3 कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं वह अधिकतर, जो अध्यापक वर्ग है, उनके फिक्सेशन के संबंध में या फिक्सेशन होने पर जो उनके वेतन की बकाया वगैरह होती है उसकी अदायगी के संबंध में और इसी प्रकार से संबंधित यह तीनों कटौती प्रस्ताव हैं।

उपाध्यक्ष जी, आज अध्यापक वर्ग में इस फिक्सेशन के सही तरीके से नहीं होने के कारण जितना जबरदस्त असंतोष है शायद इससे अधिक इस शिक्षा विभाग में और असंतोष का कोई और बड़ा कारण नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें जहां इसका एक अंग यह है कि जो सरकार ने नियमों के अनुसार वरिष्ठता सूची तय कर दी है उस वरिष्ठता सूची को कार्यान्वित करने के बारे में या उसके बारे में लोगों के संतोषजनक तरीके से एतराज सुनने के बारे में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से काम किये जा रहे हैं उनमें ढिलाई है इसके कारण से असंतोष है तो दूसरी ओर जो आधार इन वरिष्ठता सूची को तय करने के संबंध में तय किये गये हैं उनमें काफी ऐसी एनामालीज हैं, काफी ऐसी कमियां हैं कि साधारणतया जिनकी दलील समझ में नहीं आती कि सरकार ने वे वरिष्ठता सूचियां तय करते वक्त उन आधारों को किस तरह से तय किया और मिसाल के तौर पर उपाध्यक्ष जी, जो अभी हाल में सेकिण्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की वरिष्ठता सूची तय की गयी है उसमें सेकिण्ड ग्रेड के टीचर्स, जो भी थे उनकी इन्टर सीनियोरिटी इस बुनियाद पर तय की गयी है कि अमुक अध्यापक का उस ग्रेड में प्रमोशन या उसका अपोइन्टमेन्ट कौनसी तारीख को हुआ था और सबसे पहले जिस तारीख में जिसका हो गया वही उसमें वरिष्ठ करार दे दिया गया चाहे किसी की सर्विस, गवर्नमेन्ट सर्विस कितनी ही लम्बी हो, चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन्स हायर हों लेकिन सेकिण्ड ग्रेड में वह पहले दाखिल हो गया तो वह वरिष्ठ माना गया है। इसके विपरीत जो थर्ड ग्रेड है उसमें यह बुनियाद कि ग्रेड किसने कब लिया यह बुनियाद नहीं रखी गयी है बल्कि उसमें एजूकेशनल क्वालिफिकेशन्स अगर किसी आदमी की हायर है तो उसमें उस आदमी को वरिष्ठता दे दी गयी है। जिसकी सर्विस चाहे पहले की हो, पुरानी नौकरी हो लेकिन जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन्स हायर हैं-मिसाल के तौर पर इस थर्ड ग्रेड में मैट्रिक ग्रेड जो टीचर्स थे, जिनकी पुरानी सर्विस थी उनमें जो इन्टरमीडियेट टीचर्स थे उनको जूनियर रखा गया है चाहे इन्टरमीडियेट टीचर्स की सर्विस थोड़ी हो और मैट्रिक ट्रेण्ड की ज्यादा हो। तो सेकिण्ड ग्रेड में और थर्ड ग्रेड में यह बुनियादी अन्तर नहीं करना था और यह इसमें बड़ी भारी असंगति मालूम पड़ती है और जिसके कारण से बहुत ज्यादा असंतोष टीचर्स में है।

दूसरे सरकार ने इस ट्रेण्ड के प्रश्न को एक ऐसे ढंग से लिया है जिसको कि मैं समझता हूं कि व्यवहारिक नहीं है। बहुत से टीचर्स ऐसे हैं कि जो बहुत पुराने हैं और अनुभवी हैं, जिनकी 25-25 और 30-30 साल की सर्विस है लेकिन क्योंकि उस समय ट्रेनिंग का प्रबन्ध नहीं था और वह ट्रेण्ड नहीं हो पाये थे इसलिए उनके ट्रेण्ड नहीं होने के कारण सरकार ने उनकी ग्रेड एक मात्रा में आकर खत्म कर दी। सेकिण्ड ग्रेड वाले अनट्रेण्ड टीचर्स हैं उनकी 160 रुपये पर जाकर तरक्की खत्म हो जाती है,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

थर्ड ग्रेड वाले की 130 रु. पर तरक्की खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं उपाध्यक्षजी, ऐसे टीचर्स भी जो यूनीवर्सिटीज के एग्जामिनेशन्स के तौर पर ट्रेण्ड नहीं थे, लेकिन जिनको सरकार ने लेन्थ आफ सर्विस के आधार पर ट्रेण्ड मान लिया था ऐसे टीचर्स को भी जिनको ट्रेण्ड की गिनती में पहले से गिना जा रहा था अब जो वरिष्ठता सूची निकाली है उसमें उनको ट्रेन्ड नहीं मानकर अनट्रेण्ड के तरीके से रखा गया है। जैसे हमारे मत्स्य में कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनको कि लेन्थ आफ सर्विस के बुनियाद पर सन् 48 में इन्टरमोडियेट ट्रेण्ड मान लिया था, अलबत्ता वह किसी ट्रेनिंग कालेज में या एस. टी. सी. वगैरह पास नहीं थे लेकिन 15 साल की सर्विस होने की बुनियाद पर, अनुभव के आधार पर सरकार ने उनको ट्रेण्ड मान लिया और उसके मुताबिक उनको ग्रेड दे दी। लेकिन हमारी सरकार ने अब जो वरिष्ठता सूची तैयार की है उसमें ऐसे टीचर्स को जूनियर रख दिया गया है। एक टीचर की मिसाल मुझे पता है कि जिसका सेकिण्ड ग्रेड में 11वां नम्बर था वह अनट्रेण्ड होने के कारण, उसकी सर्विस 22 साल की थी, 11वां नम्बर था लेकिन चूंकि उस तरीके से इन्टरमीडियेट ट्रेण्ड मत्स्य सरकार ने माना हुआ था लेकिन ट्रेनिंग कालेज या स्कूल से निकला हुआ नहीं था इसलिए उसकी ट्रेनिंग को नहीं मान कर उसको जूनियर रख दिया गया है और वह 160 पर ही रुका हुआ पड़ा है और उससे नीचे के टीचर्स वरिष्ठ बता दिये गये हैं। यद्यपि मैं यह मानता हूं कि टीचर्स ट्रेण्ड होने चाहिए और गवर्नमेन्ट की यह पोलिसी है कि अनट्रेण्ड टीचर्स नहीं रखे जायें और नये रिक्रूटमेन्ट में ट्रेण्ड टीचर्स ही रखे जायें यह सही है लेकिन जो पुराने टीचर्स हैं— अब बूढे तोतों को कुरान पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि उससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। आखिर उस ट्रेनिंग का मकसद भी टीचिंग का अनुभव प्राप्त करने की दिशा में देने का ही मकसद होता है और जिन लोगों ने बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस साल तक पढ़ाया है वे भी ट्रेण्ड होने के बाद ही पढ़ाने के काबिल माने जायेंगे तो उस बात को ट्रस्ट करना होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस बात पर विचार करे कि 15 वर्षों की जिन टीचर्स की सेवायें हो गई हैं उनको ट्रेन्ड मान लिया जाय। यह कोई ऐसा प्रीसिडेंस नहीं पड़ने वाला है आयन्दा के लिए कि जिससे गवर्नमेंट के सामने कोई दिक्कत आने वाली हो क्योंकि नया रिक्रूटमेंट जिसका भी हो रहा है उनका तो पहले से ही ठीक तरह से, सही जगह पर एडजस्टमेंट हो रहा है।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, (उपाध्यक्ष) मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में इस प्रश्न को कई बार उठाया गया है कि जो डिपार्टमेंट में टीचर्स हैं और जो ट्रेण्ड हो गए हैं उनको हमेशा यह शिकायत रही है कि नया रिक्रूटमेंट कर लिया जाता है और डिपार्टमेंट के ट्रेण्ड पड़े रहते हैं। डिपार्टमेंट में जो लोग ट्रेण्ड हैं उनका न तो कोई प्रपोर्शन मुकर्रर है कि नए रिक्रूटमेंट का इतना परसेंट होगा और पुराने रिक्रूटमेंट वालों का इतना होगा। मैं तो उपाध्यक्षजी, यह कहूंगा कि ज्यादातर लोग आपके डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, अच्छी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

योग्यता के लोग मौजूद हैं तो उनको पहले एब्जोर्ब किया जाय, पहले उनको मौका दिया जाय। और मुझे याद है कि जब हमारे वर्तमान अध्यक्ष महोदय उप-शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने जयपुर शिक्षक संघ को इस प्रकार का आश्वासन दिया था कि इस तरह का नया रिक्रूटमेंट तब तक के लिए बन्द कर दिया जावेगा जब तक कि पुराने ट्रेण्ड टीचर्स, वह चाहे पंचायत समितियों में हों या गवर्नमेंट के अण्डर में चलने वाले स्कूलों में हों, उन्हें पहले एब्जोर्ब किया जायगा। अभी तो उपाध्यक्षजी, यह हालत है कि कोई नियम नहीं है, न प्रायोर्टी मुकर्रर है, न कोई सिस्टम है। अभी तो इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स की मेहरबानी पर ही टीचर्स मुनस्सिर हैं। अगर कोई ट्रेण्ड टीचर है जिसने पहले से ही ट्रेनिंग पूरी कर ली हो तो वह तो बैठा रह जाएगा और कोई पोलिसिंग करने वाला टीचर हुआ तो चाहे उसने कल ही ट्रेनिंग ली हो, वह लग सकता है। तो इस तरह की धांधली हो रही है। इससे नेचुरली इस प्रकार की हार्टबर्निंग टीचर्स में होना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि इसके लिए गवर्नमेंट इस तरह के इन्स्ट्रक्शन्स जारी करे कि जो भी वर्तमान पंचायत समितियों में या गवर्नमेंट-रन-स्कूल्स हैं, उनमें जो भी टीचर्स ट्रेंड हैं, उनको लगाया जाय और नया रिक्रूटमेंट तब तक सस्पेंड रखा जाय और इन तमाम ट्रेंड टीचर्स को उनकी वरिष्ठता के अनुसार अपने अपने रेस्पेक्टिव क्षेत्रों में अपोइन्ट किया जाय। उपाध्यक्षजी, इसी तरह से एक दो ऐसी बातें हैं जो मैं और निवेदन कर देना चाहता हूं। गवर्नमेंट का नियम है कि 1-9-61 के बाद जो टीचर्स अपोइन्ट हुए हैं सैकिण्ड ग्रेड में उनको सालाना तरक्की हर साल मिलती रहती है, लेकिन जो पुराने टीचर्स हैं, 1-9-61 के पहले के टीचर्स हैं और जो दस पन्द्रह साल पहले के हैं उनके ऊपर एक पेनल्टी लगाई गई है कि जैसे ही उनकी तनख्वाह 100) रुपये पर पहुंचेगी तो उनको साल में एक तरक्की नहीं मिलेगी, उनको दो साल हो जाने के बाद एक साल की तरक्की मिलेगी। मान लीजिए जिसको 96) रुपये मिलते हैं तो 96) के बाद एक साल में तो सौ रुपये हो जायेंगे और सौ रुपये होने के बाद दो साल के बाद 104) रुपये मिलने लगेंगे। लेकिन जो नये टीचर्स हैं जो बाद में अपोइन्ट हुए हैं, 1-9-61 के बाद अपोइन्ट हुए हैं उनके लिए इस तरह की हार्डशिप नहीं है। तो इस तरह से गवर्नमेंट नौजवानों को नए लोगों को प्रोत्साहन दे यह तो बड़ी खुशी की बात है लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें गवर्नमेंट का कोई मकसद नहीं है और न इससे किसी को प्रोत्साहन ही मिलता है और पुराने टीचर्स के साथ यह एक अनावश्यक तौर से इनजस्टिस है।

इसी तरह से, उपाध्यक्षजी, इसी तरह की एनोमोली और है। गवर्नमेंट ने यह रखा हुआ है कि जो थर्ड ग्रेड का टीचर 120) के वेतन की स्टेज पर पहुंच जाय वह एक साल में दस रुपये की तरक्की मिलकर 130) रुपये पर पहुँच जाता है, लेकिन वही खुश किस्मती से प्रमोट हो जाय और वह सैकिण्ड ग्रेड में शुरू हो तो उसको प्रोत्साहन मिलने के बजाय उस पर पेनल्टी लगेगी। उसको साधारण तौर पर 120) रुपये से 130) रुपये मिलने की बजाय सैकिण्ड ग्रेड में केवल एक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इन्क्रीमेंट मिलेगा और अगर वह इन्क्रीमेंट 5) रुपये का है तो उसे केवल 125) रुपये यानि वह थानेदार बन जाय हैड कान्स्टेबिल से लेकिन उसकी तनख्वाह थोड़ी हो जायेगी। अगर गवर्नमेंट का यह खयाल हो कि थानेदारी में रिश्वत का ज्यादा मौका मिलेगा इस नाते उसे थोड़ी तनख्वाह मिले तो भी कोई बात नहीं, तो इसमें भी इसी तरह की एनोमोली है। होना तो यह चाहिए कि 120) से अपनी ग्रेड में इन्क्रीमेंट देकर यानि 130) रुपये करके फिर 5) रुपये नई ग्रेड के, प्रमोशन देकर उसका वेतन 135) रुपये रखिए। आप तो अभी प्रमोशन करके उसको पैनेलाइज कर रहे हैं। इस बात को ठीक किये जाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्षजी, इसी तरीके से हमारे मत्स्य राज्य में जो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर स्टेट्स को मिलाकर बना था, उसमें 1948 में एक स्पेशल ग्रेड तैयार किया गया था। वैसे सामान्य मैट्रिक्यूलेट टीचर्स को 40-2-70 की ग्रेड में, एक सिलेक्शन ग्रेड कहिए या विशेष ग्रेड कहिए, उनके लिए वह 50-3-80 का नया ग्रेड कायम किया गया और उसमें 80 टीचर्स रखे गए। राजस्थान में विलय होने के बाद यह जो विशेष ग्रेड के टीचर्स है ये आज तक लटक रहे हैं। न तो थर्ड ग्रेड में इनका फिक्सेशन हुआ है और न ही यह सैकिंड ग्रेड में लिए जा रहे हैं। जो 40-2-70 में टीचर्स थे, और जो जूनियर थे वे तो थर्ड ग्रेड के अन्दर फिक्स कर दिए गए और जब से यानि 1961 से रिवाइज्ड स्केल हुए तब से उनकी वरिष्ठता सूची कायम कर दी गई। लेकिन 50-3-80 वाले टीचर्स थर्ड ग्रेड में इसलिए नहीं लिए गए कि उनको हायर ग्रेड दिया जायेगा क्योंकि 40-2-70 वाले जूनियर ग्रेड में थे। गवर्नमेंट इस पर विचार करती रही और उधर सैकिंड ग्रेड दिया नहीं क्योंकि वे योग्यता में नहीं आते थे। अब उपाध्यक्ष महोदय, यह कहते हैं कि हम तुम को थर्ड ग्रेड में फिक्स कर दें। तो थर्ड ग्रेड जो 40-2-70 वालों का था वह तो उनको पहले मिल चुका इसलिए वे कहते हैं कि हम सीनियर हो चुके और अब तुमको यह थर्ड ग्रेड मिलता है तो तुम हमसे जूनियर रहोगे। तो मैं समझता हूं कि यह टीचर्स के साथ भारी अन्याय है। उसमें इन टीचर्स की कोई गलती नहीं है। वे सीनियर थे मत्स्य में और मत्स्य गवर्नमेंट के जो भी रूल्स थे, मत्स्य गवर्नमेंट का जो भी डिसिजन था उन डिसिजन्स को मानने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट पाबन्द है और उनको कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। इसलिए उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करूंगा कि 80 टीचर्स में, मेरी जानकारी के अनुसार 60 टीचर्स बाकी बचे हैं जिनका अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है और उनका फिक्सेशन थर्ड ग्रेड में होना चाहिए लेकिन उनको सीनियर माना जाना चाहिए उनसे जिनकी कि तनख्वाह 40-2–70 में थी। मेरी जानकारी में अभी एक केस ऐसा हुआ है। श्री त्रिलोकचन्द भार्गव का, जिसमें उसे इसी ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में फिक्स करके उनको 40-2-70 में सीनियर मान कर प्रमोट कर दिया गया है। उपाध्यक्षजी, मैं यह उम्मीद करूंगा कि शिक्षा मन्त्री महोदय इस बारे में फौरन कार्यवाही करेंगे और यह जो टीचर्स सन् 1947 से अब तक लटकते आ रहे हैं उनकी वरिष्ठता निश्चित करके उनको तसल्ली देंगे और उनका जिस ग्रेड में जहां पर भी फिक्सेशन होना चाहिए

Page No. 55

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वह फिक्सेशन करेंगे और उससे जो एरियर्स निकलते हों वह उनको देने का निर्णय सरकार लेगी ।

उपाध्यक्षजी, इस तरह के निर्णय से एक और भी स्थिति पैदा हुई है । बहुत से ऐसे टीचर्स जो सैकण्ड ग्रेड के थे उनको सीनियर टीचर्स बना दिया गया इस कारण कि किसी विशेष सब्जेक्ट में उनकी विशेष योग्यता थी, हालांकि सेकेण्ड ग्रेड में वे दूसरे टीचर्स से जूनियर थे, लेकिन उनसे जो सीनियर टीचर्स थे उनकी योग्यता नहीं थी, मसलन, आपको सीनियर टीचर्स इंग्लिश टीचर्स की आवश्यकता पड़ी और इंग्लिश टीचर्स के लिये मि० एक्स जो सेकण्ड ग्रेड में थे वरिष्ठता सूची में तो सीनियर है मि० वाई, मि० वाई सीनियर हैं लेकिन मि० वाई इंग्लिश में एम० ए० नहीं हैं, इसलिए मि० एक्स को मौका मिल गया और उनको सीनियर टीचर बनाकर भेज दिया गया। 7 वर्ष तक मि० एक्स सीनियर टीचर के तौर पर इंग्लिश पढ़ाते रहे। 7 साल के बाद मि० वाई ने इंग्लिश में एम० ए० कर लिया . . .

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : मि० एक्स और मि० वाई कौन हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप जिन व्यक्तियों में इन्ट्रेस्टेड हों इसलिए मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूं ।

यह हाइपोथेटिकल केस है, लेकिन इस तरह के बहुत से टीचर्स मि० एक्स हैं और बहुत से टीचर्स मि० वाई हैं ।

अब मि० वाई ने एम० ए० कर लिया 7 साल के बाद । अब सरकार कहती है कि मि० वाई मि० एक्स से सीनियर थे इसलिए बावजूद इसके कि मि० एक्स फर्स्ट ग्रेड में चले गये और 7 वर्ष तक उन्होंने काम किया, लेकिन अब 7 वर्ष के बाद उनको रिवर्ट किया जा रहा है और मि० वाई, जो उनसे सीनियर थे लेकिन उन्होंने एम० ए० इंग्लिश में पास कर लिया है, उनको सीनियर बनाया जा रहा है । मैं समझता हूं कि यह जो आधार रखा गया है, यह जो नियम रखा गया है यह न्याय-संगत नहीं है । एक उसी डिपार्टमेन्ट के अन्दर इन्टर से यदि आदमी की योग्यता बढ़ सकती है तो रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेड बदल जाता है, जैसा कि इस केस में सैकण्ड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में चला गया और फिर वरिष्ठता से बदला गया तो, इसके रिपर्कशन बहुत सीरियस होंगे अगर आप दूसरे डिफरेन्ट डिपार्टमेंट्स को लेंगे तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से सूचियां बदलेंगी तो बहुत से सैक्रेटरीज को एस० डी० ओ० बनना पड़ेगा और एस०डी०ओ० वापिस सैक्रेटरीज बन सकते हैं । बहुत से डाइरेक्टर्स को वापिस इन्सपेक्टर्स आफ स्कूल्स बनाया जायगा और इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स को डाइरेक्टर बनाया जायगा । तो मैं यह निवेदन करूंगा और यह बात भी सही है कि बहुत से जो साधारण सदस्य हैं वे डिप्टी मिनिस्टर बन जायेंगे और डिप्टी मिनिस्टर्स हैं वे मिनिस्टर बन जाएंगे और मिनिस्टर्स को बेक बैन्चेज में आकर सदस्यों के साथ बैठना पड़ेगा ।

श्री खेतसिंह : यह कोशिश तो आपने भी काफी की है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आगे बैठने से सीनियर नहीं बनेंगे आप।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की एनेमोली है। आपने जो ट्रेनिंग की पख लगाई हुई है टीचर्स के लिए उसके कारण एक अन्ट्रेन्ड टीचर सीनियर टीचर नहीं बन सकता है, लेकिन वह इन्सपेक्टर बन सकता है, डिप्टी डाइरेक्टर बन सकता है, डाइरेक्टर बन सकता है। वह सीनियर टीचर नहीं बन सकता है। आखिर यह एनेमोली क्यों? इस तरह की पख जो आपने लगाई हुई है यह सही नजर नहीं आती है। इसमें सामन्जस्य करने की जरूरत है, इसको रेशनेलाइज करने की जरूरत है।

और मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी यह तमाम वरिष्ठता के जो आधार सरकार की ओर से नियत किये गये हैं, उन पर दुबारा विचार करेंगे।

एक प्रश्न इन्टरप्रिटेशन के बारे में है। जो आपने सन् 65 में वरिष्ठता के बारे में नियम बनाये हैं और निकाले हैं उनके एक इन्टरप्रिटेशन के बारे में कहना चाहता हूं कि जो आपका रूल 4 (सी) और रूल 8 हैं उनमें कन्ट्राडिक्शन नजर आता है। रूल 4 (सी) में आप कहते हैं कि जो भी सैकेण्ड ग्रेड के टीचर्स और फर्स्ट ग्रेड के टीचर्स हैं ग्रेजुएट्स और दूसरे हैं इन सबको मिलाकर एक सूची बनाएंगे और रूल 8 में आप कहते हैं कि इन तमाम में जो भी सीनियर थे उनको सब को ऊपर एन्ब्लॉक सीनियर रखा जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसका इन्टरप्रिटेशन यह होना चाहिए कि रूल 8 के तहत जो सीनियर टीचर्स थे वे सीनियर टीचर्स रहने चाहिएं और सैकेण्ड ग्रेड के टीचर्स थे तो वे जूनियर ही रहने चाहिए। लेकिन कई जगह इन्सपैक्टर्स ने इसका इस तरह से इन्टरप्रिटेशन किया है कि जिसकी लेन्थ आफ सर्विस ज्यादा है, लेकिन सैकण्ड ग्रेड के टीचर्स को सीनियर माना गया है, और उनको हाईस्कूल का हैडमास्टर बना दिया है। तो मैं यह समझता हूं कि यह अनुचित है, और इसमें दुरुस्ती की आवश्यकता है।

इसलिए, उपाध्यक्षजी, ये बहुत से मुद्दे हैं जिनमें वरिष्ठता सूची के आधार पर बुनियादी तब्दीली करने की आवश्यकता है। दूसरा, उनमें कहीं कहीं जो एनेमोलीज रहती है उनके लूपहोल्स हैं उनको पैच-अप करने की आवश्यकता है। और, तीसरे जो भी वरिष्ठता सूची तय की गई है उसको एक्सपीडिशियसली और ढंग से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

मेरी जानकारी में आया है, उपाध्यक्षजी, कि इस वरिष्ठता सूची से और असन्तोष हुआ। उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन किया और रिप्रेजेन्टेशन करने के बाद उन लोगों की सुनवाई नहीं की गई। न उच्चाधिकारियों ने उनके सरकिल्स में उन्हें बुलाकर रिप्रेजेन्टेशन करने वालों की बात सुनी। उनकी दलीलें सुनते, और दलीलें सुनने के बाद अगर वाजिब नहीं होती तो रद्द कर देते और वाजिब थे तो उसको मन्जूर कर लेते। लेकिन ऐसा न करके एन्ब्लाक बगैर बुलाये ही उनको चिट्ठियां लिख दी गई। किसी को दिया गया कि तुम्हारा रिप्रेजेन्टेशन रद्द कर दिया गया और किसी को लिख दिया गया कि आपकी सीनियेरिटी में संशोधन कर दिया गया। अगर संशोधन कर दिया गया तो कोई नम्बर बदला गया है इस तरह की कोई सूचना नहीं है।

Page No. 57

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मैं समझता हूँ कि यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आपको जो पार्टी रिप्रेजेन्टेशन करती है, जो टीचर रिप्रेजेन्ट करता है उसको सुनने का अवसर दिया जाता है। यह सही है कि आप हैड-क्वार्टर्स पर उनको नहीं बुलाएं, टीचर्स का बहुत खर्चा होगा इसके बजाय सर्किल्स में इन्सपेक्टर्स जाकर, डाइरेक्टर या डिप्टी डाइरेक्टर उनके रिप्रेजेन्टेशन्स सुन लें और उसके बाद उनको डिस्पोज आफ करें तो इससे ज्यादा सन्तोष हो सकता था, ज्यादा न्याय मिल सकता था और ज्यादा अच्छे तरीके से यह समस्या हल हो सकती थी।

उपाध्यक्षजी, यह अफसोस की बात है कि बार बार इस सदन में लाने के बावजूद यह फिक्सेशन का मामला हमारे राजस्थान में बहुत पुराना है जैसा कि मैंने मत्स्य तक का जिक्र किया है कि आज तक उनका फाइने-लाइजेशन नहीं हुआ। इसकी वजह से एरियर्स आफ पे, डियरनेस एलाउन्स, लोगों के हाउ-सिंग एलाउन्स, लोगों के ट्रैवलिंग एलाउन्स, उनके बिल्स आज बहुत पुराने पुराने इन्स-पेक्टोरेट्स के अन्दर पड़े हुए हैं। अकेले जयपुर में कई लाखों के थे, अलवर की मुझे पूरी जानकारी फिगर्स की नहीं है, लेकिन जहां तक मैं अध्यापक लोगों से मिलता हूं तो उनसे पता लगता है कि यह शिकायत बहुत व्यापक है। किसी भी लेवल पर, न इन्स-पेक्टोरेट लेवल पर, न डाइरेक्टोरेट के लेवल पर, न डिप्टी डाइरेक्टोरेट के लेवल पर और न सैक्रेटेरियेट या मिनिस्टर्स के लेवल पर इस बात की तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि कोई टाइम-लिमिट इसकी बनाई जाय, कोई प्रोसीजर इसका बनाया जाय कि इतने टाइम के अन्दर यह मामले लाजिमी तौर से तय कर दिये जायेंगे। मैंने देखा है कि अध्यापक, सीनियर-सीनियर अध्यापक वहां शिक्षा विभाग के इन्सपेक्टोरेट्स में वहां के क्लर्कों की खुशामद करते फिरते हैं कि भाई मेरा यह बिल बना दो। कई बार तो अलवर में मैंने यह देखा है कि इन्सपेक्टर्स और टीचर्स में इस तरह का झगड़ा हुआ कि एक-दूसरे को बाहर निकाला गया। टीचर्स का प्रश्न है तो या तो सरकार बिल बनाये या कुछ न कुछ करें। डिसिप्लिन का क्वेश्चन पैदा हो जाय पर यह मामला तय नहीं होता है।

इसलिए, उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री एरियर्स के भुगतान के बारे में, यह वरिष्ठता की सूची लागू करने के बारे में कोई डेट मुकर्रर कर दें कि जिस डेट के अन्दर अन्दर तमाम इन्सपेक्टोरेट्स, तमाम डिप्टी डाइरेक्टर्स, डाइरेक्टोरेट अपने अपने क्षेत्रों में इस काम को पूरा करें, और माननीय मंत्रीजी जब भी दौरे में जायें तो उद्घाटन का काम तो थोड़ा कम करें।

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने उद्घाटन किया ही नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : थोड़ा और कामों में समय कम लगाकर इन्सपेक्टर्स के दफ्तरों का चैकिंग करें कि कितने बिल्स पेंडिंग हैं। यह सही है कि वहां पर टूटी कुर्सियां है और अगर आप जायेंगे तो वे कुर्सियां बदल जायंगी और जो लोग वहां पर जाते हैं उनके लिए बाहर बैंच वगैरह बैठने के लिए नहीं हैं वह भी आप जायेंगे तो आ जायंगी, उसकी भी व्यवस्था हो सकेगी। तो बजाय सर्किट हाउस में ठहरने के मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि वे इन्सपेक्टर के दफ्तर में जाकर ठहरें। और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अब की बार हम लोगों को सूचना दें। हम से कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो हम अवश्य देंगे। आप लाजिमी तौर से इस तरीके से अगर इसमें पर्सनल दिलचस्पी लेंगे तो जो टीचर्स का बुरा हाल है उसमें सुधार हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि खुद गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स, और गवर्नमेंट के टीचर्स, जो हमारे बच्चों का भविष्य बनाने वाले है देश के भावी नागरिकों के मस्तिष्क को बनाने वाले हैं, उनको रिश्वत देने के लिए इस प्रकार से मजबूर किया जाता है, बिल्स बनाने के लिए और फिर बिल को पास कराने के लिए। वह पहले तो वहां से बिल बनवायें और फिर उनको वह पास करवायें इसके लिए उनको जयपुर में, अलवर में, और जहां जहां पर इन्सपेक्टर का ऑफिस है वहां पर चक्कर लगाना पड़ता है। इस प्रकार बिल पास कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। जब गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स का, गवर्नमेंट के टीचर्स का यह हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा इसका आप स्वयं अन्दाज कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक डेट फिक्स करके पर्सनली इस बारे में जांच करने का प्रोग्राम अपने दौरे में रखें और आप वहां जाकर यह देखें कि कितने बिल एरियर में पड़े हुए हैं। यदि आप वहां जाने से पहले अपने प्रोग्राम की सूचना दे दें और इस प्रकार के टीचर्स जो है उनसे बिल के पर्टीक्यूलर्स और डेट आदि मांग लें तो जिस समय आप दौरे पर जायेंगे तो आपको ऐसे बिलों की पूरी लिस्ट देखने को मिल जायगी। इस प्रकार का कोई तरीका निकाल कर, या किसी भी तरीके से इस समस्या का हल किया जाय। यदि इस समस्या को हल कर देंगे तो जो टीचर्स इस कारण से उद्विग्न रहते हैं और अपनी क्लासेज में अच्छी तरह से मन लगा कर नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि उनको इन्स्पेक्टर साहब के दफ्तर में चक्कर लगाना है, अगर इस ओर ध्यान दिया जाय कि उनके बिल्स समय पर निकल जायं तो वह बच्चों की ओर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे और शिक्षा की तरफ भी ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, वरिष्ठता के बारे में और इन एरियर बिल्स के बारे में यह बात रखने की कोशिश कर रहा था।

माननीय सदस्य वाढ़दार ने छात्रवृत्ति के बारे में एक कट मोशन इस सदन के सामने रखा है। उसके सम्बन्ध में एक दो बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और वह यह है कि गवर्नमेंट द्वारा निश्चित तौर से एक आधार तय किया जाना चाहिए। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक छात्रवृत्ति देने का कोई आधार तय नहीं किया है। ऐसा आधार तय करके गवर्नमेंट की ओर से छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। अभी तक, एक स्पेशल छात्रवृत्ति देने की प्रथा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि स्पेशलिटी की बात आप इस युग में खत्म करिये। एक तरफ तो आप सोशलिज्म की बात करते हैं और दूसरी तरफ स्पेशल स्कालरशिप की बात का एरेन्जमेंट करके चलते हैं। मैं समझता हूं कि इसको खत्म करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि हमारी सरकार ने 1962–63 में कुल 1120 स्टूडेन्ट्स को 44,867 रुपये स्कालरशिप के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रूप में दिये, इसमें से एक-एक विद्यार्थी को एवरेज के रूप में चालीस-चालीस रुपये मिले। उसी ईअर में, उपाध्यक्ष महोदय, जो सज्जन ऐसे हैं-ए : सज्जन हैं--श्री शारदा कुमार यादव सन आफ श्री अमृतलाल यादव, इनको 1979.76 नये पैसे एक साल में वजीफे के रूप में दिये गये। और दूसरे हैं एक फार्चुनेट जेंटलमैन, श्री विशुद्ध कुमार पंवार सन आफ श्री सी. आर. पंवार, इनको 1878.96 नये पैसे 1962-63 में स्पेशल स्कालरशिप के रूप में दिये गये। इतना ही नहीं कि यह वजीफा केवल एक साल में ही दिया गया हो। इन सज्जनों को यह वजीफा दूसरी साल भी कैरी श्रोवर किया गया है। 1963-64 में 2532 छात्रों ने स्कालरशिप के लिए एप्लीकेशन्स दी थीं छात्रवृत्ति के लिए और उन ढाई हजार छात्रों में से केवल 353 छात्रों को छात्रवृत्ति मिली, जो कि 60 रुपया एवरेज के रूप में फी छात्र थी। और उसी वर्ष में, जिसमें 2532 छात्रों में से लगभग 2200 लड़कों की एप्लीकेशन्स रिजेक्ट कर दी गई थीं जब कि वह हरिजन थे और अनुसूचित जातियों के छात्र थे, उनकी एप्लीकेशन्स रिजेक्ट कर दी गई थीं और दूसरी तरफ इन विशुद्ध कुमार पंवार सन आफ सी. आर. पंवार को 2217.16 नये पैसे छात्रवृत्ति के दिये गये....

श्री श्रवणलाल : यह है आपका समाजवाद !

श्री रामानन्द अग्रवाल : श्री विशुद्ध कुमार के अलावा शारदा कुमार यादव सन आफ श्री अमृतलाल यादव को 2250.10 नये पैसे छात्र वृत्ति के दिये गये। और उसी साल में श्री ओम प्रकाश पहाड़िया सन आफ श्री चुन्नीलाल पहाड़िया को 674 रु. 22 नये पैसे छात्रवृत्ति के दिये गये। एक हैं कुसुम यादव, इनके पिताजी का नाम नहीं लिखा गया है। शायद जानबूझ कर पिताजी का नाम उड़ाया गया है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार यह भी श्री अमृतलाल यादव की सुपुत्री हैं। इनको भी इस साल में 2200 रुपये की स्पेशल छात्रवृत्ति दी गई....

श्री श्रवणलाल : यह समाज की भलाई हो रही है !

श्री गिरधारीलाल व्यास : समाज को ऊपर उठा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमारी सरकार द्वारा इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेटरी व्यवहार किया गया है, यह, उपाध्यक्ष महोदय, अनकान्स्टीट्यूशनल है और हमारे कान्स्टीट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिये हुए हैं उनके खिलाफ है। लेकिन इस सरकार, कांग्रेस सरकार की अजीब परम्परायें हैं, जिसके लिए मैं हमारे उन कांग्रेस के वरिष्ठ सज्जनों को कहूंगा कि वह इस पर विचार करें और देखें कि क्या इक्वीलिटी का, बराबर अधिकार देने का जो उनका सिद्धान्त है, इक्वल अपार्चुनिटी का जो ट्रेडीशन कांग्रेस डालना चाहती है-उसका खास तौर से, ये व्यक्ति, जो सत्ता में हैं, इनके द्वारा किस प्रकार हनन हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप मंत्री हैं और भारत की सदैव से यह संस्कृति रही है कि मां सबसे पहले अपने बच्चों को खाना खिलाती है और जब बच्चे खा लेते हैं तो जो बचता है उसको खाकर वह अपना पेट भर लेती है। लेकिन आज की हालत में कांग्रेस सरकार ऐसी मां

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बन रही है जो सबसे पहले अपना पेट भरती है और फिर बच्चों को खिलाना चाहती है। आज की कांग्रेस सरकार के मंत्री इस प्रकार की परम्परायें कायम करना चाहते हैं कि पहले वह अपने लड़कों के लिए, अपनी लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति की गारन्टी कर देना चाहते हैं। फिर जो कुछ उसमें से बचता है उसमें से दो हजार, ढाई हजार हरिजन, अनुसूचित जाति के लड़कों में टुकड़े फेंक दिये जाते हैं····

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जिस समय छात्र-वृत्ति दी थी उस समय वह मंत्री नहीं थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं जानता हूं कि ट्रेजरी बेंचेज पर बैठने वाले लोगों पर इसका असर नहीं पड़ता है लेकिन उनके पीछे जो बैठने वाले माननीय सदस्य हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इक्वीलिटी की बात के लिए आप लड़िये, बराबर अधिकार मिले, इस बात की गारन्टी आप करिये। इससे एक ओर तो छात्रों को तो नुकसान होता ही है साथ ही आप देख रहे हैं कि आपको खुद को भी नुकसान होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि मंत्री महोदय उत्तर देते समय वह बतायेंगे कि किन हालात के अन्दर, किन सर्कम्स्टान्सेज के अन्दर यह किया गया और कम से कम यह आश्वासन देंगे कि आयन्दा स्पेशल वजीफे की प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, सब गायब हैं। मेरा कट मोशन रिजेक्ट कर दिया गया। मुझे बोलने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया!

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा कट मोशन रिजेक्ट कर दिया गया। मुझे बोलने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपको सूचना दे दी गई है कि रिजेक्ट कर दिया गया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : फालतू ही एसर्ट करते रहते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त पुराने खर्चे को मांगने के लिए शिक्षा मंत्री मांग लेकर विधान सभा में आये हैं····

(2 म.प.)

शिक्षा की इस मांग पर मेरा कटौती का प्रस्ताव है। कटौती के प्रस्ताव के द्वारा मैंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाने के संदर्भ में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं समय समय पर इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं कि छात्रवृत्ति के पैसे हैं उनको शिक्षा विभाग के द्वारा सही माने में खर्च नहीं किया जाता है और उसको एक अन्धाधुन्ध तरीके से, मन माने तरीके से खर्च किया जाता है। जो उनके मर्जीदां और कृपापात्र आदमी होते हैं या सरकार के आगे पीछे रहने वाले होते हैं उनको छात्रवृत्ति के पैसे मिल जाते हैं

(श्री जयनारायण सालोदिया)

और गरीब लोगों को जिनको वाजिब तौर पर पैसे मिलने चाहिए, नहीं मिलते और जिनको पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति के पैसे की जरूरत होती है उन तक यह छात्रवृत्ति के पैसे नहीं पहुंचते हैं।

मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि अब तक कितने लोगों को स्पेशल छात्रवृत्तियें मिली हैं और जितनों को मिली हैं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने लोग हैं और दूसरे लोगों को जो गरीब नहीं हैं, मिनिस्टर के लड़के और लड़कियों को कितनी मिली है? इसके अलावा मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि प्रान्त के बाहर लड़कों को शिक्षा ग्रहण करने के लिये सरकार द्वारा जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के कितने लोगों को छात्रवृत्ति मिली है। यह भी जानना चाहूंगा कि प्रान्त के बाहर और देश के बाहर जितने भी लोग अमेरिका, रूस, जापान आदि स्थानों पर शिक्षा प्राप्त करने के लिये सरकारी छात्रवृत्तियों पर योग्यता प्राप्त करने जाते हैं उसमें जनजाति और अनुसूचित जन जाति के कितने लोगों को भेजा गया है? मेरे पास जो भी जानकारी है उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि सरकार के पास एक भी आंकड़ा नहीं है जिसमें वह बता सके कि पिछले 20 वर्षों के अन्दर एक भी अनुसूचित जाति के छात्र को सरकार को छात्रवृत्ति पर शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजा गया हो। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह देखना चाहता हूं कि यह लाखों और करोड़ों रुपयों की छात्रवृत्तियों का प्रावधान रखा जाता है वह इस मंशा से सरकार ने रखा है कि जिन लोगों की पढ़ाई पैसों की वजह से रुक जाती है या गरीब लोग हैं और पढ़ाई के लिये पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं उनको सरकार द्वारा छात्रवृत्ति देकर पढ़ाई को चालू रखा जाए। लेकिन इससे उल्टा कार्य हो रहा है। छात्रवृत्ति के पैसे उनको मिलते है जिनके पास पहले ही काफी पैसा है और जिन गरीब लोगों की पढ़ाई बगैर पैसे से रुक जाती है उनको यह पैसा नहीं मिलता है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि यह आपका कैसा समाजवाद है और किस तरह का सोचने का आपका तरीका है?

इस तरह से आपने पिंजरा पोल-गौशाला बना रखी है जिसको आप चाहें उनको आप छात्रवृत्ति दे दें। जो चुनावों में हार गये हों कांग्रेसी उनके लड़कों को छात्रवृत्ति दे दें या किसी कांग्रेस के मालदार व्यक्ति के लड़कों को छात्रवृत्ति दे दी जाती है तो फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की छात्रवृत्ति को रखने से क्या मतलब है। जब आप गरीब लोगों को छात्रवृत्ति नहीं दे सकते तो फिर आप उनके लिये इसका क्यों प्रावधान रखते है! इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये विशेष प्रावधान है। मगर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार ने आज तक किसी भी अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को या अनुसूचित जाति के व्यक्ति को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं भेजा है जब कि अन्य बहुत से अधिकारियों के लड़कों को बाहर भेजा है और उनके कई लड़कों ने योग्यता प्राप्त की है।

इसके साथ साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि छात्रवृत्ति का जो प्रावधान रखा गया है उसके अलग अलग टुकड़े कर रखे हैं। किसी को एक विभाग से दी जाती है और किसी को दूसरे विभाग से दी जाती है। मैं सरकार से कहूंगा कि इसका एकीकरण किया जावे और

(श्री जयनारायण सालोदिया)

छात्रवृत्तियों को देने में समान तरीका अपनाया जावे और एक ही जगह छात्रवृत्तियें दी जानी चाहिये जिससे छात्र को जगह जगह भटकना नहीं पड़े और अलग अलग दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ें और उसके लिये आप यह तय कर दें कि इस प्रकार के फोर्म पर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी।

इस तरह मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज के बारे में भी निवेदन करूंगा। मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज में जितने भी छात्र पढ़ते हैं वे साधन संपन्न लोगों के लड़के होते हैं लेकिन इसमें हमारी सरकार ने कुछ शिड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट्स के लिये अलग से विशेष प्रावधान नहीं रखा है। इतना ही नहीं बल्कि मेरे पास इस तरह के केसेज आये थे कि उनसे रु. 40 माहवार ट्यूशन फीस और ली जाती है। एक तरफ हम गरीब लोगों की खर्चे में मदद करना चाहते हैं उसके बजाय हम 40) माहवार ट्यूशन फीस और लें उसका उल्टा हिसाब हो गया जो लोग गरीब हैं वे गरीबी के कारण पैसा खर्च नहीं कर सकते और इस कारण डाक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते। इस तरह का षडयंत्र सरकार का है और इसी तरह की सरकार की मंशा है। सरकार अपने भाषण में और दिखावे में यह कहती है कि हम गरीबों और पिछड़े हुए लोगों को ऊंचा उठाना चाहते हैं लेकिन जो हमारी रीति और नीति है उससे यह साफ प्रकट होता है कि जो तरीका है हमारा काम करने का उससे यह स्पष्ट है कि हम ऐसे लोगों को सीलिंग करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के रास्ते में रुकावटें पैदा करना चाहते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं और गरीब हैं, यह सरकार की नीति है वह बिल्कुल गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति को बांटने का तरीका है और इसका सही उद्देश्य और सही मंशा है उसके अनुसार यह छात्रवृत्ति उन गरीब लोगों के पास पहुंचनी चाहिये जिनके पास पैसा नहीं है और ऐसे लोगों के पास नहीं पहुंचाई जावे जिनके पास काफी पैसा है और जिनको पैसे की जरूरत नहीं है।

डा० अम्बालाल (अजमेर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कट मोशन पर निवेदन करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : किस पर बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : कट मोशन पर बोल रहे हैं।

डा० अम्बालाल : आज आप देखेंगे कि शिक्षा की क्या हालत हो रही है। आज लाखों लोगों में अनएम्पलोयमेंट फैल रहा है। कितना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। मैं श्रीमान के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कटौती के बारे में बोल सकते हैं। आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है। किसी माननीय सदस्य ने कटौती प्रस्ताव दिया हो उसके विषय में बोल सकते हैं।

डा० अम्बालाल : मैं छात्रवृत्ति के बारे में बोलना चाहूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज शिक्षा अध्ययन करने के बाद विद्यार्थियों की क्या हालत है। इसका क्या परिणाम निकलता है। अनएम्पलोयमेंट दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। जो कालिजों से विद्यार्थी निकलते हैं उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। भ्रष्ट होते हैं और अपने गलत तरीके अपनाते हैं। इस तरह से मैं कहूंगा कि इस आधार पर हमारी डेमोक्रेसी है वह कहां पर जाकर समाप्त होगी। इस-

(डा० अम्बालाल)

लिये मेरा निवेदन है कि छात्रवृति के प्रश्न को तो आप लें ही लेकिन साथ ही साथ शिक्षा के सारे प्रश्न पर शुरू से विचार आपको करना चाहिये ।

श्री जनराज (मिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने आपको बताया कि यह छात्रवृत्तियें जो परिगणित और जनजातियों को दी जा रही है उसमें उनके साथ में पक्षपात का बर्ताव किया जा रहा है उसके बाबत में थोड़ा सा और निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें आज जो सरकार का प्रोसीजर है वह इतना गलत है कि जिसके द्वारा सही बच्चे को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो सकती । बल्कि उनके जो रिश्तेदार हैं या और कोई किसी प्रकार से सिफारिशी आदमी हैं जो गरीब नहीं हैं उसके बावजूद भी उसको छात्रवृति हासिल हो जाती है ।

पहले जो छात्रवृत्तियें समाज कल्याण विभाग के द्वारा दी जाती थी उसमें से थोड़े बहुत एप्रूव्ड आदमियों को मिल जाती थी । लेकिन आज शिक्षा विभाग द्वारा वितरित की जाती है, इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि स्कूलों में फोर्म नहीं पहुँचते हैं । नीचे की स्कूलें जो गांवों में हैं उनका तो कहना ही क्या हाई स्कूलों में भी फोर्म्स नहीं पहुँचते हैं । मैंने खुद ने हाई स्कूल में जा कर देखा है वहां के हैड मास्टर कहते हैं कि फोर्म्स नहीं आते हैं । केवल एक या दो प्रतिलिपि आती है और उसका परिणाम यह होता है कि हैड मास्टर जिस में इन्ट्रेस्टेड होता है उनको फार्म दे दिये जाते हैं और जिन लोगों को वास्तव में आवश्यकता होती है उनको नहीं दिये जाते हैं ।

इस बारे में मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा कि दो प्रकार से छात्रवृत्तियें प्राप्त हो रही हैं । एक तो गरीब आदमीं का छात्र होता है और दूसरा परिगणित जाति का छात्र होता है । एक तो परिगणित जाति का छात्र पहले ही गरीब है दूसरा वह परिगणित जाति से सम्बन्धित हो गया इसलिये और ज्यादा गरीब हो गया । इसमें थोड़ा अन्तर मैं आपको बता दूं । शिड्यूल्ड कास्ट्स के छात्र को कितना वजीफा मिलता है और कम इनकम वाले छात्र को कितना वजीफा मिलता है । कम इनकम वाले को सौ रुपया सालाना मिलता है जब कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के छात्र को दस बीस से ज्यादा वजीफा नहीं मिलता है। यह जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है कम इनकम वाले के साथ और परिगणित जाति छात्र के साथ यह मेरी समझ में नहीं आता यह भेदभाव क्यों किया जाता है ?

एक तरफ सरकार परिगणित व्यक्ति की मदद करना चाहती है, हमारा यह सिद्धांत है यह एक विचारधारा है कि इन लोगों को समान स्तर पर लाकर खड़ा करें । उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव अजीब सा लगता है और जो मेरे समझ में आने वाली बात नहीं है । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो छात्रवृत्त देने का तरीका है इसको ईक्वल स्टेटस पर लाया जाए । गरीब को वजीफा जो दिया जाता है वही शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले को दिया जाय । वैसे परिगणित जाति का व्यक्ति ज्यादा गरीब है एक को सौ रुपया और दूसरे को वह बीस रुपये देते हैं यह न्यायोचित नहीं है । जहां हम समाजवाद की ईक्वल स्टेटस की बातें करते हैं समानाधिकार की बातें करते हैं वहां इस

(श्री जयराम)
प्रकार का डिसक्रिमिनेशन करना गलत है। यही मेरा इस बारे में निवेदन है।

श्री गंगासहाय (कठूमर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीब छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती इसलिये मेरा निवेदन है कि इनके लिये ऐसी सुविधायें प्रदान की जायें ताकि हैड मास्टर या इन्सपेक्टर वहीं पर जांच कर लें और वहीं पर उनको छात्र-वृत्ति दे दी जाय।

दूसरा प्रश्न यह है कि जो छात्रवृत्ति दी जाती है, किसी भी रूप में दी जाती है उसका उपयोग होता है या नहीं। जो छात्र छात्रवृत्ति लेकर मैट्रिक, बी. ए., एम. ए. कर लेते हैं उसके बाद उनके जीवन निर्वाह के लिये उनको किसी धन्धे में स्थापित भी किया जाना चाहिये। जो छात्रवृत्ति पाकर बी ए., एम. ए. कर लेते हैं उनको नौकरी वगैरह नहीं मिलती है। इसलिये मैं समझता हूं जिनको छात्रवृत्ति दी जाती है उनका पैसा व्यर्थ जाता है अगर उनको उनके लायक काम न मिले तो। इसलिये इनको गारन्टी दी जाय कि अनुसूचित जाति के छात्र, जो छात्रवृत्ति लेकर पढ़ते हैं उनको बाद में धन्धा दिया जायगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भी इस संबन्ध में कट मोशन्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपका नाम क्रम के अनुसार पुकारा था चूंकि आप उस समय उपस्थित नहीं थे इसलिये विशेष परिस्थिति में आपको बोलने की आज्ञा देता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तो केवल इस पर मोहर लगानी है। इसमें सवाल यह था कि 75 प्रतिशत स्कालरशिप जो दी गई है वह जयपुर वालों को ही वितरित की गई है जो राजस्थान के सब अध्यापकों के बच्चों के लिये थी। मेरे ख्याल से पाली जिले के अध्यापकों के छात्रों को बहुत ही कम छात्रवृत्ति मिली होगी। तीन लाख रुपये की जो छात्रवृत्ति रखी गई उसमें पाली जिले के अध्यापकों के छात्रों को नहीं मिली है। वितरण की व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था थी या नहीं इसमें मुझे शक है। छात्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है वह भी मैं समझता हूं उपयुक्त नहीं है। गरीब छात्र को जो सहायता के रूप में रकम दी जाती है उसको भी छात्रवृत्ति ही कहा गया है और दूसरा जो मेधावी छात्र है उसको मेरिट के आधार पर जो रकम दी जाती है उसको भी छात्रवृत्ति कहा गया है। मैं समझता हूं यह जो हिन्दी का अनुवाद किया गया है वह ठीक नहीं है। गरीब को भी छात्रवृत्ति दी जाती है और मेधावी छात्र को भी छात्रवृत्ति दी जाती है मैं समझता हूं यह मेधावी छात्र जगत में ठीक नहीं है। इसलिये मैंने जो मांग रखी है कि संशोधन होना चाहिये दोनों जगह स्कॉलरशिप शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अन्दर लोक सभा में जब हमारे यहां का बजट रखा गया था उस समय यह प्रश्न भी रखा गया था कि राजस्थान सरकार पर डिक्रियां बहुत ज्यादा होती हैं। आप लॉ मिनिस्टर और एज्यूकेशन मिनिस्टर दोनों हैं इसलिये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सेक्शन 80 के तहत नोटिस देने के बाद दो महीने के भीतर भीतर अधिकारियों को जो काम करने वाले हैं सजगता के साथ उत्तर देना चाहिये। राजस्थान की रिपोर्ट्स

(श्री मूलचन्द डागा)

को देखते हैं तो पता लगता है कि हमारे यहां डिक्रियों का खर्चा बढ़ता जाता है। इससे हमारे अधिकारियों की क्षमता पर भी असर पड़ता है इसलिये मेरा निवेदन है कि धारा 80 के तहत ज्योंही नोटिस आवे उसकी कानूनी विशेषज्ञों से जांच करवा लेना चाहिये। Whether they will succeed or not. अगर कम्प्रोमाइज के लायक है तो कम्प्रोमाइज कर लेना चाहिये। जैसे रेलवे यूनीयन के अन्दर 80 प्रतिशत केसेज के अन्दर डिक्रियां होती हैं उसके लिये भारत सरकार ने यह तरीका निकाला कि क्लेम आफिसर को कह दिया जाता है कि वह निपटारा कर ले, समझौता वार्ता करके डिक्रीयां नहीं होने देते।

हमारे यहां से सिविल केसेज होते हैं वह अनरिप्रेजेन्टेड रह जाते हैं क्योंकि एजुकेशन वाले हैं उनको मुकदमा लड़ना आता नहीं इसलिये क्लेम तो देना पड़ता है। इस बारे में चर्चा पार्लियामेण्ट में हुई थी। मैंने दो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उसके अनुसार सुधार कर दिया जायगा, ऐसी आशा है।

श्री चुन्नीलाल इन्दोलिया (नोखा): उपाध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में मेरा भी सुझाव है पंचायत समितियों द्वारा जितनी भी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं वह साल के आखिरी दिनों में दी जाती हैं। इसके लिये मेरा निवेदन है कि साल के शुरूआत में यह दे दी जांय तो गरीब विद्यार्थी किताबें वगैरह खरीद सकें, या उनको हर तीसरे महीने दी जानी चाहिये या छठे महिने दी जाय। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप जब बजट पर मांग आवे तो अलग से इसके लिये कटौती प्रस्ताव रखें।

मांग संख्या 25 मुख्य शीर्षक 42।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्षजी, अब मंत्रीजी का उत्तर हो जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री गण बाद में उत्तर देंगे, पहले सारे कट मोशन्स ले लिये जाते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 25 और 26 दोनों सिंचाई के सम्बन्ध में हैं और इन दोनों पर मैंने अपने कटौती प्रस्ताव रखे थे, मेरा एक तो कटौती प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और दूसरे के बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि क्या हुआ। क्योंकि दोनों एक ही सबजेक्ट हैं और जिस सब्जेक्ट पर······

श्री हरिदेव जोशी : दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सिंचाई तो एक है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मांग संख्या 25 मुख्य शीर्षक 42 में जो सिंचाई के लिये व्यवस्था है····सिंचाई से पूर्व····

श्री उपाध्यक्ष : आपका कटौती प्रस्ताव चम्बल परियोजना से पूरा पानी नहीं देने के सम्बन्ध में है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं यह निवेदन कर रहा था कि कई नहरें चम्बल की या और कई नहरें हैं उन पर वर्षा के बाद में जब कि वर्षा की वजह से कई जगह नहरें टूट जाती हैं, उन नहरों में घास वगैरह उग जाती है और जब पानी छोड़ा जाता है तो पर्याप्त मात्रा में किसानों

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

के खेतों तक पानी नहीं पहुंचता है। होना तो यह चाहिए कि समय से पूर्व सिंचाई विभाग अपने इलाकों की उन सारी नहरों की सफाई करें, घास वगैरह उग जाती है उसको साफ करे, वर्षा के कारण नहरों में जो टूट फूट हो जाती है, उसको समय पर पानी देने से पूर्व ही दुरुस्त करे, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में किसानों के खेतों में पानी पहुंच सके, नहरों की सफाई पानी देने से पूर्व नहीं करने के कारण, टूट फूट की दुरुस्ती पहले नहीं करने के कारण काफी पानी वेस्ट जाता है, उस पानी से हजारों एकड़ जमीन पीवल हो सकती है और हमारा कृषि उत्पादन बढ़ सकता है, किसानों और सरकार को लाभ हो सकता है, वह पानी वेस्ट चला जाता है, समय पर सावधानी नहीं बरतने के कारण इतना बड़ा नुकसान होता है। नहरों में पानी देने से पूर्व उनकी सफाई करके, उनकी टूट फूट की मरम्मत करके दुरुस्ती करके इस वेस्टेज को रोका जाय। टूट फूट से कई खेतों में पानी भर जाता है और इससे किसानों को और सरकार को बड़ा भारी नुकसान होता है। इस अव्यवस्था और लापरवाही के कारण हजारों मन अनाज का, कृषि की उपज का नुकसान होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार को जब सिंचाई के लिय पानी देना हो तो पानी देने से पूर्व सिंचाई विभाग के द्वारा यह सब प्रबन्ध करवाना चाहिये। हमने करोड़ों रुपया खर्च करके योजनाएं बनाई हैं, जिससे कि हमारा प्रान्त समृद्धिशाली बने, हम चाहते हैं कि हमारी जमीन का चप्पा चप्पा पीवल हो और हमारी कृषि की पैदावार बढ़े। पर कुछ लोगों की लापरवाही से हमें बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जितनी हमारी इर्रिगेशन की योजनाएं हैं, उनसे पिलाई शुरू करने से पहले सारी टूट फूट की दुरुस्ती करवादी जाय, नहरों में से घास उग जाती है उसको साफ करवा दिया जाय।

हमारे यहां दो प्रकार की सिंचाई योजनाएं हैं, एक तो पेरिनियल बांध जिनसे निरन्तर पानी दिया जाता है और दूसरी नॉनपेरिनियल, जिनसे एक आध पाण पानी दिया जाता है। हमारे यहां दो प्रकार के बांध हैं एक तो वाणिज्यिक और दूसरे अवाणिज्यिक बांध। जिनसे केवल रबी के लिये एक आध बार पानी दिया जाता है, वे अवाणिज्यिक बांध हैं, इन अवाणिज्यिक बांधों के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन अवाणिज्यिक बांधों से पानी दिया जाता है तो ऐसा होता है कि इन अवाणिज्यिक बांधों की पूरी भराई नहीं होने के कारण, एक दो पिलाई ही मुश्किल से कर पाते हैं। इनसे न तो फसल पक ही पाती है और न पूरा पानी ही मिल पाता है, इस कारण किसानों की सारी फसल बरबाद हो जाती है। काश्तकार इसके भरोसे रह कर फसल बोते हैं उनको बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वाणिज्यिक बांध जहां से पेरिनियल वाटर बराबर मिलता रहता है, उस पर भले ही आप सिंचाई की रेट्स बढ़ायें पर अवाणिज्यिक बांध, जिनसे आप एक बार ही पानी दे देते हैं, पूरा पानी नहीं दे पाते, उनके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि या तो सरकार को इन बांधों से पूरी तरह पूरी फसल की बराबर सिंचाई हो सके इस प्रकार का, प्रबन्ध करना चाहिये। या फिर यह होना चाहिये कि इन अवाणिज्यिक बांधों से जिनसे कि आप पूरी सिंचाई नहीं

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कर पाते उनसे जो एक दो पाणा पिलाते हैं उसके इरिगेशन चार्जेज पाणों के हिसाब से वसूल किये जाने चाहिये, या फिर यों करना चाहिये कि इन अवाणिज्यिक बांधों से जो एक दो पाणों की पिलाई की जाती है उसके बिलकुल ही इरिगेशन चार्जेज नहीं लेने चाहिये।

आज होता यह है कि हमारे अधिकारी इन अवाणिज्यिक बांधों से जो एक दो पाणा का पानी देते हैं किसानों से पूरी सिंचाई की दर से वसूल कर लेते हैं। इससे किसानों को बड़ा भारी नुकसान होता है। तो मेरा निवेदन है कि जो इस प्रकार के बांध हैं, जिनसे कि आप पूरी पिलाई नहीं कर पायें, सरकार पूरा पानी कहीं दे सके तो उनकी सिंचाई की दर भी पूरी वसूल नहीं करनी चाहिये, पांणों के हिसाब से सिंचाई की दर वसूल की जानी चाहिये। होना तो यह चाहिये कि सिंचाई की दर की वसूली से इन किसानों को पूरी की पूरी छूट दे देनी चाहिये क्योंकि इन अवाणिज्यिक बांधों से किसानों को पूरा पानी नहीं मिलता है यदि पूरी छूट नहीं देना चाहते तो पांणों के हिसाब से सिंचाई की दर की वसूली की जानी चाहिये, इन किसानों से सिंचाई की पूरी की पूरी दर की वसूली करना तो किसी प्रकार न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। इसलिय मेरा निवेदन है कि सिंचाई की दर पांणों के अनुसार वसूली की जाय। मेरा तो सुझाव है कि अवाणिज्यिक बांधों से जो पिलाई की जाती है, उसकी सिंचाई का पैसा किसानों से बिलकुल ही नहीं लिया जाय, इससे किसानों को इनिशियेटिव मिलेगा और वे लोग उत्पादन बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के हमारे बांध हैं, जिनसे लोगों को पूरा पानी नहीं दे पाते, जिनकी सर्टेन्टी नहीं है कि इतना पानी दे हो सकेंगे, जिनकी सर्टेन्टी नहीं है कि वे बांध वर्षा में भरेंगे, जिनके नीचे जमीन डिक्लेअर कर देते हैं कि इतनी जमीन को हम इन बांधों से पानी देंगे, यह पूरा नहीं कर सकते तो उनके सम्बन्ध में मुआवजे का प्रबन्ध होना चाहिये। जो लोग पानी से वंचित रहते हैं, जिनको नुकसान होता है, उनको राहत मिलनी चाहिये।

इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन है कि स्कीम सर्वे के लिये पड़ी हुई हैं बहुत सी स्कीम्स ऐसी हैं, जिनके सम्बन्ध में वहां के लोग मन्त्री महोदय से, सिंचाई विभाग से निवेदन करते रहते हैं कि इन स्कीम्स को हाथ में लेना उत्पादन बढ़ाने के लिये परमावश्यक है। तो इस प्रकार की स्कीम्स के सम्बन्ध में इस प्रकार की व्यवस्था करें कि ऐसी स्कीम्स जिनसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ सके, तो सिंचाई विभाग का सर्वे का महकमा है, उससे सर्वे कराई जाय तो हम ज्यादा तेजी से सिंचाई के मामले में आगे बढ़ सकेंगे। कई ऐसी स्कीम्स हैं जिनको कभी का हाथ में लेकर पूरा कर लेना चाहिए था पर उन स्कीम्स को हाथ में नहीं लिया गया है। इन स्कीम्स को शीघ्र ही हमें हाथ में लेना चाहिये, इन स्कीम्स को हाथ में ले कर ही हम अधिक पैदावार के लिए अग्रसर हो सकते हैं।

राजस्थान में अकसर वर्षा का अभाव रहता है, जिन इलाकों में वर्षा का अभाव रहता है उनमें इस प्रकार की स्कीम्स का सर्वे करा कर अकाल के समय में या अन्य समय में इन स्कीम्स को पूरी करने का प्रयास

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

करें तो इससे हमारे प्रान्त को बड़ा लाभ होगा और उन इलाकों को भी बड़ा लाभ होगा।

मेरे इलाके में निवाड़ी और करकेड़िया की रपट है

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी चर्चा को चम्बल तक ही सीमित रखें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मांग 26 में है। तो नेवाड़ी और करकेड़िया की रपट, ये दोनों स्कीम्स अगर हाथ में ली जाय तो आसीन्द का क्षेत्र जो हर साल अकाल से पीड़ित रहता है उस क्षेत्र में लोगों को काफी राहत मिल सकेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ प्रबन्ध कराएं ताकि उस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है अलवर जिले में विजय सागर बांध की मोरियां खोलने के सम्बन्ध में अलवर के भूतपूर्व नरेश का जो विजय मंदिर पैलेस है उसके पास एक बांध है जिसका नाम है विजय सागर बांध यह बांध कोई लगभग 45 वर्ष से बना हुआ है और बीच में इससे आबपाशी भी होती थी लेकिन इस समय केवल महाराजा साहब उसकी मोरियां खुलवाकर अपनी जमीन की तो आबपाशी करा लेते हैं लेकिन उसकी मोरियां आम जनता के लिए खोलकर आबपाशी के लिए पानी नहीं दिया जाता है। इस बांध की जो जमीन है उसमें महाराजा साहब की जो पहले ज़मीन थी वह लगभग 60 बीघा थी और इसके अन्दर बाकी प्राइवेट किसानों के ग्राम दाडार, केहरपुर, कठूको, काला डेरा, व कस्बा डेरा ये पांच गांव इसके अन्दर लगते हैं जिसमें 500 बीघा से अधिक भूमि इसके अन्दर आती है। यह सारी की सारी जमीन इस पानी में गर्क रहती है और इसके कारण खेती से वंचित रहती है। हमारे यहां आम तौर पर एक इलाके में एक बीघा में 20 मण गेहूं पैदा होता है और जहां यह बंध है उसके आस पास गेहूं की काश्त होती है। इस हिसाब से अगर इस बंध की मोरियां खोल दी जातीं तो 500 बीघा जमीन जो गर्क रहती है, उससे कम से कम 10,000 मन गेहूं हर साल पैदा हो सकता था। इसके अलावा इस बंध की मोरियां खोलने से जो पानी निकलता उसके जरिए जो इस बंध के नीचे गांव पड़ते हैं मसलन जगतियाना, रैसी, इलेडी, नूलेरा, इन गांवों की लगभग एक हजार बीघा जमीन अधिक सिंचित हो सकती है। इन जमीनों को सिंचित करने के लिए इस बंध से बनी हुई पक्की नहरें अभी तक मौजूद हैं जिनसे यह मालूम पड़ता है कि किसी समय यहां से पानी निकाला जाता और सिंचाई होती थी और रेकार्ड देखने से भी मुझे जानकारी मिली है कि किसी जमाने में शायद 1927 में इस बंध से काश्त होती थी और इन गांवों में सिंचाई होती थी। इस तरह से जो एक हजार बीघा जमीन है बाहर की जो अभी भी बारानी है, इसमें सिंचाई हो जाय तो उसमें जहां इस समय 10 मन फी बीघा पैदावार होती है उससे बढ़कर 20 मन फी बीघा हो सकती है और इसकी सिंचाई से 10 हजार मन अनाज अधिक होता है। इस तरह से कुल मिलाकर इस बांध की मोरियां खोलने से 20 हजार मन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अतिरिक्त अनाज की पैदावार हो सकती है। इस समय सरकार को उसकी सिंचाई से कोई पैसा नहीं आता और लगान भी किसानों को 3/4 माफ करनी पड़ती है। अगर ये मोरियां खोल दी जायं तो अन्दर की जमीन को सिंचित भूमि का सरकार को लगान मिले और बाहर की जमीन पर सिंचाई की दर सरकार को मिले और इस तरह से सरकार की हजारों रुपयों की आमदनी सिंचाई के खाते में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बढ़ सकती है।

इस प्रश्न को मैंने पिछली विधान सभा में भी कई बार उठाया और खास तौर पर जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया और अमरीका ने हमारे देश को अनाज देने से इन्कार कर दिया और यह कहा कि जब तक हम काश्मीर की घाटी पाकिस्तान को नहीं दे देते तब तक अनाज हमारे देश को नहीं दिया जायगा। उस क्राइसिस में मैंने इस प्रश्न को विधान सभा के सामने और सरकार के सामने रखा कि ऐसे संकट काल में सरकार को फौरन कदम उठाकर मोरियां खोल देनी चाहिए। उस समय जब हम गांवों में किसानों के पास गए और उनसे कहा कि आप और सरसों बोना बंद करो अनाज बोओ तो किसानों ने कहा कि अगर वास्तव में आप अनाज ज्यादा पैदा करना चाहते हैं और उन्होंने यह लिखित में दिया कि जितनी यह जमीन है उसमें जो अतिरिक्त पैदावार होगी उसका 50 प्रतिशत माल हम सरकार को लेवी के रूप में कन्ट्रोल्ड रेट पर देने को तैयार हैं, सरकार इसकी मोरियां खोल दे। लेकिन खेद से कहना पड़ता है कि इस भारी संकट के बावजूद हमारे किसानों की देशभक्ति की आफर के बावजूद, हमारी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। पहले तो सरकार का यह बहाना था कि यह बंध महाराजा साहब की प्राइवेट प्रोपर्टी है। महाराजा साहब की प्राइवेट प्रापर्टी कैसे बन गई? क्यों बनने दी गई? स्टेट एक्सचेकर से जिस बंध को बनाया गया हो, सारा जनता का पैसा लगा हो उसको राजा की संपत्ति एशोआराम भोग-विलास की चीज मान लिया जाय, उसको सरकार द्वारा राजाओं की प्राइवेट प्रोपर्टी मानना, यह कांग्रेस सरकार और राजाओं की मिली भगत थी। मुद्दई सरकार थी और मुद्दा-यला राजा लोग थे। उसके बावजूद इस सदन में मैंने जब लैंड ओनर्स एस्टेट रिजम्पशन पास हुआ, जिसका उद्देश्य था कि भूतपूर्व राजाओं के पास जो जमीन है, एग्रीकल्चरल लैंड या तालाब बांध वगैरह, जो उनका प्राइवेट प्रोपर्टी है, जो उन्होंने इन्सट्रूमेंट आफ एक्सेशन के अंदर कर लिया उस तमाम जमीन को रिज्यूम कर लिया जाय और उस रिजम्पशन के तहत मैंने एक विशेष अमेंडमेंट के जरिये ऐसे तालाब ऐसे बांध, जिसमें विजय सागर बांध भी आता है, उसको शामिल करा दिया। तो उस एक्ट के अनुसार ये तमाम बांध विजय सागर समेत चाहे वे पहले महाराजा की प्रोपर्टी होंगे, लेकिन अब वे स्टेट की संपत्ति हो चुके हैं और कोई भूत-पूर्व नरेश उनको अपनी निजी संपत्ति नहीं कह सकता। इस एक्ट के आने से पहले भी राजाओं को किसी दूसरे प्राइवेट व्यक्ति की जमीन पर पानी को इकट्ठा करने का कोई अधिकार नहीं था और सरकार को क्रिमिनल प्रोसिजर एक्ट के तहत इस पब्लिक न्यूसेन्स को हटाने का अधिकार था, उनके अधिकार को एक्सरसाईज करने में सरकार क्रिमिनल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रोसिजर के बहुत कदम उठा सकती थी और मोरियां खुलवा सकती थी लेकिन जो राजाओं के प्रति कांग्रेस को सोफ्ट कोर्नर है, जिस तरीके से 1947 में समझौते किए गए और राजनैतिक लाभ उठाने के लिए जिस तरह की रियायतें देना कांग्रेसी नेताओं ने स्वीकार किया, यह तो उनकी अपनी राजनीति है, उस बारे में मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि इस एक्ट के आने के बावजूद, देश में इतना अनाज का संकट होने के बावजूद और इस सदन में इस प्रश्न को बार बार लाने के बावजूद, उपाध्यक्ष महोदय, आज तक इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया है जब कि इस गवर्नमेन्ट की ओर भूतपूर्व सिंचाई मंत्री श्री रामप्रसाद लड्ढा की ओर से पिछली बार जब यह प्रश्न उठाया गया था तो आश्वासन दिया गया था कि इस मामले को अधिक परश्यू न करें और उन्होंने यह बताया था कि दो चार महिने में ही आप देखेंगे कि उस बांध की मोरियां खुल जावेंगी। उपाध्यक्षजी, दो चार महीने में तो क्या डेढ़ वर्ष गुजर गया और अब तक उस बांध की मोरियां खोलने के लिये सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। इरिगेशन डिपार्टमेंट से पूछ ताछ की और वहां भी इस तरह की इन्स्ट्रक्शन्स नहीं पहुंचीं। पता नहीं जी.ए.डी. में भेजी या सिंचाई विभाग में अटकी हुई हैं या इसको इनीशियेट ही नहीं किया गया यह मैं नहीं जानता। लेकिन यह अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। लैंड रिजम्पशन के संबंध में कानून पास किया था उसके सम्बन्ध में कुछ राजाओं ने हाईकोर्ट में रिट की थी और हाईकोर्ट ने उन पर्टीकुलर राजाओं के लिये स्टे दिया। अलवर के राजा ने आज तक कोई रिट दायर नहीं की और उसके सम्बन्ध में किसी किस्म की स्टे नहीं मिली इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, एक या दो या कुछ राजाओं के विशेष मामलों में स्टे मिल गया हो तो इस तमाम कानून को ही स्टे कर दिया जाय यह एक अनुचित बात है और कुछ राजाओं को अनुचित राहत पहुंचाने और जनता को दुख पहुंचाने की बात है। ऐसे कई कानून हैं, कोई पार्टी स्टे ले आती है तो उस पार्टी के मामले में स्टे रखते हैं किन्तु सारे कानून को स्टे नहीं रखते। लेकिन इस विशेष मामले में पब्लिक का हित है तो हाईकोर्ट ने कोई स्टे दिया है तो उसका कोई ख्याल गवर्नमेंट के सामने नहीं होना चाहिये कि तमाम कानून को स्टे कर दे। इसलिये गवर्नमेंट को फोर्मल तौर पर एक्शन लेकर मोरी खुलवा देनी चाहिये। मई का महीना हो गया। बारिश होने में एक महीना बाकी है और उसके बाद दो तीन महीने में ऐसी स्थिति पैदा होगी जब कि उसकी मोरियां खोलने की आवश्यकता पैदा होगी मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके द्वारा यह आग्रह करूंगा कि यदि उनका मौका लगे, वे दौरे पर जांय तो उस क्षेत्र मे वे खुद जांय। आप देखेंगे कि किसान कितने लालायित हैं। उन मोरियों के खोल देने से अनाज की पैदावार बढ़ेगी और अनाज की पैदावार बढ़ने के लिये नालियां बनाने के लिये वे खुद सहयोग देने के लिये तैयार हैं, खुद श्रमदान करने के लिये तैयार हैं। अगर गवर्नमेन्ट इस तरह का निर्णय ले ले किसानों को बुलाकर या उनकी पंचायत में कहे कि गवर्नमेन्ट ने मोरियां खोलने का निर्णय ले लिया है तो वे किसान हर तरह से सहयोग देंगे। डिस्ट्रिब्युटरी लाइन बनाने में हर तरह से सहयोग देने के लिये तैयार होंगे। इसलिये

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस मामले में जिसमें सरकार को कोई वित्तीय कष्ट भी नहीं है वरना हमारे वित्त मंत्री जी इस प्रकार की प्ली ले लेते हैं कि क्या करें हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें। यहां खुद गवर्नमेन्ट की ग्रामदनी का सवाल है इसलिये भी खुद गवर्नमेंट को कदम उठा कर उन मोरियों को खोल देना चाहिये। वैसे, उपाध्यक्षजी, बड़े ग्राश्चर्य की बात है कि हमारी सरकार ऐसे मामलों में तो कोई कदम उठाने के लिये तैयार नहीं है लेकिन कुछ ऐसे मामलों में पैसा भी खर्च कर दे ग्रौर बांध नये बना दे लेकिन उनसे एक भी इंच जमीन इरिगेट नहीं होती, सिंचाई नहीं होती जिन पर हजारों रुपया खर्च कर दिये जाते हैं या बरबाद कर दिये जाते हैं।

उपाध्यक्षजी, मैं एक ही ग्रापके सामने उदाहरण पेश करना चाहूंगा किस तरह से हमारा वह डिपार्टमेन्ट एक तरफ वह विजय सागर जैसे बांध की मोरियां खोलने का कार्य पूरा नहीं करता है दूसरी तरफ ऐसे कार्य कर रहा है जिसमें हैन्ट परसेन्ट पैसा बरबाद हुग्रा है ग्रौर एक भी इंच जमीन की सिंचाई उससे नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रॉडिट रिपोर्ट 65-66 में है। इस ग्रॉडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि बूंदी में एक बांध बांधा गया जिसमें 18 हजार रुपया खर्च हुग्रा।

श्री हरिदेव जोशी : बूंदी में कौनसा बांध ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उससे 300 ग्रौर कुछ बीघा जमीन की सिंचाई का एस्टीमेट था। लेकिन उससे एक वर्ष में 63-64 में केवल 12।। बीघा ग्रौर 64-65 में एक बीघा जमीन की सिंचाई की गई।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप ग्रपने कटौती प्रस्ताव तक ही बहस को सीमित रखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्षजी, मैं ग्रापको उदाहरण के स्वरूप बता रहा हूं कि एक तरफ गवर्नमेंट को जो प्रयास करना चाहिये वह तो नहीं करती ग्रौर दूसरी तरफ किस प्रकार रुपया बरबाद करती है।

हरिदेव जोशी : 18 हजार रुपये वाला कौनसा बांध है ? इरिगेशन डिपार्टमेंट बनाता है या पंचायत ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : माइनर इरिगेशन। ग्राखिर ग्रापका इस पर कन्ट्रोल तो है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य स्पेसिफिकली कहें तो मैं उसकी जानकारी कर सकूं वरना तो उन्होंने कह दिया ग्रौर मैंने सुन लिया।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य का इस ग्रोर ध्यान ग्राकर्षित कर दिया है कि जो बात कहने जा रहे हैं वह ग्रसंगत है ग्रौर उनके इस कटौती प्रस्ताव से सम्बन्ध नहीं रखती है। बूंदी के बांध के लिए चर्चा कर रहे हैं वह इर्रिलेवेन्ट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह बताना चाह रहा था कि डिपार्टमेन्ट ऐसा एक्सपेन्डीचर कर रहा था जिससे स्टेट को कोई लाभ नहीं हो रहा है, ग्रौर ऐसे काम नहीं कर रहे हैं जिससे एक्सपेन्डीचर बिलकुल नहीं होगा बल्कि

Page No. 72

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
जिससे इनकम स्टेट की ओर बढ़ेगी फिर भी वे काम नहीं कर रहे हैं। उस बात को एम्फेसाइज करने के लिये मैं उदाहरण के रूप में वह बात रख रहा था। और भी मुझे मौका मिलेगा उस समय मैं वह बात कहूंगा।

श्री रामकिशन : माननीय सदस्य मोरियां खोलने की बात कह रहे हैं जोशी जी आश्वासन दें तो भाषण बन्द हो।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : माननीय उपाध्यक्षजी, चम्बल के बारे में यह जो कटौती प्रस्ताव आया है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से....

श्री हरिदेव जोशी : कोई आपका कटौती प्रस्ताव तो है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ?

श्री देवीदत्त गाडिया : आपके द्वारा सिंचायी मंत्री महोदय का चम्बल योजना के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने विजय सागर बांध के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके बारे में आप फरमावें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात का जिक्र किया कि वह उस बांध का नाम जानना चाहते थे। वह माइनर इरिगेशन में नहीं है। वह बांध पोग इरिगेशन स्कीम के तहत बना है जिसमें 2,71,000 रु० खर्च हुए।

श्री हरिदेव जोशी : आपने अभी 18 हजार रुपया कहा था। अब तक 271 हजार रुपया खर्च हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और 28 हजार एस्टीमेशन था और इस पर रिपोर्ट है कि एक एकड़ जमीन भी सिंचित नहीं हुई। सारे का सारा पैसा बरबाद हुआ है।

श्री देवीदत्त गाडिया : इस चम्बल नहर के कारण कोटा जिले के ऐसे-ऐसे ....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दी थी कि विजयसागर बान्ध जो अलवर जिले में है उसके सम्बन्ध में फरमाना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं तो डिमाण्ड का विरोध कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो फिर कटौती प्रस्ताव चल रहे हैं।

मांग संख्या 17 मुख्य शीर्षक 30 जन-स्वास्थ्य। श्री दुर्गालाल बाहदार।

श्री भैरोंसिंह : एक साथ ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था पहले दे दी गई थी। श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष जी, जनस्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। एक तो अलवर शहर में पानी की अव्यवस्था के सम्बन्ध में है।

उपाध्यक्षजी, अलवर शहर में वाटर वर्क्स लगभग पिछले 10, 12 साल से कार्य

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर रहा है उसकी जो कैपेसिटी है पानी देने की उसको दस सालों में कोई बड़ी मात्रा में नहीं बढ़ाया है। आगे आने वाले भविष्य में शहर की जन संख्या बढ़ेगी, पानी की मांग बढ़ेगी लोग इस पानी का ज्यादा उपयोग करने लगेंगे इस बात को सरकार को ख्याल में रखना चाहिये था लेकिन आज अलवर शहर की आबादी करीब उस वक्त से बीस हजार ज्यादा बढ़ गई और इस तरह से लाजिमी तौर से 30 परसेन्ट 25 परसेन्ट पानी की मांग उस आबादी के कारण ही बढ़ गई और वैसे भी जो लोग अपनी आवश्यकता के लिए प्राइवेटली कुओं का पानी इस्तेमाल करते थे वे अब नलों का इस्तेमाल करने लगेंगे।

उपाध्यक्षजी, इस बात को मद्देनजर न रखते हुए सरकार ने भविष्य में इस योजना को बढ़ाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और इसका नतीजा यह है कि राजस्थान के दूसरे हिस्सों की तरह अलवर में भी पानी का एक घोर संकट और खड़ा हो गया है।

आजकल वहां पर स्थिति यह है कि दूसरी मंजिलों में शहर के ज्यादातर हिस्सों में पानी बिल्कुल नहीं चढ़ता है। नीचे की मंजिलों में भी पानी बहुत थोड़े प्रेशर से आता है और मुश्किल से दो ढाई घंटे लोगों को पानी मिलता है और उसमें भी कभी कमी हो जाती है और इस तरह से आम जनता को एक भारी परेशानी होती है।

इस पानी की कमी में भी उपाध्यक्षजी, कुल हिस्सों में जहां नई बस्तियां बसाई गई हैं वहां एक अलग रिजर्वायर छोटा सा सरकार ने बनाया। लेकिन उसमें जो कुछ सरकार ने छांटे उन कुओं का पानी खारा है और वह पीने के लायक नहीं है। उसमें दाल वगैरह नहीं गल सकती और इस तरह से भारी परेशानी उस बस्ती में बसने वाले लोगों को है और अब ऐसा प्रबन्ध करते हैं कि शुरू में आधा घन्टा मीठा पानी और बाद में खारा पानी सारे शहर को दिया जाता है।

श्री भीमसेन : माननीय सदस्य की यह दाल अब से गलनी बन्द हो गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे नहीं मालूम कि सरकार की यह नीति कब से है कि वह अलवर की दाल नहीं गलने देना चाहती है। अब बन गई हो तो यह बात अलग है और इस तरह की बात मालूम भी पड़ती है पर भीमसेनजी की भी दाल गलने वाली नहीं है। वे अभी तक वेटिंग लिस्ट में ही चल रहे हैं।

(2:55 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री पदासीन)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की कमी के कारण जो अलवर में और राजस्थान के दूसरे शहरों में यह गम्भीर अव्यवस्था हो रही है उसके लिये राज्यपाल महोदय भी अपने भाषण में कहते हैं कि मानसून फेल हो गई इन्द्र भगवान् प्रसन्न नहीं हुए इसलिये यह सब हो गया। सारा दोष मानसून और इन्द्र भगवान् पर मढ़ दिया गया और इसी तरह की बातें कल वित्त मन्त्री जी ने भी अपने तमाम भाषण में कहीं और आने वाली मानसून का बहुत अच्छा चित्रण करके नई आशा का संकेत

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दे दिया। पर उस तरीके से हमारे जन-स्वास्थ्य मन्त्रीजी नहीं निकल पावेंगे क्योंकि यह सभी जानते हैं कि राजस्थान में मानसून फेल होती रहती है। उनको इसका अनुभव है। तो ऐसी हालत में उनकी और अधिक जिम्मेदारी थी। वे इसकी प्लानिंग सही ढंग से करते। सम्भावनाएं संकट पैदा होने की थीं उनका जायजा ठीक तरह से लेते और उसको लेकर हर शहर व गांव की स्कीम में परिवर्त्तन-परिवर्द्धन सही तरीके से तखमीना लगाकर करते।

सभानेत्री महोदया, हमें सूचना मिली कुछ समय पहले कि अलवर नगर में समस्या हल करने के लिये वाटर वर्क्स के संगठन को बढ़ाने के लिये किसी नदी से जोड़ने के बारे में सरकार सोच रही है। लेकिन वह बात केवल चर्चा ही रह गई। उसके बारे में किसी लेवल पर कदम उठाया गया हो इसकी सूचना मुझे नहीं है।

मैं यह समझता हूं कि अगर सरकार को इस कैटेस्ट्रोफी से हर साल बचना है और अलवर शहर को जबर्दस्ती से उसी लाइन में खड़ा करना चाहती है जिस लाइन में जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर के इलाके हैं जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र में होने के कारण पानी की भारी कठिनाई से ग्रस्त हैं, उस लाइन में नहीं सरकार अगर अलवर को खड़ा नहीं कर देना चाहती है तो अलवर की समस्या तो बहुत आसानी से हल हो सकती है और मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इस बारे में कोई ठोस योजना पर विचार करेगी और इस तरह से वहां के वाटर वर्क्स को संगठित करेगी कि आगे आने वाले जमाने के लिये कम से कम 20।25 वर्ष कोई दिक्कत न हो इस तरह से समस्या को हल करने का प्रयत्न करेगी।

सभानेत्री महोदया, मैंने अपने इस कटौती के प्रस्ताव में अजमेर के बारे में भी जिक्र किया है। सभानेत्री महोदया, अभी अजमेर से आने वाले मेरे मित्र ने वहां के जल संकट के बारे में जिक्र किया था। अजमेर के जल-संकट के बारे में हम पहली बार ही इस सदन में यह बात सुन रहे हों सो बात नहीं है। पिछले सदन में भी अजमेर के पानी के संकट की बहुत ही करुणाजनक कथा इस सदन के माननीय सदस्यों से बराबर सुनने का अवसर मिला है और इसमें कोई संदेह नहीं कि अजमेर में पानी नहीं होने के कारण विकास कार्यों में बहुत बड़ा हैंडीकैप रहा है। मुझे याद है जब राजधानी का प्रश्न तय हो रहा था और राजधानी को अजमेर में नहीं रखकर सेन्ट्रल प्लेस होते हुए जयपुर को प्रिफर किया गया उसमें और दलीलों के साथ एक दलील यह भी थी कि अजमेर के अन्दर पर्याप्त पानी का इन्तजाम नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं यह कहूं कि अजमेर ही जयपुर की निस्बत ज्यादा उपयुक्त राजधानी के लिए स्थान था लेकिन यह कन्सीड्रेशन अजमेर जैसे बड़े शहर जो राजस्थान के अन्दर प्रगतिशील और राजनैतिक गतिविधियों का एक बड़ा केन्द्र रहा है इसलिए राजस्थान के राजनीतिज्ञों का अजमेर का एक क्लेम—एक स्पेशल क्लेम है और वहां के लोग पानी के लिए तड़पते रहें और हमारी मातायें और बहनें रात रात बैठी रहें यह बहुत ही गम्भीर बात है। सभापति महोदया, यह किस कारण हुआ? गवर्नमेंट ने आज तक इस रेस्पान्सीबिलिटी को किसी पर फिक्स करने की कोशिश नहीं की। सभापति महोदया, मुझे पता लगा है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि यह जो देरी हो रही है और जिस प्रोजेक्ट से यहां पर पानी आने वाला है वह पूरा नहीं हुआ है। उसमें हमारी गवर्नमेंट के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेप्सेस हैं, हमारी गवर्नमेंट की कुछ प्रशासनिक कमजोरियां हैं जिनके कारण आज अजमेर की जनता को इसका भुक्तभोगी बनना पड़ रहा है। जब बनास योजना के लिए पाइप लाइन के टेन्डर्स इनवाइट किये गये सभानेत्री महोदया, मेरी जानकारी के अनुसार 6 फर्म्स थीं जिन्होंने कि पाइप लाइन की सप्लाई करने के लिए टेन्डर्स दिये उसमें 2 फर्म्स एक तो ह्यूम पाइप कम्पनी और दूसरी स्ट्रक्चरल एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी बाम्बे इन दोनों के टेन्डर्स की रेट समान थी। जो स्ट्रक्चरल एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी बाम्बे थी इसका सरकार ने टेन्डर मन्जूर करना उचित समझा और उसकी एक और भी शर्त मन्जूर की कि उस कम्पनी ने यह कहा कि हम एक साल के अन्दर अन्दर काम पूरा कर देंगे लेकिन हमको 5 लाख रुपया एडवान्स देना पड़ेगा। इसके उपरान्त ह्यूम एण्ड कम्पनी ने यह कहा बताया कि ये शर्तें हमको दी जायें तो हम अपने टेन्डर में से 2 लाख रुपया कम कर सकते हैं।

(3.04 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन)

और यह पूरा का पूरा काम 76 लाख रुपये का था उपाध्यक्ष महोदय ह्यूम एण्ड कम्पनी उस काम को 74 लाख में करने को तैयार थी लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने स्ट्रक्चरल एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी का टेन्डर मन्जूर किया और उनकी यह शर्त भी मन्जूर की कि 5 लाख रुपया उनको एडवान्स कर दिया जाये। एक साल के अन्दर उन्होंने काम पूरा करने का जिम्मा लिया और 76 लाख रुपये में ही वह ठेका दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उसको ठेका दिये हुए 3 साल हो गये और अभी तक स्ट्रक्चरल एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी ने अपने उस ठेके को पूरा नहीं किया है। आज तक उसका माल पूरा सप्लाई नहीं हुआ है जिसके कारण वह स्कीम पूरी नहीं हो सकी। करीब 76 मील का यह डिस्टेन्स है जिसके ऊपर पाइप लाइन डालनी है। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 60 मील में वह पाइप लाइन डल चुकी है और 15–16 मील जिसमें यह पाइप लाइन डालनी है वह कम्पनी के द्वारा सप्लाई की जानी है और उसकी इस डिले के कारण इतनी देरी हुई है और जिस स्पीड से यह कम्पनी सप्लाई कर रही है मुझे तो ऐसा सन्देह होता है कि आने वाले दो तीन वर्षों तक भी यह कम्पनी अपने काम को पूरा नहीं कर सकेगी.....

डा० अम्बालाल (अजमेर पूर्व) : उस कम्पनी का तो दीवाला निकल गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी डाक्टर साहब कह रहे हैं कि उस कम्पनी का तो दीवाला निकल गया....

श्री मदनसिंह दांता : साथ साथ में सरकार का भी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दीवालिया सरकार दीवालिया के ऊपर दावा कर सकती है या नहीं मुझे पता नहीं। लेकिन यह स्थिति

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है तो बहुत ही गम्भीर है। तो ऐसी हालत में बारबार यह आश्वासन दे दिया जाये और इलेक्शन के टाइम पर खुदाई करके भ्रम पैदा किया जाये मैं समझता हूं कि असलियत को छुपाने की कोशिश है।

उपाध्यक्ष जी इसके बावजूद कि इस कम्पनी ने 3 साल तक अपने कान्ट्रैक्ट को कम्पलीट नहीं किया आपको आश्चर्य होगा कि 5 लाख के बजाय हमारी सरकार ने 35 लाख रुपया इस कम्पनी को एडवान्स किया हुआ है और जो माल उन्होंने सप्लाई किया है उसकी कीमत के अगेन्स्ट ही नहीं जो माल उन्होंने सप्लाई किया है अप-टू-डेट उस माल का 90 परसेन्ट भुगतान पहले ही किया जा चुका है और इसके बावजूद 35 लाख रुपया एडवान्स इस कम्पनी के पास पड़ा हुआ है और अजमेर की जनता क्यू लगाये हुए वहां पर खड़ी हुई है। कुछ कान्ट्रैक्ट लेबर लगाकर इलेक्शन के दिनों में वोटर्स के ऊपर यह इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि अब पानी आ रहा है, खुदाई शुरू हो गयी है। उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में यह जांच की जानी चाहिए कि ये फैक्ट्स सही हैं या नहीं कि क्या यह टेन्डर की शर्त थी या नहीं कि उनको एक साल के अन्दर इस काम को पूरा करना था? क्या यह सही है या नहीं कि ह्यूम एण्ड कम्पनी ने 2 लाख रुपया कम करके इन्हीं शर्तों पर इस माल को सप्लाई करने का जिम्मा लेने का आफर दिया था? क्या यह सही है कि नहीं कि 5 लाख रुपया एडवान्स किया जाना चाहिए था और इस कम्पनी को 35 लाख रुपया इस समय एडवान्स दिया हुआ है? यह बात सही है या नहीं कि इस कम्पनी के काम को पूरा नहीं करने के बावजूद इस कम्पनी ने जो भी माल सप्लाई किया हुआ है उसका 90 परसेन्ट पेमेन्ट कर दिया गया है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो पानी का संकट शहरों में और देहातों में हमें जगह जगह दिखाई पड़ रहा है उसके बारे में पिछली दफा माननीय मंत्री जी, जन स्वास्थ्य विभाग ने यह बात कहकर हमें संतोष देने की कोशिश की कि हमारा राजस्थान ऐसा इलाका है जहां लोग मीलों से सिर के ऊपर पानी रख कर लाते हैं और इसलिए कुछ शहरों में रहने वाले लोगों को अगर क्यू लगाना पड़े या पानी की दिक्कत हो तो उनको इतनी चिल्लाहट नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत अदब के साथ कहता हूं....

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, Point of order, Sir, आपकी डिमान्ड तो है 64-65 की और आप बात कर रहे हैं चुनाओं से पहले याने 67 की तो समझ में नहीं आया कि आप 64 की बात करना चाहते हैं या 67 की बात करना चाहते हैं? दो कैसे कर सकते हैं?

श्री भगवानदास शास्त्री : यह प्रोब्लम 62 से है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य थोड़ा पालियामेन्टरी प्रोसीजर को समझने की कोशिश करें। यह एक फार्मल तरीका होता है।

श्री उपाध्यक्ष : नियमानुसार यह डिस-कशन किया जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मंत्री ने इस बात को कह कर संतोष दिलाना चाहा कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में पानी की बहुत भारी कमी है और शहरों में टाउन्स के अन्दर पानी की समस्या को गंभीरता से कुए छोटा करने की कोशिश की है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अजमेर या अलवर या जयपुर में संकट बढ़ जाने से अगर गांवों की समस्या हल होती हो तो उस दलील में, उनकी उस बात में कुछ सार था। मैं खुद भी शहरी भाइयों से यह निवेदन कर सकता था कि यदि हमारे गांव के भाइयों का सफर दो मील कम हो सकता है तो हमें एक घन्टा और ज्यादा वेट करना पड़ जाये तो कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह के संकट पड़ने से उस तरह का संकट दूर नहीं होता और इस तरह समस्या का यह हल भी नहीं है। मैं यह समझता हूं कि जो गवर्नमेन्ट के लेप्सेस हैं। जो मौजूदा बजट है जिसका प्रावधान किया गया है, अगर गवर्नमेन्ट ठीक तरह से उन एडमिनिस्ट्रेटिव लेप्सेस की तरफ देखे तो गवर्नमेन्ट को खुद पता लग जायेगा कि ये दिक्कतें केवल बजट की कमी का कारण नहीं हैं। ये दिक्कतें केवल इस कारण नहीं हैं कि कुछ सप्लाई वक्त पर नहीं आई लेकिन इसमें बहुत सी बातें आपको करप्शन की ऐसी मिलेंगी जिसमें जनता को पानी वक्त पर मिले या न मिले लेकिन एक पर्टीक्यूलर मशीन जरूर खरीदनी है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे नोटिस में यहां जयपुर का एक मामला आया है जहां पर कि.....

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया अपने को अजमेर योजना तक ही सीमित रखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अजमेर में जो यह पानी का संकट है, इस संकट का कारण ये भारी एडमिनिस्ट्रेटिव लेप्सेज हैं और जब तक गवर्नमेन्ट इस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कम्पनी के इस कॉन्ट्रेक्ट को खत्म करके और इमीजियेटली पाईप सप्लाई का दूसरा आल्टर्नेटिव इन्तजाम नहीं करती तब तक अजमेर की पानी की समस्या हल नहीं होगी और इसलिए मैं यह मांग करूंगा कि गवर्नमेन्ट एक तरफ तो इस कान्ट्रेक्ट को कैंसिल करके पाईप लगाने का आल्टरनेटिव इन्तजाम करे और दूसरी तरफ जो भी डिपार्टमेन्ट, जो भी आफिसर इस कॉन्ट्रेक्ट को देने के बारे में जिम्मेदार हो, लाइसेंस देने का जिम्मेदार हो और जो भी इर्रेगुलरिटि की गई है उसकी गवर्नमेन्ट पूरी तरह से जांच करके जो लोग रेसपोंसिबल हों उनको इसकी सजा दी जाय और मैं उम्मीद करता हूं कि जो अलवर के बारे में और अजमेर के बारे में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उन पर गम्भीरता से विचार करके सही निर्णय करेंगे।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री भगवान दास शास्त्री : (अजमेर-पश्चिम) : मैं अजमेर की पानी की जो समस्या है उस पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : अजमेर की जल समस्या के बारे में नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कम्पनी है उसके बारे में कहिए।

श्री भगवान दास शास्त्री : उसी कम्पनी के बारे में कहता हूं। उस कम्पनी से अभी तक ब्याज ही नहीं मांगा गया है। मेरी जानकारी है कि इस इंजीनियरिंग कम्पनी को, जो पांच लाख का कांट्रेक्ट था उसको बाद में

(श्री भगवानदास शास्त्री)

दस लाख रुपया दिया गया और उसके बाद में फिर पन्द्रह लाख रुपया और दिया गया और उसके दो वर्ष पीछे भी उन्होंने यह माल सप्लाई नहीं किया। माल सप्लाई न करने के बावजूद भी, उनको लेटर्स पर लेटर्स देने के बावजूद भी, हमारे जो भूतपूर्व वित्त मंत्री हैं वे भी उन्हें लेटर भेजते रहे, मैं उनका नाम यहां नहीं लेना चाहता क्योंकि इस सदन में वे नहीं हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उनका उस इंजीनियरिंग कम्पनी के साथ कौनसा सम्बन्ध था, कौनसा रिश्ता था कि तीन साल तक ब्याज तक भी उस कम्पनी से नहीं मांगा गया। मैं समझता हूं कि कम से कम भी उसने हजारों रुपया कमाया होगा बोम्बे मनी मार्केट के अनुसार ब्याज का, और उस कम्पनी से जब दूसरी कम्पनी दो लाख रुपया कम लेना चाहती थी उसको नहीं देकर 76 लाख में इस कम्पनी को काम दिया गया तो मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ भ्रष्टाचार की बू आती है। भ्रष्टाचार की बू आती है। भ्रष्टाचार की बू की बात तो एक तरफ रही, लेकिन जहां तक आपसी झगड़ों का सम्बन्ध है, अजमेर के जितने नेता हैं, चाहे वे मिनिस्टर चुनकर आए हों चाहे उनका किसी प्रकार का राजनैतिक झगड़ा रहा हो लेकिन उनके कामों का फल अजमेर की जनता को पानी के अभाव में भोगना पड़ रहा है। मैं आपको दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि अजमेर की जनता पानी की समस्या के अन्दर, चाहे कोई भी दल हो, चाहे कोई भी राजनैतिक पार्टी हो, वह पानी के मामले में राहत चाहती है। जनता को राहत पाने के लिए एक तरह से बदला लेना पड़ा। जनता ने इनको एक मौका दिया था शासक दल को और इसीलिए पहले अजमेर से चार पांच चुनकर आए थे शासक दल के, परन्तु अपने व्यक्तिगत कारणों से और किसी को इसकी महत्ता न मिल जाय, इसलिए इन्होंने पानी की समस्या को हल नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि अजमेर की जनता की बड़ी दुर्दशा है। लोग पानी के लिए त्राहि त्राहि कर रहे हैं कि नगर के रहने वाले, बड़े 2, सिविल लाइन्स में रहने वाले बड़े 2 अच्छे लोग भी इस पानी की कमी के कारण आज अजमेर को छोड़ना चाहते हैं। अजमेर की पानी की समस्या उस कम्पनी के साथ जो समझौता है उसके कारण है और मैं खुला उन पर आरोप लगाता हूं कि भूतपूर्व वित्त मंत्री का इससे सम्बन्ध था, उनका इस कम्पनी से गठबन्धन था। उनके साथ विचार विमर्श करके किस प्रकार के प्रलोभन में वे फंसे हुए थे? वे यहां से कई बार बम्बई गए हैं, एरोप्लेन से बम्बई गए हैं और वह कम्पनी तीन तीन साल तक ब्याज कमाती रही है। मेरे कहने का मतलब यही है कि जिस एग्रीमेंट में और जिस किसी टेंडर में किसी व्यक्ति और व्यक्ति विशेष का हित होता है साथ साथ राजनैतिक झगड़ा हो कि फलाना मंत्री महत्ता प्राप्त न कर ले, उच्च कोटि तक न पहुंच जाय, उसका परिणाम तो बुरा ही होता है और यही कारण है कि उसका बुरा परिणाम आज अजमेर की जनता भोग रही है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि पुराने अजमेर के मंत्रियों ने अपनी सारी लाज शर्म को छोड़ कर रख दिया और उन्होंने अजमेर की पान की समस्या हल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अजमेर की जिस प्रकार की समस्या है पानी की वैसी राजस्थान के किसी क्षेत्र में नहीं है। आज अजमेर की जो पानी की हालत है उसी तरह से

(श्री भगवानदास शास्त्री)

जोधपुर की पानी की हालत थी लेकिन वह समस्या हल हो गई। वह कैसे हल हो गई, क्योंकि वहां पर किसी व्यक्ति विशेष को महत्व देने की बात नहीं थी। आज अजमेर की पानी की समस्या का परिणाम यह रहा है कि वहां से आज कांग्रेस का नामोनिशान मिट गया है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि इसका भी कारण उनकी गुटबन्दी और जनता को राहत न मिलने का कारण रहा है, यही कहा जा सकता है। आज मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे किसी भी दल की विजय हो, चाहे कोई शासक दल हो या अपोजीशन ग्रुप हो, परन्तु जनता को राहत देने का प्रश्न जब आता है तो यह मंत्री महोदय का विशेष करके फर्ज हो जाता है कि वे इस समस्या को तुरन्त हल करें। आप प्राचीन सभ्यता को देखें, प्राचीन जमाने को देखें, उस समय भी पानी की समस्या के साथ साथ अन्न की समस्या होती थी तो राजा महाराजा अपने भण्डार खोल देते थे...

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं इसी विषय पर आता हूं। मंत्री महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आप रिपीटिशन नहीं करें। आपने मंत्री महोदय का नाम कई दफा ले लिया है, उसको बारबार लेने से कोई फायदा नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री : मेरे कहने का मतलब यही है कि उस कम्पनी से कम से कम जितने समय तक हमारा मनी, हमारा पैसा उनके पास रहा है उसका ब्याज वसूल किया जाय और उस कम्पनी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए कौन सा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है वह बताया जाय। अगर कोई कदम नहीं उठाया गया है तो मैं कहता हूं कि जरूर उठाना चाहिए। मैं समझता हूं कि टेंडर में कम से कम एक लिमिट होती है कि पांच साल के अन्दर या दो साल के अन्दर जो कम्पनी टेंडर उठा रही है उस टेंडर की मियाद के अनुसार उस कम्पनी को माल सप्लाई करना चाहिए। जब टेंडर इश्यू होता है तो उस टेंडर में एक एग्रीमेंट भी होता है कि इतने समय में माल सप्लाई किया जाएगा और मैं समझता हूं कि इसके अन्दर भी जो शासक वर्ग की तरफ से टेंडर विधिवत तैयार किया हुआ होगा और टेंडर में एग्रीमेंट भी किया होगा परन्तु उस व्यक्ति विशेष ने समयानुकूल और लिमिट के अन्दर जनता को राहत देने के लिए जो मेटिरियल बम्बई से अजमेर को भेजना था वह नहीं भेजा। यह एक बड़े दुख की बात है कि जब हमारी स्कीम पेंडिंग थी और वहां पर कुछ पाईप पिछले दो साल से पड़े हुए थे तो हमारे पाईप्स को हायर के लिए, उधार के तौर पर इन्दौर में मध्य प्रदेश को डा. काटजू जी की प्रार्थना पर अजमेर से पाईप हायर पर दे दिए गए और वे अभी तक नहीं लौटाए गए हैं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मध्य प्रदेश की जो समस्या है उसके साथ हमें सहानुभूति है और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को उधार पर भी दे सकते हैं परन्तु अपना पेट भरा हुआ हो तभी दूसरों की मदद कर सकते हैं। जब अपना पेट ही खाली हो, हम अपने पेट को ही नहीं भर सकें, वहां ऐसी उदारता और ऐसी दानवीरता हमारे यहां उचित नहीं है।

(श्री भगवानदास शास्त्री)

जो पाईप मध्यप्रदेश को दिए गए हैं उनको वापिस मंगाना चाहिए। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय से यह प्रार्थना करूंगा और मुझे आशा है कि जो कुछ भी हुआ हो, पुराना इतिहास जो भी रहा हो, उसको छोड़ कर जिस इंजीनियरिंग कम्पनी के साथ एग्रीमेंट किया गया है उस एग्रीमेंट को खोल कर इस सदन की मेज पर रखना चाहिए जिससे यह पता चल सके कि किन कारणों से यह देरी हो रही है और किसकी अवहेलना के कारण अजमेर की जनता को पानी के लिए मुसीबत उठानी पड़ रही है। इस समय कुल 16 माईल का हिस्सा बाकी है जिसके लिए दूसरी कम्पनी माल सप्लाई करने को तैयार है, उससे माल लेने की व्यवस्था कीजिए। इसके पहले इस कम्पनी में जो व्याज का रुपया निकलता है जो मैं समझता हूं कि कम से कम एक लाख रुपये से कम नहीं होगा उस रुपये को वसूल करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जिस योजना में चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष हो, जब नगर के साथ ज्यादती होती है, सैंकडों नागरिकों के साथ ज्यादती होती है, अजमेर नगर जो एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर है और वहां की जनता जो बिल्कुल उचित राहत चाहती है पानी के लिए और उसके बदले में एक मामूली कम्पनी ने 90 प्रतिशत रुपया प्राप्त कर लिया और माल तक नहीं दिया तो ऐसी स्थिति में चाहे नगर परिषद् हो, चाहे राज्य सरकार हो, जिस किसी के साथ भी एग्रीमेंट किया हो, उनको ½ या ¾ रुपया ही दिया जाता है सम्पूर्ण कार्य करने के बाद लेकिन यहां पर तो एकदम से ही 90 प्रतिशत रुपया दे दिया गया है तो इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो, चाहे इंजीनियर हों, या ओवरसियर हों, अपनी रिपोर्ट देने के बाद ही दस परसेंट रुपया वापिस दिया जाता है, वह नहीं दिया जाकर सारा व्याज का रुपया वसूल किया जाय। तो, उपाध्यक्ष महोदय, जो कम्पनी एग्रीमेंट में फेल हो गई, डाक्टर साहब अभी कह रहे थे कि दिवालिया हो गई, वह दिवालिया हो चाहे न हो पर वह सचमुच कम्पनी रजिस्टर्ड भी थी या वास्तव में एक नकली या इमीटेशन कम्पनी बनाई गई थी इसके लिए हम सूचना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय यह जल-योजना एक जल-योजना नहीं है बल्कि राजस्थान के लिए अकाल की योजना साबित हो चुकी है। अजमेर का अगर कभी मरण होगा तो वह पानी की वजह से होगा। वहां से अच्छी अच्छी फेमिली, और अच्छे अच्छे व्यापारी अजमेर छोड़कर बम्बई और मध्य प्रदेश में जा रहे हैं। इसलिए मैं अन्त में प्रार्थना करूंगा कि अजमेर जैसी नगरी को धोखा देकर एग्रीमेंट का पालन नहीं किया है इस इन्जीनियरिंग कम्पनी को ब्लेकलिस्ट किया जाय। ऐसी मेरी प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन !

श्री विजयसिंह (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर की योजना के बारे में 2-4 बातें कहना चाहता हूं कम्पनी से सम्बन्धित !

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री भीमसेन !

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के देहातों में पानी की समस्या बहुत भयंकर थी। पिछले बीस वर्षों में राजस्थान सरकार के प्रयत्न से काफी

(श्री भीमसेन)

गांवों में पानी की योजनाओं को हाथ में लिया गया। कुल मिलाकर अभी तक सारे राजस्थान में 149 इस प्रकार की योजनाएं हैं।

मैं इस कटौती के प्रस्ताव के द्वारा इस सरकार के सामने सुझाव रखना चाहता हूं कि अगर गांवों में नल-योजना शुरू करते हैं तो उसके लिए आपने जो पैटर्न बना रखा है गवर्नमेंट आफ इण्डिया की ओर से कि उसके लिए पाइप लाइन डालते हैं और टैंक बनाते हैं मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार के सामने खास तौर से मेरे इलाके में ऐसा एक्सपीरियन्स रहा है कि वहां के लोग टैंकों को नहीं चाहते हैं। गांव वाले लोग तो इस बात से ही राजी हो जाते हैं कि कुओं से मेकेनिकल मीन्स से पानी निकालने की सुविधा उनको मिल जाय। उससे गांव के लोगों को काफी रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में कुए गहरे होते हैं और पानी खींचने के लिए खर्चा करना पड़ता है और मेकेनिकल मीन्स से पानी निकालना काफी सस्ता पड़ता है। तो मैं सुझाव रखता हूं कि देहाती योजना का पैटर्न तो आप चेन्ज न करें लेकिन इसको दो भागों में विभक्त कर दें। पहली स्टेज में तो पम्प और टैंक बना लें और नेक्स्ट स्टेज में दो-चार साल के बाद जब गांवों की डिमाण्ड हो जाय घरों में कनेक्शन के लिए उस वक्त में टैंक बनायें और पाइप लाइन डालें। ऐसा करने से आप काफी गांवों में इस योजना को हाथ में ले सकेंगे। अभी तक 20 वर्षों के बाद भी इस योजना के द्वारा 149 गांवों को ही लाभ पहुंचा सके हैं। अगर आप पम्प और टैंक ही लगाते तो 500 गांवों तक इस योजना को फैला सकते थे। मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि देहात जल-प्रदाय योजना के पैटर्न को चेन्ज न करें बल्कि इसको दो स्टेज में कम्पलीट करें ताकि ज्यादा गांवों को लाभ पहुंचा सकें।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो सुझाव...

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल !

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती प्रस्ताव मैंने रखा है उसकी मुख्य बात यह है कि जो स्कीम्स राजस्थान गवर्नमेंट ने पिछले वर्ष में स्वीकृत कर दी थीं उन स्कीम्स का पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया और वे स्वीकृति में ही पड़ी हुई हैं। इसलिए क्योंकि ऐसे स्थानों में जहां कि पानी का अभाव है और पानी के अभाव की वजह से इस प्रकार की स्कीमें बनाकर राज्य सरकार के पास प्रेषित की गई थीं और प्रेषित करने के बाद में राज्य सरकार ने पूरी तरह से गौर करके यह निर्णय लिया कि इन स्कीम्स को हाथ में लेना चाहिए। जब इस प्रकार की स्वीकृति हो गई तो उन स्कीम्स को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करने का जिम्मा भी जो है राज्य सरकार का है।

पूरे क्षेत्र में दो स्कीम्स जो राज्य सरकार की तरफ से स्वीकृत हुई—एक दौलतगढ़ की और एक जो है बदनोर की। दोनों स्कीम्स के लिए राज्य सरकार की तरफ से टेण्डर वगैरह सब कुछ हो गये, लेकिन 5-6 महीने का अर्सा गुजर जाने के बावजूद भी उन स्कीम्स को पूरी तरह से अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। उस क्षेत्र में 3-4 वर्ष से बराबर अकाल की स्थिति है। पानी की निरन्तर कमी है। एक-एक मील, डेढ़-डेढ़ मील तक जाकर पानी लाना पड़ता है। इस तरह

Page No. 82

(श्री गिरधारी लाल व्यास)
से वहां के लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ हो है, तो इसलिए होना तो यह चाहिए था कि इस प्रकार के अभाव-ग्रस्त क्षेत्र में जहां पानी की बराबर 4-5 साल से कमी होती आ रही है उन स्थानों में जल्दी जल्दी इन स्कीम्स को कार्यान्वित किया जाय, मगर उसके विपरीत इस प्रकार की परिस्थितियां आ रही हैं कि उन स्कीम्स में और भी ज्यादा देरी हो रही है। इसलिए मेरा राजस्थान सरकार से यह निवेदन है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां पानी का अभाव है और जहां पानी की बहुत बड़ी कठिनाई है उन स्थानों में इन चीजों को जल्दी से जल्दी प्राथमिकता दी जा कर और जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाय, ताकि उस क्षेत्र के लोगों कि जल्दी से जल्दी राहत मिल सके।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि वाटर वर्क्स में अभी थड़े दिन पूर्व 40-50 ओवरसियर्स को टर्मिनेशन के सम्बन्ध में नोटिस दिया गया। उन ओवरसियर्स के बारे में यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो हम ऐसी स्कीम्स को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित कराना चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके स्टाफ लगाकर उन स्कीम्स को कार्यान्वित करें, और दूसरी तरफ उन ओवरसियर्स को जो 10 साल से लगाकर 2 साल तक के हैं उनको इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए इतना अर्सा हो गया है उन लोगों को बिना किसी कारण के उनकी सर्विस को टर्मिनेट कर दें। उस पर प्रश्न यह है कि ऐसे ओवरसियर्स के लिए सन् 65 के अन्दर इस प्रकार का एक पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया था कि जो कोई भी ओवरसियर, जिनको इन्टरव्यू में आना है, उन लोगों को प्रेस्क्राइब्ड फार्म पर एप्लीकेशन देनी चाहिए ताकि उनका इन्टरव्यू कराकर उनको परमानेन्ट कर दिया जाय या उनको रिजेक्ट कर दिया जाय। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करने के सम्बन्ध में एप्लीकेशन मांगी। राज्य सरकार की तरफ से इस प्रकार का सन्देश निकाल दिया गया कि जो टेक्निकल हैण्ड्स, जैसे कि ये ओवरसियर्स हैं और दूसरे लोग हैं उनको पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने एपियर होने की आवश्यकता नहीं है। इनको डिपार्टमेंट के द्वारा ही उनका इम्तिहान लेकर परमानेन्ट कर दिया जाय, या उनकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाय। इस प्रकार का प्रावधान राज्य सरकार की तरफ से बराबर प्रकाशित कर दिया गया। उसके बावजूद भी इस डिपार्टमेंट के हैड जो हैं उन्होंने इस सारी बातों को जो है अपने स्तर पर न लेकर पी० एस० सी० को दे दी जिसकी वजह से करीब 108 आदमी इस प्रकार के सारे जिनकी सर्विस इस पी० एस० सी० के सामने एपिअर होने की वजह से उनको टर्मिनेट होना पड़ेगा। इन 108 आदमियों के लिए जो क्वालिफिकेशन्स डिपार्टमेंट ने निकाली थीं वे पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन्स पी० एस० सी० ने अपने प्रेस्क्राइब्ड फार्म में नहीं दीं, और इसके विपरीत इस प्रकार की शर्तें रख दीं कि जिसमें वे अपने आपको क्वालिफाई नहीं कर सके। जब कि वे 108 आदमी 2 वर्ष लगाकर 10 वर्ष तक की सर्विस के हैं तो ऐसे आदमियों को उस वक्त आपने प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन्स के ऊपर नियुक्त किया था उन सारी क्वालिफिकेशन्स को पी० एस० सी० के अन्दर न रख कर उनमें से कुछ थोड़ी सी क्वालिफिकेशन्स रख कर उनकी सर्विस को टर्मिनेट कर दें तो यह किसी प्रकार से भी न्यायसंगत नहीं

Page No. 83

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि उन ओवरसियर्स को जो कि टैक्निकल आदमी हैं और जो 10 वर्ष से लगाकर पिछले दो वर्षों तक से काम कर रहे हैं उन लोगों का डिपार्टमेंटल एक्जामिनेशन लेकर अगर वे कामयाब हो जाते हैं तो उनको रखा जाय और अगर डिपार्टमेंटल एक्जामिनेशन में नाकामयाब होते हैं तो उस हालत में जिस प्रकार का उनका एग्रीमेंट है उसी प्रकार से एक्शन आप ले सकते हैं। मगर बिना क्वालिफिकेशन्स प्रेस्क्राइब्ड किये हुए और जिस वक्त उनका एपाइन्टमेंट हुआ था उस वक्त क्या क्वालिफिकेशन्स प्रेस्क्राइब्ड की थीं, और उसके बाद जब पी० एस० सी० का इन्टरव्यू हुआ था क्या क्वालिफिकेशन्स प्रेस्क्राइब्ड कर दीं जब कि उनको राज्य सरकार ने पी० एस० सी० के परव्यू से अलग कर दिया था, तो ऐसी ऐसी परिस्थिति में इन 108 आदमियों को जिनको अब टर्मीनेट किया जा रहा है, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की बात पर और कभी गौर करना चाहिए। जब कि टेक्निकल हैंड्स की पहले ही कमी है और कमी की वजह से इस प्रकार से 108 आदमी जो हैं अपनी सर्विस से वंचित किये जाते हैं तो उनके साथ में बड़ा कुठाराघात होगा। इसलिये मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन 108 आदमियों के साथ में न्याय किया जाय, और जिस प्रकार की क्वालिफिकेशन आपके डिपार्टमेंट ने प्रेस्क्राइब्ड की थीं उनके अन्तर्गत उनको कहीं लिया जा कर उन लोगों को, जिस केटेगरी में भी वे फिट हो सकते हों, उनमें फिट किया जाकर और जो टर्मीनेशन आर्डर 44 का तो निकाल दिया गया है और बकाया के खिलाफ और निकालने वाले हैं उनके सम्बन्ध में न्यायोचित बात की जाय ताकि वे लोग न्याय पा सकें।

श्री देवीदत्त : उपाध्यक्ष महोदय, जन स्वास्थ्य की डिमाण्ड के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए····

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : On a point of order, Sir....

श्री रघुनाथ विश्नोई : सुनिये।

श्री देवीदत्त : निवेदन है कि मैंने मांग संख्या····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का पाइन्ट ग्राफ आर्डर है। यह सुनिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : नियमों के अनुसार यदि कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं तो प्राथमिकता उन्हें दी जायगी लेकिन इसमें दो बात और हैं, नियमों में दो बातों का प्रावधान और रखा गया है·····

श्री मूलचन्द डागा : जोर से सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जब तक कटौती प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य के कटौती प्रस्ताव पेश न कर दिये जायं, या आसन की ओर से मुख-बन्द अधिकार का प्रयोग न कर दिया जाय। मेरा निवेदन करना यह है कि कार्यवश ऐसा हो सकता है, ऐसा अनुमान हो सकता है····

श्री रघुनाथ विश्नोई : लास्ट में समय हो तो दिया जा सकता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कटौती प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्यों के लिए समय पर्याप्त होता है, उसमें से बच जाय तो बाद में दो चार सदस्य बोल सकते है। जैसा कि आपने प्रश्न-काल के दौरान देखा होगा कि कई दफा प्रश्न रिपीट हो जाया करते हैं······

श्री उपाध्यक्ष : कट मोशन खत्म हो जायं, उसके बाद में आपको अवसर दिया जायगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30–जन स्वास्थ्य के बारे में, ग्राम हाड़ेचा तहसील सांचोर को जल प्रदाय योजना के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको भली भांति मालूम है कि तहसील सांचोर में ग्राम हाड़ेचा ऐसी जगह पर स्थित है जहां उसके आस पास दस दस मील तक पर्याप्त पीने का पानी नहीं मिलता है। बरसात के समय में वहां के तालाब में जो पानी भर जाता है, वह भी इतना खारा होता है कि तालाब में पानी भर जाने के बाद भी लोगों को पीने के पानी की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। इस गांव की इतनी विकट पीने के पानी की समस्या है कि वहां की औरतें वहां से चार चार, पांच पांच मील दूर से सर पर घड़े में पानी भर कर लाती हैं। यह पीने के पानी की समस्या वहां के लोगों के लिए एक दिन की नहीं है, वहां के लोगों को बारह मास इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का इस विकट समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले पांच साल से मैं इस बारे में राज्य सरकार का ध्यान बराबर आकर्षित करता रहा था और पिछले दो साल पहले तो माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य ने यह आश्वासन भी दिया था कि यह योजना राज्य सरकार के अधीन अगर नहीं आई तो भी इसकी एक स्पेशल स्कीम बना कर गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के पास भेजकर इसकी मंजूरी करवा कर योजना को सम्पूर्ण करवा कर इस समस्या को दूर किया जायगा। परन्तु मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि अभी तक इसके सम्बन्ध में कोई सक्रिय कदम राज्य सरकार की ओर से नहीं उठाया गया है। करीब चार साल पहले वहां पर बोरिंग करवाया था, करीब साढ़े चार सौ फीट नीचे बोरिंग करवाया गया था, लेकिन नीचे से, तले का जो पानी निकला वह भी खारा पानी निकला और जिसको पी कर जानवर भी मर सकता था। इस गांव के आस पास भी पानी का कोई सोर्स नहीं मिलता है। परन्तु फिर भी किसी योजना के द्वारा राज्य सरकार इस गांव को पीने के पानी की विकट समस्या को दूर करना चाहती है तो गांव से दस मील दूर से पाइप के जरिये पीने का पानी लाकर लोगों की समस्या को दूर करना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बीस साल राजस्थान में जनतन्त्र को कायम हुए हो गये परन्तु फिर भी हाड़ेचा गांव और उसके आसपास के जो दस गांव हैं वहां पर अब भी यह पीने के पानी की विकट समस्या है। वहां पर अण्डर ग्राउण्ड भी खारा पानी होने की वजह से समतल पर बरसात का पानी पड़ा हुआ भी खारी हो जाता है। इसलिए इस समस्या

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिए मेरा सुझाव है । सांचौर के पास में जो सीलू जगह है, जो वहां से दस मील दूर है, वहां बोरिंग करवा कर, पानी निकाल कर, पाइप लाइन के जरिये इस गांव में पानी पहुँचाकर इस गांव की पीने के पानी की विकट समस्या को दूर करना चाहिए । मुझे विश्वास है····

श्री हरिदेव जोशी : गांव का नाम क्या बताया ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : हाड़ेचा !

राज्य सरकार की ओर से चीफ इन्जीनियर द्वारा तीन साल पहले मुझे लिखित में जानकारी दी गई थी कि राज्य सरकार ने इस स्कीम को मंजूरी के लिए भारत सरकार के पास भेजा है । उसके बाद में उस स्कीम का क्या हुआ——इसकी जानकारी मुझे आज तक नहीं मिली है । उसके बाद में सांचौर में श्री नाथूराम जी मिर्धा आये थे उस समय उन्होंने बताया था कि इस स्कीम पर जो भी खर्चा आये उसका पांच प्रतिशत वहां के लोग देने को तैयार हों तो स्कीम हाथ में ली जा सकती है । मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दस हजार की स्कीम वर्क आउट करने के बाद जालोर से कलेक्टर की सूचना आने के बाद यहां के लोग रुपये जमा कराने के लिये जालोर में गये तब उनको यह सूचना दी गई कि अभी यह स्कीम मंजूरशुदा नहीं इसलिए पैसा जमा करने में हम मजबूर है । आप देखिये कि पहले तो सूचना दी गई कि पैसा जमा करा दो लेकिन बाद में यह बताया गया उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की इस विकट समस्या को मिटाने के लिए वहां के लोग, जितना भी इसमें खर्च हो उसका पांच पर्सेन्ट देने के लिए तैयार हैं, दस हजार, पन्द्रह हजार, बीस हजार रुपया देने के लिए तैयार हैं । ऐसी हालत में राज्य सरकार पीने के पानी की इस विकट समस्या को दूर करने के लिये शीघ्र कदम उठाये, चाहे इसमें कितना भी खर्च क्यों न हो । जैसा अभी माननीय सदस्य अजमेर में पानी की समस्या के बारे में बता रहे थे वैसी को वैसी विकट समस्या हाड़ेचा गांव की है । पांच पांच मील दूर से औरतें सिर पर घड़े रख कर पानी लाती हैं । इस बात को बरकतुल्ला जी अच्छी तरह से जानते हैं और जो भी माननीय मंत्री वहां गये हैं वह भी अच्छी तरह से जानते हैं । पांच पांच मील दूर से सिर पर घड़ों में पानी भर कर औरतें लाती है और चौबीस घंटे यही हालत रहती है । ऐसे समय में जब कि पीने के पानी की समस्या को मिटाने के लिए ऐसी योजना बना रहे हैं कि तीन मील से दूर पीने के पानी को लेने के लिए लोग न जायं, और मास्टर प्लान रूरल ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बनाना चाहते हैं, तो भले हो उसके रूल्स के अन्दर यह स्कीम नहीं आती हो, एज ए स्पेशल केस, क्योंकि लोगों को दस दस मील दूर से पानी लाना पड़ता है, वाचवाड़ा, बावराला, आपनी, पालड़ी जितने भी आस पास को गांव हैं इनकी पीने के पानी की समस्या को एक स्कीम के जरिये से दूर किया जा सकता है । इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस स्कीम को राज्य सरकार अपने हाथ में लें । इसके बारे में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि जो एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने सूचना दी थी उसके आधार·

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पर लोग दस हजार तक जमा करने आ रहे थे। उसमें उन्होंने बताया था कि इन गांवों की जन संख्या 2542 है और इसलिए इस हालत में एक व्यक्ति के पीछे 150 रुपये खर्च पड़ता है। इनका लैटर है उसमें लिखा है:—

"The total cost would come to more than 150/-per head and it is beyond the capacity of the Rajasthan Government. At this stage, the water supply scheme cannot be considered...."

यह हमको इन्फोर्मेशन दी थी। मेरी जानकारी के अनुसार जब हरिश्चन्द्र माथुर एम. पी. थे, उन्होंने लिखित में यह सूचना दी थी कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से यह स्कीम सैंक्शन हो चुकी है। लेकिन क्योंकि उसकी सूचना नहीं आई है इसलिए हो सकता है कि पिछले बजट में लेप्स हो गई हो। इसका मुझे पता नहीं है। माननीय मंत्री जी को प्रयत्न करके इस स्कीम को मंजूर कराना चाहिए। आज जैसी स्थिति है उसमें मैं माननीय मंत्री को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ग्रामवासी, जो भी खर्चा हो, उसका पांच प्रतिशत खर्चा देने के लिए तैयार हैं। ऐसी हालत में राज्य सरकार इस स्कीम को अपने हाथ में ले और इस गांव के लोगों की पीने के पानी की विकट समस्या और आस पास के गांवों की समस्या दूर हो—उसके लिए कोई योजना बनाये और उस योजना को सरकार द्वारा प्रायोरिटी दी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव इस मांग के बारे में है··

श्री उपाध्यक्ष: आप थोड़े में कह दें क्योंकि सरकार की तरफ से उत्तर होने को है और साढ़े चार बजे तक चर्चा चल सकती है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: मैं थोड़े में अपनी बात कह देता हूँ।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो स्वतंत्रता के बीस साल के बाद भी एलोकेशन फार रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के लिए मिला है वह बहुत थोड़ा है और जो वाटर सप्लाई स्कीम हैं वह बहुत ही कम संख्या में सम्पूर्ण हो पाई हैं। आज के दिन भी बहुत सी योजनायें अधूरी हैं। राज्य सरकार का योजनाओं के बारे में यह निर्णय है कि जो योजनायें अधूरी हैं पहले उनको सम्पूर्ण किया जायगा उसके बाद में दूसरी योजनायें हाथ में ली जायेंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो डेजर्ट एरिया है, जैसलमेर, बाड़मेर, शेरगढ़, फलोदी, जालोर—यह सेमी-डेजर्ट एरिया हो सकता है, लेकिन यह ऐसा क्षेत्र है जिसके अन्दर पानी की समस्या है। ऐसी ही गति से यदि राज्य सरकार चलती रही, राज्य सरकार का यही प्रोग्रेस प्रगति का चलता रहा तो सैकड़ों वर्षों में भी राज्य की वाटर प्राबलम सोल्व नहीं होगी। जो बजट एलोकेशन फार रूरल वाटर वर्क्स है, वह अरबन वाटर वर्क्स के मुकाबले में बहुत कम है, बहुत कम प्रपोर्शन गांव वालों को मिलता है। हम देखते हैं कि गांव वालों में अस्सी प्रतिशत जनता हिन्दुस्तान की बसती है। मैं यह मानता हूं कि अरबन पोपूलेशन की पानी की समस्या को सर्वप्रथम दूर किया जाना चाहिए क्योंकि वहां पर भी होशियार लोग बसते हैं, वहां के लोग आन्दोलन करते हैं, वहां के लोग भूख हड़ताल करते हैं लेकिन गांव के लोग भूख हड़ताल आदि नहीं कर सकते हैं। वह तो दस-दस मील दूर जाकर पानी लाते हैं और

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

दो सौ-तीन सौ फीट नीचे कुए मे रस्सियों से पानी निकाल कर अपनी पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं। आज स्थिति यह है कि वह लोग अपना सारा समय पानी की समस्या को पूरा करने में व्यतीत करते हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्रामीण जनता को राज्य सरकार यदि फायदा देना चाहती है तो कम से कम भगवान के लिए ड्रिंकिंग वाटर की प्रोबलम को सोल्व करने के लिए उनके प्रपोर्शन में खर्च करें। हालांकि वह लोग बोल नहीं सकते हैं लेकिन हम लोग जो गांव से आते हैं, जो भी उनकी समस्या को जानते हैं, वेलफेयर स्टेट में ऐसे लोगों की समस्या को हल करना चाहिये जब कि शहरों के मुकाबले में, ग्रामीण लोग अपना रिप्रेजेन्टेशन नहीं कर सकते। इसलिये आपको बजट अलोटमेंट ज्यादा से ज्यादा ग्रामों की जलप्रदाय योजना सम्पूर्ण करने के लिये बनाया जाना चाहिये और जो भी स्कीम है उसको जैसा कि अभी मेरे दोस्त भीमसेनजी ने बताया उस तरह से करनी चाहिये। यह बड़ी नहीं बनाई जानी चाहिये। स्कीम बनाई जावे वह इतनी बनाई जावे कि एक होद बना दिया जावे और उसमें टूंटी लगा दी जावे तो इससे सारे गांव के लोग आकर पानी ले सकेंगे। इस प्रकार से सैकड़ों स्कीमें गांवों में कामयाब हो सकेंगी और काम में ली जावेंगी और इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सकेंगे। वरना गांव के लोगों की यह हालत है कि वे बहुत ही डर्टी वाटर, गंदा पानी पीते हैं क्योंकि दूसरा पानी उनको वहां पर प्राप्त नहीं होता। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में जन स्वास्थ्य को सुधारना चाहिये और इसको सुधारने का यह सीधा सा तरीका है। वह यह कि कवर्ड वेल्स के जरिये इस तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): आदरणीय उपाध्यक्षजी, अभी मेरे साथियों ने थोड़े अच्छे ढंग से ग्रामीणों की पानी की समस्या का वर्णन किया है और मैं यह बात चाहता हूं और माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे पनघट का जो क्रम है उसको खत्म न करें। इस पनघट के क्रम को खत्म नहीं किया जावे। गांवों में लोग कुओं पर पानी के लिये जाते हैं और वहां पर स्त्रियां आपस में एक दूसरे से मिलती रहती है और आपसी बातें करती हैं वह मिलनी चाहिये। आप अपनी योजनाएं बतावें मगर जगह-जगह गांवों में औरतें इकट्ठी होती हैं वे इकट्ठी होनी चाहिये वह आपकी योजना से नहीं हो सकती हैं। यह जो पनघट के तरीके को समाप्त करना पुरानी संस्कृति का ह्रास होता है। इसलिये गांवों में हम यह नहीं चाहते कि पनघट का क्रम है वह खत्म हो जाए और आप पाइप लादें। जहां आपका ड्रेनेज सिस्टम है वहां भी आप पूरी तरह से लगा नहीं सकते। आप एक बहुत अच्छी योजना बना कर खड़ी करें जिससे सब औरतें आपस में आकर एक जगह मिल सकें और अपनी सासू की शिकायतें आपस में इकट्ठी होकर एक दूसरे को कर सकें। इसलिये यह गलत तरीका आपने अख्तियार किया है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़े पैसों में काम बन जाता है और वह है जवाई से पानी आता है और शहरों को जाता है और शहर वाले 20-20 और 25-25 गैलन पानी का उपयोग करते हैं जब कि गांव वालों को पानी की बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। मैं तो यह चाहता हूं कि गांवों को भी पानी मिलना

(श्री मूलचन्द डागा)

चाहिये लेकिन गांव वालों को चार गैलन भी नहीं मिलता। इसलिये इसका एक तरीका है कि जवाई की नहर को हर साल पानी देते हैं उसको पक्की कर दी जावे। जहां कितने ही गैलन पानी खराब होता है उसका उपयोग अच्छी तरह से हो सके। इसके लिये राजस्थान वाटर बोर्ड बना उसका मैं भी सदस्य हूं, था। हूं या नहीं पता नहीं। (हंसी) इसके लिये मैंने कहा था कि आप सारा पानी वितरण करते हैं उसकी जगह पक्की सीमेन्ट की नालियां लगा दीजिये। पक्की सीमेन्ट की नालियां लगाने से काफी पानी की बचत होगी और गांव वालों को पानी उपलब्ध होगा।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि आप पहले गावों में पक्के टांके बनायें। आज जैसे अजमेर वाले कहते है, जयपुर वाले कहते हैं और दूसरे कहते है, बिश्नोई जी कहते है, भीमसेनजी कहते हैं और मूलचन्द कहते हैं कि ग्रामों में पानी की समस्या हल होनी चाहिये। शहर वालों को बतायें कि गांव में 80 परसेन्ट जनता रहती है और गर्मी में उनको पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। वहां पर उनके लिये टांके बना कर उनका उपयोग किया जावे। आज आप हजारों रुपये लाखों रुपये लगाकर पानी टंकियों से पहुंचाते हैं। इसलिये आप गांवों में टांके बनाकर पानी का प्रबन्ध करें और सबसे पहले प्राथमिकता उन गांवों में टांके बनाने को दी जावे जहां पानी की कमी है। वहां पर बड़े बड़े सीमेन्ट के टांके बना कर पानी की समस्या को हल किया जावे और जहां कुए बना सकते है वहां कुओं से पाइप लगा कर एक जगह गांव में पुल बना कर पानी दिया जावे। यह ड्रेनेज सिस्टम पर नहीं होगा। यह हमारी राय है आप इस पर विचार करेंगे। आपकी योजना लम्बी रहती है और बाद में बन्द हो जाती है। जब पानी की कमी हो जाती है तो फिर योजना शुरू कर देते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें योजना को नहीं करना है बल्कि हमें गांवों के लोगों की प्यास को बुझाना है। इसलिये हमारा जो प्रस्ताव है, शहर वाले भी एडजोर्नमेंट मोशन लाते हैं, हमारा भी यह एडजोर्नमेंट मोशन है कि जो गांवों में पीने के पानी की समस्या है उसको हल किया जावे और गांव वाले जो हाका नहीं करते हैं उनको ऊंचा उठाया जावे। शहर वाले ज्यादा हाका करते हैं उनको ज्यादा पानी मिलता है, उनको ज्यादा पानी नहीं दिया जावे।

एक माननीय सदस्य : पानी होना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : इनमें पानी कम हो गया है तो इनको दिया जावे। गांव वालों में शक्ति है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आपको पांच मिनिट दिये जाते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मैं संक्षेप में ही बोलूंगा।

मैं तो साक्षी के रूप में मंत्रीजी और उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी रखता हूं क्योंकि आप यहां 57 से 62 तक रहे हैं और रह रहे हैं और सौभाग्य से श्री जोशीजी इसके मंत्री हैं और पूर्व जन्म का उनको ज्ञान है। अब यह जटिल समस्या है इस पर

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
काकर पड़ती है कारण इसका क्या है ? इसका कारण यह है कि यह वरुण का कार्य है जल प्रदान करना और आपने इसका पद ग्रहण किया है और आपके पद ग्रहण करने के बाद वरुण देव ने सहयोग नहीं दिया तो इसके फलस्वरूप तीन वर्षों से बराबर अकाल चला आ रहा है क्योंकि वरुण देवता असंतुष्ट हैं। जब से जयपुर में राजधानी कायम हुई है तब से यह कमी हो रही है। इससे पहले इतनी क्षमता यहां पर थी कि पानी की कमी नहीं रही। लेकिन ज्यों ज्यों पोपुलेशन बढ़ती गई, प्रेशर बढ़ता रहा और जो नल लगे थे वे पुराने ही लगे हुए हैं··

एक माननीय सदस्य : गांवों के बारे में··

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं गांवों के बारे में कोई आपत्ति नहीं करता।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पुराने नल लगे थे जैसे पहले एक नल एक इन्च की लाइन से आता था। यहां की पोपुलेशन बढ़ी और आज उसमें 8:10 और 12 कनेक्शन्स हो गये और पानी का प्रेशर आप देखते हैं कि कितना है। सभी जगह पानी का प्रेशर बराबर नहीं पड़ता। प्रेशर बहुत कम हो गया है।

मैंने आपसे निवेदन किया कि शहरों में कुए हैं लेकिन शहरों में लोगों को पानी लाने के लिए आप देखेंगे कि उनके पास बाल्टी नहीं मिलेगी न डोरी ही पानी निकालने के लिए मिलेगी। यानी पानी प्राप्त करने के लिए उपकरण नहीं मिलते हैं। इसके अलावा उस समय जब पानी की कमी होती है, लडकों के परीक्षा के दिन होते हैं इसलिए बच्चों को पानी समय पर मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। आपने समय 9 बजे का कर रखा है। इसलिए भी लोगों को पानी वगैरह लाने में बड़ी असुविधा रहती है क्योंकि देर हो जाती है तो दफ्तरों में उनकी गैर हाजरी लग जाती है। यह सब जिम्मेदारी किस पर है ? आप लाखों करोड़ों की योजनाएं बनाते हैं और उन बड़ी-बड़ी योजनाओं से आप न जाने कब चम्बल और बनास से पानी लावेंगे और जब तक वह पानी पहुंचेगा तब तक तो सारी दुनियां मर जावेगी। अगर प्यास लगने के बाद कुए खोदने शुरू किये जावें तो दुनियां प्यास के मारे मर जावेगी जब तक वह कुआ खुदेगा। मैं यह निवेदन करता हूं कि आप छोटी सी लागत से, हजार रुपयों की लागत लगा कर आप किसी अच्छे कुए पर एक हैन्ड पाइप लगा दें तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि पानी का प्रेशर कम हो जावेगा। बड़े अच्छे कुए हों जिनमें आप यह लगा दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जहां पर गांवों में 200 फुट गहरे कुए हों वहां पर इस प्रकार का हैंड पम्प क्या काम करेगा ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं गांवों के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं जयपुर नगर के बारे में बोल रहा हूं। गांवों के बारे में भी मैं निवेदन करूंगा। यहां पर ऐसे कुए हैं इसकी जानकारी के लिये आपने कई बार कमेटी बनाई थी और उसको राय देने के लिए कहा था उसमें इधर उधर की बातें हुई। कुछ कुओं को देखा गया किसी में पानी कम था किसी में ज्यादा था। उस समय थोड़े से कुओं में हैन्ड पम्प लगाये गये, कुछ दिनों तक वे चले बाद में बन्द कर दिये गये। अगर इस समस्या

Page No. 90

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

का जल्दी से समाधान कोई हो सकता है तो यह ऐसे कुए जिसमें पानी की मात्रा बहुत है उनमें हैन्ड पम्प लगाये जाय या प्रेशर पम्प लगाये जाय और जो कुए मिट्टी से भर गये हैं उनकी सफाई की व्यवस्था की जाय। इसी से इन सारी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं।

जहां तक गांवों के पानी की समस्या है उसके लिए मेरी पूरी सहानुभूति है लेकिन जहां तक शहरों का ताल्लुक है यहां के लोगों के पास कुओं से पानी निकालने के साधन नहीं हैं, उसके लिये उपकरण नहीं हैं, इसलिये कुओं के अन्दर हैन्ड पम्प लगा दिये जायं तो यह समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। इतना रुपया तो खर्च करने को मिल ही सकता है।

पानी और बिजली मन्त्रियों के लिए फ्री है इससे कितना वेस्ट चला जाता है। उसमें कटौती करके आम जनता को राहत दिलाने की व्यवस्था की जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा। इस बारे में माननीय मंत्री महोदय आश्वासन देंगे ताकि पानी समस्या का निराकरण हो सके।

उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री !

श्री बरकतुल्ला खां (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 64.65 का जो वितरण आपके सामने रखा था उसके अनुसार 45 लाख 48 हजार का ज्यादा खर्चा हुआ है। इस विषय में सदन को जो थोड़ी बहुत शंका है उसको दूर करना चाहता हूं। कुछ हालात ऐसे हुए जिसके अन्दर सरकार को विभाग द्वारा बगैर अपनी तरफ से कोशिश किये आखिरी वक्त में यह खर्च करना पड़ा। जैसे ग्रान्ट-इन-एड के पेमेन्ट के लिये, स्कालरशिप में इम्प्रूवमेन्ट के लिये कहा गया था इसके लिये इन्स्टीट्यूशन्स को एक्जामिन करने के बाद मार्च के अन्दर 13.38 हजार की एक्स्ट्रा रिकमन्डेशन की, यह प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को मिलनी चाहिये। इस तरह से 5.22 हजार रुपया इन इन्स्टीट्यूशन्स के लिये रिकमन्ड किया गया।

इसी तरह से साल के आखरी दिनों में जोधपुर युनीवर्सिटी ने मांगा जिसके लिये हाई पावर कमेटी ने देने का फैसला किया वह देना पड़ा। इस तरह से यह मिलाकर 25 लाख 60 हजार के करीब होता है।

इसी तरीके से गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने एक स्कालरशिप देने का तय किया था उसके अनुसार जितने अध्यापकों के बच्चे हैं उनको 3.39 हजार देने का तय किया था। उसको राजस्थान सरकार के कन्सोलिडेटेड फन्ड से निकाल कर एक्सपेन्डीचर में डालना पड़ा।

इसी प्रकार महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई, टीचर्स के, प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के टीचर्स के महंगाई भत्ते को बढ़ाया गया वह 18.80 हजार के करीब हुआ। इस तरह से इतनी रकम आयी है··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपने इस प्रकार के आंकड़े भी इकट्ठे करवाये हैं कि शिक्षकों का कितना बकाया वेतन का है ?

श्री बरकतुल्ला खां : पहले मैं इस बारे में कह दूं कि बजट के अन्दर इतना खर्च ज्यादा क्यों हुआ उसके बाद आपके पोइन्ट को लूंगा।

(श्रीबरकतुल्ला खां)

इसके अलावा दूसरी चीज जिस पर ज्यादा जोर दिया गया वह एरियर्स और फिक्सेशन के बारे में है। इस बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि फिक्सेशन के केसेज कुल मिलाकर 260 बाकी रह गये हैं। रेशनेलाइज्ड पे स्केल्स के अन्तर्गत और यूनिफाइड पे स्केल्स के अन्तर्गत—दोनों मिलाकर केवल 260 केसेज बाकी रहे हैं।

इसी तरीके से एरियर्स का जहां तक सवाल है एरियर्स के बारे में बताना चाहता हूं। एरियर्स के कुल मिलाकर 3959 केसेज थे उनमें से 2369 को डिसपोज आफ कर दिया गया है, जिसका तखमीना करीब चार लाख का होता है। इनको सेटिसफाई कर दिया गया है। अब केवल 1590 केसेज पेंडिंग हैं जिनका टोटल 2 लाख 8 हजार आता है। 3959 केसेज कम होकर 1590 रह गये हैं। यह हम आशा करके चलते हैं कि ये जो तमाम केसेज पेन्डिंग हैं उनको साल भर के अन्दर अन्दर खत्म कर दिया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चार लाख जो शिक्षकों का बकाया था वह क्या उनका भुगतान हो चुका है?

श्री बरकतुल्ला खां : जब आर्डर्स हो गये पेमेन्ट करने का क्लेम मन्जूर हो गया तो यह मान लेना चाहिये कि उनको पेमेन्ट हो गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब तक 6 लाख के करीब शिक्षकों के पेमेन्ट का बाकी है?

श्री बरकतुल्ला खां : एरियर्स के केसेज का निपटारा करके करीब चार लाख का पेमेन्ट कर दिया गया है। किसी जगह पेमेन्ट हुआ या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। जानकारी करके बता सकता हूं। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी अभी मिली है उसके अनुसार चार लाख का पेमेन्ट हो गया है जो कुछ केसेज बाकी हैं उनको जल्दी फाईनेलाइज कर दिया जायगा...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इसके बारे में आप कोई सीमा दे सकते हैं?

श्री बरकतुल्ला खां : कोशिश करके साल भर के अन्दर अन्दर इनको खत्म कर दिया जायगा।

श्री रामकिशन : यह जो चार लाख का पेमेन्ट होने की बात करते हैं यह आप जोशीजी के कहने पर तो नहीं कह रहे हैं?

श्री बरकतुल्ला खां : हमने आर्डर्स कर दिये हैं पेमेन्ट कर दिया जाय। आर्डर्स कम्युनिकेट कर दिये गये हैं तो आर्डर्स कैरी आउट हो गये होंगे और उसके अनुसार पेमेन्ट हो गया होगा।

इसी तरह से स्कालरशिप के बारे में भी चर्चा आयी। इसके बारे में खास तौर से जोर दिया गया स्पेशल स्कालरशिप के लिये। इसके बारे में सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि स्पेशल स्कालरशिप की मन्शा यह है कि हमारे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के छात्र हैं जिनको पब्लिक स्कूल में दाखिला मिल जाता है उनको मदद होनी चाहिये। भारत सरकार की स्कीम के द्वारा जो लड़का लड़की राजस्थान के अन्दर पब्लिक स्कूल में हरिजन का बच्चा या भील का बच्चा दाखिला ले लेता है उसको यह स्कालरशिप देनी चाहिये यह उन्हीं को स्पेशल स्कालरशिप दी गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर में सिवाय अमृतलाल जी के बच्चों को किसी को भी यह स्पेशल स्कालरशिप दी गई है ?

श्री बरकतुल्ला खां : इस स्कीम के तहत उन्हीं को मिलती है जो बच्चे दाखिला ले लेते हैं। इस प्रकार स्कालरशिप उदयपुर में और महारानी गायत्री देवी पब्लिक स्कूल में पढने वाले छात्र छात्राओं को मिली है जो शिड्यूल्ड कास्ट्र्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के हैं।

इस तरह से जयपुर के अन्दर, अजमेरा, उदयपुर के अन्दर इन लड़कों को मौका दिया जाता है मेरिट के आधार पर दाखिला हांसिल कर लेते हैं उनको स्पेशल स्कालरशिप दी जाती हैं।

(4 म. प.)

इसी तरीके से यह पूछा गया था कि स्कालरशिप की मात्रा कम होती जा रही है . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने यह शर्त लगाई कि दाखिला हासिल कर ले तो स्कालरशिप दी जा सकती है। क्या आपको जानकारी नहीं है कि जब तक कोई प्रभावशाली व्यक्ति नहीं हो, जब तक बड़ा प्रभाव नहीं हो तब तक वहां दाखिला हासिल करना ही मुश्किल है, वहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के गरीब लोगों के बच्चों का दाखिला हो ही नहीं सकता। तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाये हैं या किसी प्रकार की कोशिश की है ?

श्री बरकतुल्ला खां : सरकार ने इस बात की कोशिश की है। सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत की है, पर्सनल लेवल पर बातचीत की है, एज्यूकेशन डिपार्टमेंट ने बातचीत की है। इन स्कूलों के डायरेक्टर आफ एज्यूकेशन मिस्टर जोन हैं, उन्होंने लोगों से बात चीत की है और कहा है कि आप सेपरेट डोमिनियन बना कर नहीं रख सकते, सब लोगों को इनमें आने का मौका दिया जाना चाहिये। और हमने कोशिश की है कि सभी सोसायटीज के लोगों को इसमें मौका मिलना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सेंट जेवियर पर एज्यूकेशन डिपार्टमेंट का, सरकार का कोई कन्ट्रोल नहीं है, क्योंकि वह ग्रान्ट-इन-एड नहीं लेती इसलिये सेंट जेवियर में दाखिले के मामले में आप दखल नहीं कर सकते, कि आप शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों का सेंट जेवियर में दाखिला करा सकें। तो इनको स्कालरशिप देने का यह आपका पोलिटिकल स्टन्ट और नारा मात्र है। क्योंकि आपका उस पर कोई कन्ट्रोल नहीं, दाखिला आप करा नहीं सकते, जब दाखिला नहीं होता तो स्कालरशिप नहीं मिल सकती।

श्री बरकतुल्ला खां : मेरा जवाब तो माननीय दोस्त ने दे दिया। और एक दोस्त को दोस्त का जवाब देना भी चाहिये। जिसे हम कोई ग्रान्ट नहीं देते, उसको हम मजबूर भी नहीं कर सकते। पर यह है कि जिस जिस तरीके से प्रेशर ला सकते हैं। स्कालरशिप के लिये आल इण्डिया कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, इन एग्जामिनेशन्स में शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चे बैठते हैं, जो बच्चे पास हो जाते हैं वे दाखिला लेते हैं, दाखिला लेते हैं तो स्कालरशिप दी जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर में क्या आप एक भी ऐसा उदाहरण बता सकते हैं

Page No. 93

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सिवाय एक उदाहरण के, श्री अमृतलाल यादव के लड़के और लड़की के अलावा शिड्यूल्ड कास्ट के किसी बच्चे या बच्ची को जयपुर शहर में स्कालरशिप दी हो ? आप जयपुर में एक भी उदाहरण बता दें ।

श्री बरकतुल्ला खां : जैसा कि मैंने निवेदन किया जो कन्डिशन्स है, आल इन्डिया एग्जामिनेशन्स में बैठ कर, एग्जामिनेशन में पास हो कर इन स्कूलों में दाखिल हों तो स्कालरशिप देंगे । इन इन्स्टीट्यूशन्स पर जोर डालने का, प्रेशर डालने का जितना कर सकते हैं वह करते हैं । सिर्फ अमृतलालजी के बच्चे को ही एडमिशन नहीं मिला है और हरिजन बच्चों को भी एडमिशन मिला है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर शहर का एक भी उदाहरण बता दीजिये कि शिड्यूल्ड कास्ट्स का शिड्यूल्ड ट्राइब्स का एक भी गरीब बच्चा ऐसा हो जिसे एडमिशन दिया गया हो । आपका मिलिटरी स्कूल चित्तौड़गढ़ में चलता है, उसमें एक भी उदाहरण बता दीजिये कि इन गरीबों के एक भी बच्चे को दाखिल किया गया हो ।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं सारे राजस्थान की बात कह रहा हूं, मिस्टर पहाड़िया जो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, उनके बच्चे को स्कालरशिप दी गई है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एक मिनिस्टर, एक एम. पी., खूब उदाहरण दिये । जन साधारण में किसको दिया है ?

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां कम्पिटिशन में इक्वीयर होना पड़ता है । यह मेरे हाथ की बात नहीं है कि चाहूं जिसको दाखिला दिला दूं, यह डिपार्टमेन्ट के हाथ की बात नहीं है । बेसिक मुद्दा यह है कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, उस बेसिस के ऊपर दाखिला मिलता है, और जिसको दाखिला मिलता है, उसको स्कालरशिप दी जाती है । You are trying to put the cart before the horse. That is not possible.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : Hon. Minister should try to understand my question.

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इस प्रकार की स्पेशल स्कालरशिप देने की स्पेशल मद बनाई हुई है और क्या इस तरह की मद से अमाउन्ट लेप्स हुआ है ?

श्री बरकतुल्ला खां : गवर्नमेंन्ट ऑफ इन्डिया की तरफ से स्कालरशिप आती है, जितने लड़के एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं और दाखिला ले लेते हैं उनको स्कालरशिप मिलती है, नहीं तो नही मिलती ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तो क्या यह मान कर चलें कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री राजस्थान में चलने वाली शिक्षण संस्थाओं पर, पोलिसी पर कोई नियन्त्रण नहीं रख सकते, वे इन्कोम्पिटेन्ट हैं, वे मजबूरियां जाहिर करते हैं कि ऐसी इन्स्टीट्यूशन्स हैं जिनमें राजस्थान सरकार कोई दखल नहीं दे सकती ? तो क्या मान कर चलें ?

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मेरी बदकिस्मती है कि कहूं क्या और समझें क्या । खुदा मेरे को अक्ल

(श्री बरकतुल्ला खां)

दे कि मैं मेरे दोस्त को समझा सकूं, मैं नाकाबिल आदमी हूं काबलियत की बात नहीं कर सकता। इतनी देर मैंने अर्ज किया कि हुजूर आप इन स्कूलों को एक पैसा ग्रान्ट नहीं देते, मदद कुछ करते नहीं और हुकूमत करना चाहते हैं, तो यह मुमकिन नहीं, हिन्दुस्तान का कान्स्टीट्यूशन मौजूद है, कान्स्टीट्यूशन ने सबको आजादी दी हुई है, उसमें यह मौका दिया हुआ है कि मीडियम आफ एज्यूकेशन क्या रखें, किसको दाखला दें, इसलिये हम दखल नहीं कर सकते, हम संविधान को इज्जत करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस स्कूल को ग्रान्ट-इन-एड देते हैं उस पर तो नियन्त्रण कर सकते हैं? आपने कहा कि ग्रान्ट नहीं देते इसलिये नियन्त्रण नहीं कर सकते।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं यह नहीं कहता, मैं तो यह कहता हूं कि जबरदस्ती का दाखिला चाहते हैं, मेरे दोस्त के लड़के को दाखिला दे दो, तो न यह अधिकार मुझे है और न मैं इस तरह के अधिकार को काम में लेना चाहता हूं। यहां बहस तो इस बात पर हो रही है, मिनिस्टर नालायक है कि दाखिला नहीं दिला सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : न आपको नालायक कहा न नामाकूल कहा।

श्री बरकतुल्ला खां : इन्कोम्पिटेन्ट का मतलब नालायक ही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिसको ग्रान्ट इन-एड देते हैं वहां थोड़ा बहुत दखल तो रख सकते हैं·····

श्री बरकतुल्ला खां : थोड़ा बहुत दखल तो सब जगह रखते हैं, दोस्त के नाते तुम्हारे घर में भी दखल रखते हैं, तो मिनिस्टर के नाते वहां भी थोड़ा बहुत दखल रखते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल का जवाब दो न।

श्री बरकतुल्ला खां : सवाल का जवाब यह है कि जिस सीमा तक दखल रख सकते हैं रखेंगे। जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि 64–65 में शिड्यूल्ड कास्ट के 682 लड़कों को स्कालरशिप मिली जिसकी कुल रकम 344 हजार होती है। 65-66 में 1068 लड़कों को स्कालरशिप मिली जिसकी कुल रकम 498 हजार है। शिड्यूल्ड ट्राइब्स को लीजिये, उसके अन्दर 286 लोगों को मिली जिसकी कुल रकम 188 हजार है लेकिन 65-66 में जिन लड़कों को स्कालरशिप मिली उनकी तादाद 512 है जिसकी कुल रकम 236 हजार होती है। तो यह कहना कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को स्कालरशिप नहीं दी जाती, यह गलत है। बराबर यह रकम बढ़ती जा रही है, पर हम जितना करना चाहते थे, नहीं कर पाये। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में एक कन्डिशन रखी है कि जो इकोनोमिकली वेल अप हैं उनके मुकाबले में जिनकी आमदनी कम है, उनको प्रिफरेन्स मिलता है। जिनकी फाइनेन्शियल कन्डीशन कमजोर है उनको फर्स्ट प्रिफरेन्स दिया जाता है। उसके बाद बचे तो उनको मिलना चाहिये जो उन लोगों से ज्यादा मालदार हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इसी आधार पर स्कालरशिप्स देते हैं?

श्री बरकतुल्ला खां : हां जिस समय यह स्कालरशिप दी गई थी, वह राजस्थान के मंत्री नहीं थे। जिस समय श्री अमृतलाल यादव के बच्चे बच्ची को स्कालरशिप दी गई उस समय वह राजस्थान के मंत्री नहीं थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेकिन रिट्रोस्पेक्टिवली दी गई। पास की गई 1965 में और दी गई 1964 से।

श्री बरकतुल्ला खां : इस तरह जो इकोनामीकली बैकवार्ड क्लासेज हैं उनके अन्दर स्कालरशिप्स बढ़ी हैं। इसी तरह से एक्सट्रीम पोवर्टी के केसेज हैं, उनके बारे में मेरे दोस्त जो पाली से आए हैं, उन्होंने कहा कि इनको स्कालरशिप नहीं कहना चाहिए। टेक्नीकली मैं समझता हूं कि जो उन्होंने कहा कि वह सही है लेकिन यदि एक गरीब बच्चे को आप कहें कि तुझे स्कालरशिप न देकर कुछ और दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उसके दिमाग के अन्दर एक काम्प्लेक्स आएगा। बच्चे के दिमाग में यह बात नहीं आनी चाहिए कि उसके बाप की तनख्वाह कम है इसलिए उसको यह पैसा मिलता है। इसमें स्कूल का हैड मास्टर सर्टीफिकेट देता है यह लड़का या लड़की पढ़ रही है। इसके अन्दर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1964-65 में 2,18,000) रुपये दिए गए और 1965-66 में 5,40,000) हो गए। स्कालरशिप की ओर बराबर ध्यान दिया जा रहा है और यह सदन जागरूक रहा है और रहना भी चाहिए और इस बारे में सदन जो भी मदद देना चाहेगा उसका सरकार स्वागत करेगी।

टीचर्स के फिक्सेशन के बारे में मुझे यही कहना है कि 1961 तक जितने टीचर्स थे और जिनकी 10 साल की नौकरी हो गई थी और 5 साल एक ग्रेड में पढ़ा लिया था उनको तो क्वालीफाई मान लिया गया। 1961 के अन्दर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, राजस्थान सरकार की इन्टरनल कमेटी थी, रावत कमेटी। उन्होंने जो सिफारिश की उसमें आइन्दा के लिए ग्रेड्स मुकर्रर कर दिए और उसके साथ क्वालीफिकेशन्स मुकर्रर कर दिए कि इस ग्रेड के अन्दर ये क्वालीफिकेशन्स होनी चाहिए। इसलिए वह टीचर्स जो सन् 1961 तक इस विभाग में थे और जिन्होंने एक ग्रेड लेकर 5 साल तक उस ग्रेड में पढ़ा लिया, उनको तो ट्रेन्ड होने की जरूरत नहीं थी लेकिन 1961 के बाद जितने टीचर्स आए हैं उनको ट्रेन्ड होने की जरूरत है। लेकिन इसके अन्दर एक चीज लिखी है कि 50 फीसदी तो डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और 50 परसेंट बाई-प्रोमोशन। प्रोमोशन कोटा के अन्दर बड़ी तकलीफ आती है और मैं चाहूंगा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य मेरी मदद करें। जो ट्रेन्ड टीचर्स हैं, वह ज्यादातर अलवर और भरतपुर के होते हैं और पहले तो रेगिस्तान में भी नौकरी करने को तैयार हो जाते हैं लेकिन साल भर के बाद वापस कोशिश करते हैं कि अलवर और भरतपुर वापस आएं। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो ट्रेन्ड टीचर्स अवेलेबुल हैं वे आएं और उन जगहों पर जायं जहां ट्रेन्ड टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं क्योंकि 50 परसेंट बाई प्रोमोशन होता है और 50 परसेंट बाई रिक्रूटमेंट होता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि जिला प्रमुख जोधपुर के यहां ट्रेन्ड आदमी नहीं हैं। बीच में टीचर्स को बुलाया था, वहां पर उन्होंने नौकरी करने से इन्कार कर दिया।

श्री रामकिशन : मैंने सभी जिला प्रमुखों को लिखा था कि हमारे यहां 1954 से ट्रेन्ड टीचर्स बैठे हुए हैं, वे कहीं भी नौकरी करने को तैयार हैं, किसी ने नहीं लिखा एक दो ने जवाब दिया बाकी 24 ने तो जवाब देने की तकलीफ भी नहीं की। खेतसिंहजी ने भी जवाब नहीं दिया। इस सम्बन्ध में आप कुछ करें।

श्री बरकतुल्ला खां : मुझे यह बताया गया कि जो लड़के ट्रेन्ड होकर आए थे और जिनको शेरगढ़ में लेना चाहते थे, वे नौकरी लेने को तैयार नहीं हैं। जहां भी ट्रेन्ड लोग मौजूद हैं उनकी मदद करनी चाहिए लेकिन जो पहले ही नौकरी में हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि जो रिजर्व्ड कोटा है, उनको हम कायम रखना चाहते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढदार: एक छोटा सा मेरा भी प्रश्न है।

श्री हरिदेव जोशी : साढे चार बजे बुलेटिन एप्लाई होगा। मुझे भी तीन विभागों के उत्तर देने हैं। ऐसी हालत में मुझे बताने की कृपा करें कि मुझे किस समय शुरू करना है और किस समय खतम करना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप 4.20 पर शुरू करना।

श्री दुर्गालाल बाढदार : उपाध्यक्ष महोदय········

श्री उपाध्यक्ष : जो प्रश्न आप पूछना चाहते थे वे तो पूछ चुके हैं।

श्री दुर्गालाल बाढदार : मैं स्मरण मात्र कहता हूं कि अभी आपने फरमाया कि हमने क्वालीफिकेशन्स के आधार पर ग्रेड्स मुकर्रर कर रखे हैं लेकिन मान लीजिए कि एक टीचर को लोवर ग्रेड में एपोइंट कर लिया और आपको परमीशन से हायर क्वालीफिकेशन हासिल कर लिया तो आप उनको फौरन हायर ग्रेड में फिक्स अप करते हैं या नहीं ?

श्री बरकतुल्ला खां : हम जिला परिषदों से निवेदन करते हैं कि टीचर्स की सीनियोरिटी फिक्स करके उस आधार पर प्रोमोशन दिया जाय।

श्री रामकिशन : मेरे भी कटौती के प्रस्ताव थे। एक तो यह था कि जो महिलाएं विद्या विनोदिनी करके नौकरी में आईं पिछले साल राज्य सरकार ने विद्या विनोदनी की मान्यता समाप्त कर ली। आपने नियम बनाय कि ट्रेन्ड होना चाहिए। विभाग वाले कहते हैं कि अनट्रेन्ड को ट्रेन्ड होना चाहिए। ट्रेनिंग वाले कहते हैं कि आप मैट्रिक नहीं हैं।

दूसरा मेरा पोइंट है कि शिक्षा संचालक, विकास आयुक्त और सर्विस सिलेक्शन के अध्यक्ष थे उन तीनों ने मिलकर यह तय किया कि जो ट्रेन्ड टीचर्स होंगे उनको नौकरी में आने के लिए 30 वर्ष की छूट दी जायगी लेकिन पंचायत ने अपने नियमों में लिखा है कि जो सर्विस में आये उसकी आयु 25 साल तक होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैंने शिक्षा मंत्री व विकास मंत्री को भी लिखा और वे भी मान गए कि यह अनुचित हो रहा है लेकिन कोई निराकरण नहीं हो पाता है। तो जब शिक्षा विभाग ट्रेन्ड आदमी को 30 साल तक ले सकता है तो पंचायत विभाग और विकास विभाग क्यों नहीं ऐसा करता है ?

तीसरे पंचायत समिति और जिला परिषदों की सर्विस के जो टीचर्स हैं उनके लिये

(श्री रामकिशन)

पहले इसी सदन में घोषणा की गई थी कि नई भर्ती नहीं की जायगी। जैसे ही हायर क्वालिफिकेशन होता चलेगा इनको एजूकेशन विभाग में लेंगे और नयी भर्ती पंचायत समितियों में होती रहेगी लेकिन कहीं पालन हो रहा है और कहीं नहीं। इन तीन मुद्दों का स्पष्टीकरण कर दें। चौथी बात है कि आपने ट्रेनिंग स्कूल्स खोल रखे हैं अलवर, भरतपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर और टोंक में। आप इनको बंद कर दें क्योंकि वहां इतने ज्यादा लड़के ट्रेन्ड हो चुके हैं कि पंचायत समितियां लेती नहीं हैं। तो राजस्थान में जितने ट्रेन्ड टीचर्स की जरूरत है, भरतपुर उनको देने को तैयार है। हमारे यहां 5400 ट्रेन्ड टीचर्स रोल पर हैं जिनको कोई काम में नहीं लगाता है।

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक महिलाओं का सवाल है जो नान मैट्रिक हैं और ट्रेनिंग के अन्दर नहीं जाती है और जाती हैं तो कठिनाई आती है, इस बारे में मैं पूरी तरह से जानकारी हासिल करके आपको जवाब दे सकता हूं। इसमें देखेंगे कि कोई हल निकल सकता है तो निकालेंगे।

जहां तक उम्र का सवाल है, कि शिक्षा विभाग में 30 वर्ष की उम्र रखी है और पंचायत समितियों ने 25 वर्ष की उम्र रखी है, इसका भी कोई हल जल्दी निकालेंगे। पंचायत मंत्री से बातचीत करने के बाद अगर कोई हल निकलता है तो निकालेंगे।

मैं समझता हूं कि बाकी जो आपने सवाल उठाए उस बारे में मेरी पर्सनल सर्विसेज हाजिर है। आप जिला परिषद् और पंचायत समितियों के लोगों से मिल कर टीचर्स को एडजस्ट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई मंत्रीजी !

श्री हरिदेव जोशी (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, दो मांगें सिंचाई के सम्बन्ध में हैं। यदि आप अनुमति दें तो दोनों मांगों पर कटौती प्रस्तावों के संबंध में एक साथ जवाब दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : एक साथ ही जवाब दे दें।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में यह प्रश्न इसलिये उठा था कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने इस प्रश्न को एक्जामिन करके अपना यह निर्णय दिया था कि इसको रेगुलेराइज करके सदन से इसकी अनुमति चाही जाय इसलिये यह सदन में आया।

जहां तक मदों का सवाल है कटौती प्रस्ताव की विगतों से जितना भी सम्बन्ध हो सकता है मैं उसका जवाब दे सकूंगा चम्बल क्षेत्र में नियमित रूप से पानी दिये जाने के बारे में कटौती प्रस्ताव का जहां तक सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि सदन के माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि वर्षा के अभाव के कारण निरन्तर तीन वर्षों से गांधीसागर बांध अपनी पूरी केपेसिटी में नहीं भरता और उसमें उसकी क्षमता के अनुपात से पानी नहीं आने के कारण जितनी सिंचाई उससे होनी चाहिये थी वह नहीं हो पाथी। अलबत्ता उससे कम काफी नहीं हुई। लेकिन फिर भी हमारे मित्र यह देखेंगे कि पिछले वर्षों से सिंचाई की क्षमता बढ़ी है और कम नहीं हुई

(श्री हरिदेव जोशी)

है। सन् 1966-67 में जहां 1,50,000 एकड़ की सिंचाई करनी थी उसके मुकाबले में 2,25,400 एकड़ की सिंचाई इस बांध से हुई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि बांध में पानी ज्यादा आता, बरसात अच्छी होती तो ज्यादा बिजली उत्पन्न की जा सकती थी। चूंकि बांध में पानी कम होने से प्रपोर्शनेटली सिंचाई कम हुई। परन्तु प्रत्येक वर्ष में एकरेज में सिंचाई बढ़ती गई। सन् 64-65 में जहां 2,18 हजार एकड़ में सिंचाई हुई वहां 66-67 में 2,25 हजार एकड़ के करीब सिंचाई हुई है। सिंचाई के टारगेट्स का जहां तक सवाल है उसमें कमी नहीं आई है। माननीय सदस्य ने यह बताया कि नहरों को बरसात से पहले उनकी सफाई करके, उनको ठीक करके, दुरुस्त करके उनकी क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिये। अगर वे इसको देखते तो वे यह पाते कि यह खर्चा उसी पर किया गया है। उसको दुरुस्त करके उसकी क्षमता बढ़ाने के लिये ही यह खर्चा किया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : खर्चा आवश्यक किया गया है। नहरों की सफाई उस वक्त की जाती है जब फसलों को पानी चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहना ठीक नहीं है कि नहरों की रिपेयर्स या सफाई ठीक समय पर नहीं हो पाती। इस कारण नहरों की क्षमता कम हुई है और सिंचाई भी कम हुई है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल: मैं आपके कथन को चुनौती देता हूं। बयाना में चल कर देखें।

श्री उपाध्यक्ष : Ordr plege !

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : आधी सिंचाई नहीं हुई है तो मैं बेट करने के लिये तैयार हूं।

(हीयर हीयर)

श्री उपाध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव आप पहले पढ़ कर फिर एतराज करें।

श्री नत्थीसिंह : On a point of information, Sir. आप कहते हैं कि हर साल सिंचाई के जो टारगेट्स रखे हैं वे एक्सीड हुए हैं और उनमें कमी नहीं हुई है और माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि नहरों की सफाई समय पर नहीं होने से सिंचाई घटी है। फिर भी आप अमेन्ड नहीं कर रहे हैं। दो में से एक तो गलत है ही।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपकी श्रवण शक्ति की दाद देता हूं जहां चम्बल की बात थी वहां एकदम बयाना की बात कह दी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपने कहा सिंचाई के साधन बढ़े हैं।

श्री रामकिशन : मैं आपकी बात पर एतराज करता हूं। क्या आपने हमें बहरे समझ रखा है? आपने सबको चुनौती दी है इसलिये आप अपने इन शब्दों को वापिस लें।

श्री हरिदेव जोशी : आपके दल के नेता ने जो कुछ समझाया उसके लिये मैं दाद देता हूं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मेरे दोनों कान, आंखें और हाथ सब काम करते हैं अच्छी तरह से।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, कहीं कोई शंका नहीं है मुझे उसमें। शंका होती तो मैं क्यों कहता कि चम्बल की बात को बयाना की बात समझे हैं। इसलिये मैं उनको पूरी बात सुनने को कह रहा हूं। मैं यहां पर केवल चम्बल की बात के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव पर जवाब देने के लिये उपस्थित हुआ हूं। कटौती प्रस्ताव चम्बल के बारे में था।

चम्बल के अन्दर जो टारगेट्स तय किये गये थे वे अचीव किये गये।

दूसरा कटौती का प्रस्ताव अलवर के विजयसागर बांध के सम्बन्ध में है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने काफी गम्भीरता से इस मसले को रखा है। मैंने उसको समझने की कोशिश की है। महाराजा, अलवर के प्राइवेट प्रोपर्टी में वह तालाब है माननीय सदस्य ने यह स्वीकार किया है। मैं यह नहीं कह सकता कि प्राइवेट प्रोपर्टी में उसको सही तौर से नहीं करार दिया गया या गलत ढंग से करार दिया गया। बहरहाल सदन और मेरे समक्ष मसला यह है कि एक तालाब जिसको एक्स रूलर की प्रोपर्टी करार दिया गया, उनके उस पर कुछ प्रोपर्टी राइट्स हैं वे उसको यूटिलाइज करते हैं, यह गवर्नमेन्ट कानून के अन्तर्गत किस प्रकार और कैसे लेकर किसानों को सुविधा दिलायी जा सकती है. आया उस कानून के अन्तर्गत उस तालाब को एक्वायर किया जाय अथवा निगोशियेशन्स अथवा किस तरह से यह प्रश्न राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन रहा है और मेरे पूर्व मंत्रीजी का हवाला देकर उसकी चर्चा भी की है। इस थोड़े से अर्से में इन चीजों की विगत मे मैं नहीं जा सका हूं। इस सम्बन्ध में जब आम बजट पर बहस होगी तब तक अगर जी. ए. डी. की ओर से या सिंचाई विभाग की ओर से कुछ कार्यवाही करने की आवश्यकता होती है तो मैं उस समय इसका निश्चित उत्तर देने की स्थिति में होऊंगा, मैं ऐसा महसूस करता हूं। लेकिन मैं यह निश्चित रूप से मानता हूं कि कहीं इकट्ठा किया हुआ पानी चाहे वह प्राइवेट प्रोपर्टी में हो या किसी तरह से हो आज की राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार किसान को वह पानी दिया जाना चाहिये और आज समय की मांग है कि राजा महाराजा और दूसरे लोग महसूस करें कि हमारी अनाज की कमी की स्थिति को देखते हुए इन सब चीजों को अपने अधिकार की बात न मान कर उसके लिये आग्रह न करें बल्कि राष्ट्र की बात को प्राथमिकता देकर उनमें सहयोग देने की कोशिश करें। जहां तक विजयसागर तालाब से किसानों को पानी देने का सवाल है चाहे उसको एक्वायर करने की बात हो या निगोशियेशन्स के भीतर करने की बात हो तो उसके लिये गवर्नमेन्ट क्या स्टेप्स ले सकती है इसके लिये निश्चित रूप से बजट की आम बहस के समय निश्चित रूप से उत्तर देने की स्थिति में हो सकूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तालाब आल रेडी गवर्नमेन्ट में वेस्ट करता है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया कि इस शोर्ट पीरियड में इसकी विगत में मैं नहीं जा सकता हूं इसलिये मैं इस पर कोई बात निश्चित रूप से कहने की स्थिति में नहीं हूं। अगर निश्चित स्थिति में होता कहने की तो मैं कहता कि हम एक्वायर करेंगे। गवर्नमेन्ट को एक्वायर करना चाहिये या

(श्री हरिदेव जोशी)

निगोशियेशन्स से सेटल करना चाहिये या हमारे लिये क्या कोर्स है इसके लिये मैं आपको निश्चित उत्तर दूंगा यही मैंने कहा है ।

दूसरा सवाल उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक हैल्थ के कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में है ।

माननीय जयपुर से आने वाले सदस्य ने जयपुर शहर के पीने के पानी के बारे में कुछ बातें कहीं । गांवों में से चुन कर जो प्रतिनिधि आये हैं उन्होंने अत्यन्त तीव्रता और गम्भीरता से ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त कीं ।

उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की राजस्थान में गम्भीरता को हम में से प्रत्येक महसूस करता है चाहे शहर से वे आने वाले हों या गांव से आने वाले हों । आज हम यह महसूस करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अगर पीने के पानी की सहूलियत दे सकें तो हमारी यह बहुत बड़ी सफलता होगी । कुछ स्थान हो सकते हैं जहां पीने के पानी की समस्या न हो, पर राजस्थान वह प्रान्त है जहां पीने के पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है और अगर इसका समाधान कोई गवर्नमेंट कर सकती है तो यह उसकी सबसे बड़ी सफलता है ।

इसके लिये पिछले वर्षों में जनदाय विभाग ने पूरे राजस्थान का सर्वे करके एक मास्टर प्लान बनाया और उसको टौप प्रायोरिटी दी और उसे भारत सरकार के समक्ष रखने में सफल हुए । हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक....

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनिट आप और बोल लीजिये । फिर समय समाप्त होता है ।

श्री हरिदेव जोशी : अधिक से अधिक इन समस्याओं का समाधान करें, इसलिये आपने देखा होगा कि इस बार के बजट में कितनी ही कटौतियों और खामियों के बावजूद भी चालीस लाख रुपया जो पहले के बजट में था उससे भी ज्यादा प्रावधान पीने के पानी का किया है । इस प्रकार कुल रुपया 80 लाख हमने इसके लिये रखा है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामीण जल और शहरी जल में भेद नहीं करना चाहते है । फर्क इतना ही है कि शहरों के लिये एल. आई. सी. से लोन मिलता है उससे शहर जल योजना की व्यवस्था कर पाते हैं । गांवों के लिये हम अपने रिसोर्सेज से और भारत सरकार की सहायता से ग्रामीण योजना को पूरा करना चाहते हैं ।

(श्री मूलचन्द डागा के बोलने के लिये खड़े होने पर)

मुझे कहने दीजिये । मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पीने के पानी के प्रश्न को हम टोप प्रायोरिटी देते हैं। जो योजनाएं अधूरी हैं उनको हम टॉप प्रायोरिटी देते हैं और उनको पहले हाथ में लेकर पूरा करना चाहते हैं कि चाहें शहरों की हों चाहें गांवों की हों ।

जैसे कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि पैटर्न भी चेन्ज किया है पहले फुल फ्लैज्ड स्कीम थी, टैंक एण्ड टब्स वाई वाटर सप्लाई । कुए पर ही टैंक लगा दिये जावेंगे और इससे विशुद्ध पानी कुए पर ही मिल जावे यह स्कीम है । छोटे गांव में यह किया जावेगा और कहीं पर भी आज आपने देखा होगा हमने पिछले दिनों इसके लिये ज्यादा से ज्यादा रुपया दिया है । 75

(श्री हरिदेव जोशी)

लाख रुपया फेमिन रिलिफ से ग्रामीण और शहरी जनता को दिया है ।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य को बताऊं कि अलवर की वाटर वर्क्स की स्कीम को आगमेन्ट करने के लिये रुपया नहीं दिया हो ऐसा नहीं है । मैं अपनी याददाश्ती से बतलाता हूं कि गये वर्ष भी 80 हजार रु० दिया है । वहां पर दो ट्यूब वैल और खोदने की स्कीम है । एक खुद चुका है । उसमें एक लाख गैलन और अधिक पानी मिल रहा है और अब एक और पूरा हो जाने पर मेरा अन्दाज है कि एक लाख गैलन पानी और मिल जावेगा । दस गैलन पर कैपिटा से ज्यादा मिल रहा है । ऐसी स्थिति में आशा करके चलता हूं कि एक ट्यूबवैल और बन जावेगा तो पानी की समस्या और अधिक हल हो जावेगी और हालत अच्छी हो जावेगी ।

पर वहां मीठे पानी की समस्या है वह मैं जानता नहीं था । सिस्टम को चेन्ज करके इधर उधर कर सकें तो इन्जीनियर से कहूंगा कि वे इसे देखें । तब अलवर में दाल सीज सकेगी । ऐसी व्यवस्था हो जायगी । ऐसी मुझे आशा है । अब आपकी दाल गल सकेगी या नहीं इसकी तो कह नहीं सकता ।

ठीक इसी प्रकार से माननीय जयपुर से आने वाले सदस्य ने जयपुर के बारे में निवेदन किया । पिछले दिनों में····

श्री रघुनाथ विश्नोई : शहरों ही शहरों के बारे में कह रहे हैं । हाडेचा की तो कहो ।

श्री हरिदेव जोशी : तो इस तरह से पिछले दिनों काफी सुधार किया है । इसके लिये हमें कड़े कदम उठाने पड़े हैं । जहां बिजली की कमी थी और कुछ लोग पॉवर ग्रांवर यूज करते थे तो इस बात की चिन्ता किये बगैर कि इससे इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर विपरीत असर पड़ेगा हमने कटौतियां करके और शहर के अन्दर पानी के सवाल को ठीक करने की कोशिश की है और पिछले एक हफ्ते में पानी की व्यवस्था सुधरी है । फिर निवेदन करना चाहता हूं पाइप कुए पर म्यूनिसिपेलिटी लगाती है । वाटर वर्क्स नहीं लगाता । ऐसा समझता हूं कि म्यूनिसिपेलिटी ने ही ऐसी व्यवस्था की होगी । आप जयपुर शहर की म्यूनिसिपैलिटी को सिफारिश करें कि वह स्वयं अपने हाथ में यह लेले । छोटे छोटे काम म्यूनिसिपैलिटी भी कर सकती है और आशा करता हूं कि आपकी सिफारिश को वे नजर अन्दाज नहीं कर सकेंगे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी तो एडमिनिस्ट्रेटर है ।

श्री हरिदेव जोशी : कोई हर्ज नहीं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह आपके ही हाथ में है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको याद नहीं रहा । आपने तो कुछ और समझ कर कहा ।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिये माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि हम भी चाहते हैं कि वाटर वर्क्स डिपार्टमेन्ट पाइप लगाने का काम हैण्ड पाइप लगाने का काम अपने हाथ में ले ले । यह शायद उनके हाथ में नहीं होगा ।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : पिछली बार लगाया हुआ था ?

श्री हरिदेव जोशी : कैटेगोरिकली में कहता हूं कि नहीं लगाया। अजमेर के बारे में। ग्रामीण योजनाओं के बारे में...

श्री उपाध्यक्ष : समय जो वाद-विवाद के लिये था वह समाप्त हो गया है अब सभी मांगे सीधे ही मतदान के लिये पेश की जाती हैं।

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 15 मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा के सम्बन्ध में संघनित निधि में से 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4 ,78,538 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 42—बहु प्रयोजन नदी योजनाओं के सम्बन्ध में संघनित निधि में से 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,21,430 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 42 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43—सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) 44 सिंचन, नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक) के सम्बन्ध में संघनित निधि में से 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,96,098 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 26, मुख्य शीर्षक 43, स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30—जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में संघनित निधि में से 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,73,816 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 30 स्वीकार हुई।

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 48, मुख्य शीर्षक था—राज्य तथा संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में संघनित निधि में से 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,98,046 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 48, मुख्य शीर्षक था—स्वीकार हुई।

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 1 मुख्य शीर्षक 9 भू-राजस्व के सम्बन्ध

(श्री उपाध्यक्ष)

में संघनित निधि में से 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,48,150 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9, स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में संघनित निधि में से 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष में किए गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 20,537 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10, स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में संघनित निधि में से 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 2,26,193 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि अधिक अनुदान की मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में संघनित निधि में से 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष में किये गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 33,11,401 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक 50
स्वीकार की गई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक 95, कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी को लागत के संबंध में संघनित निधि में से 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष में किये गए व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,86,029 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या 40 मुख्य शीर्षक 95
स्वीकार की गई

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1967 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय मथुरादास जी माथुर ने पेश किया है उसकी आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1967 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पाइन्ट आफ आर्डर, सर ! उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 154 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह लिखा है :

"At any time after the introduction in the House of an Appropriation Bill, the Speaker may allot a day or days, jointly or severally, for the completion of all or any of the stages involved in the passage of the Bill by the House, and when such allotment has been made, the Speaker shall, at the appointed hour on the allotted day or the last of the allotted days, as the case may be, forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters ··"

इसमें यह जो लिखा है : "At any time after the introduction in the House of an Appropriation Bill, the Speaker may allot a day or days"

एक तो इन्ट्रोडक्शन इस एप्रोप्रियेशन बिल का अभी हुआ है इसके बाद अब अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार है कि वह इसके लिए कोई एक दिन या एक से ज्यादा दिन एलाट कर दें। ज्यादा दिन एलाट नहीं करना चाहें तो एक दिन ही एलाट करदें। लेकिन एक दिन से कम का एलाटमेन्ट का प्राबीजन कहीं रूल्स में नहीं है और अगर कम का होता तो टाइम का लिख देते Instead of writing "a day or days" "shall allot any time" लेकिन इसका मतलब खास तौर से रूल्स बनाने वाली कमेटी ने जब रूल्स विधान सभा में पेश किये तो उनकी मन्शा साफ थी कि विधान सभा में उसी दिन डिमाण्ड्स पेश की जायें और उसी दिन उन पर डिसकशन हो जाये और उसी दिन पास हो जाये यह कभी इन्टेन्शन नहीं थी। मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो इन्ट्रोडक्शन इन्होंने किया है इसके बाद अध्यक्ष महोदय जो भी दिन इसके लिए नियत करना चाहें चाहे आज का रखें कल का रखें या परसों का रखें या 5 दिन बाद का करदें जो भी करें मैं तो एक दिन में भी सन्तुष्ट हो जाऊंगा। इस तरह की व्यवस्था करने के बाद फिर आगे सारी कार्यवाही होती है और कन्सीडरेशन का मोशन जो कि मंत्री महोदय ने रखा है उसको कन्सीडरेशन का मोशन इस एप्रोप्रियेशन बिल के लिए इजाजत नहीं दी जाये, यह नियमों के खिलाफ है और सदन के सम्माननीय सदस्यों के खिलाफ है। एप्रोप्रियेशन बिल जैसे महत्वपूर्ण विधेयक जिसके ऊपर केवल 10 मिनट की चर्चा का समय मिल सके मैं यह समझता हूँ कि यह अन्याय होगा और माननीय सदस्यों के साथ अन्याय होगा और एप्रोप्रियेशन बिल जो विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें ऐसी बात नहीं है कि उसकी कोई मियाद निकल रही हो। वह चाहे जिस स्टेज पर पास कर सकते हैं और खर्चा होना था वह हो गया, वह हम कर चुके हैं और अब तो कानूनी रूप से पास करना है और मोहर लगानी है तो कुछ कह कर ही लगालें आप कभी भी बहस कर सकते हैं—मैं तो एक दिन में ही सन्तुष्ट हो जाऊंगा। इसलिए इस समय बहस के विचारार्थ के लिए जो इजाजत मांगी है वह नहीं दी जाये।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एतराज माननीय जयपुर से आने वाले सदस्य ने उठाया है यह उनका पहला ही एतराज नहीं है करीब करीब

(श्री मथुरादास माथुर)

मुझे याद है कि गत ... वर्षों में दो तीन दफा वह इस प्रकार का एतराज जब कभी भी एप्रोप्रियेशन बिल को इन्ट्रोड्यूज किया जाता है वह उठाते हैं और उसके बाद में हमारी आसन की ओर से इस प्रकार की रूलिंग्स दी जा चुकी हैं। जो हाउस एजेन्डा निकलता है उसमें यह कह दिया गया है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक को पुरःस्थापित किया जावेगा और इसको कन्सीडरेशन के बाद पारित भी किया जायेगा। इसलिये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने हाउस की एप्रूवल से जिसको कि इस सदन ने इजाजत दे दी है वह पहले एजेन्डा निकाल चुकी है। इसलिए सदन को पूरी इजाजत है और अध्यक्ष महोदय को भी इजाजत है कि हमारे रूल्स के मुताबिक ऐसा कर सकते हैं। रूल्स को रिलेक्स भी किया जा सकता है लेकिन इसमें ऐसा सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन यह तो सदन की इजाजत से एजेन्डा तय किया गया था इसलिए यह एतराज उस समय जिस समय कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की प्रोसीडिंग्स एप्रूव कराई गयी थी उस समय कराया जाना चाहिए था और यह एतराज उस समय नहीं उठाया गया और जब कि एप्रोप्रियेशन बिल इन्ट्रोड्यूज किया जा चुका है और उसके कन्सीडरेशन के लिए मूव किया जा चुका है उस समय यह एतराज उठाना निराधार है, न मानने लायक और काबिले खारिज है।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 156 की ओर आकर्षित करता हूं :

"In addition to the powers exercisable under these rules, the Speaker may exercise all such powers as are necessary for the purpose of timely completion of all financial business including allotment of time for the disposal of various kinds of such business, and where time is so allotted, he shall, at the appointed hour, put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the stage or stages for which time has been allotted."

मेरा निवेदन यह है कि अण्डर रूल 156 आपको अधिकार है कि जो टाइम शिड्यूल तय किया गया है उसके अनुसार आप काम करें और बिल को डिसपोज ऑफ करें।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें नियम 154 में शब्द "may" है "shall" नहीं है। इसलिए अध्यक्ष को अथवा पीठासीन व्यक्ति को यह अधिकार है कि इसे आगे के दिन के लिये रख सकता है और चाहे तो उसी दिन विचार किया जा सकता है। यह बिजनेस एडवाईजरी कमेटी ने तय कर लिया था आज का दिन और समय, इसलिए यह व्यवस्था दी जाती है कि इस पर अभी विचार होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्री पी.के. चौधरी की सलाह को नहीं माना।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1967 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त इस सदन के

(श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल)
अन्दर 1964-65 के अन्दर जो अतिरिक्त धनराशि जो कि करीब डेढ़ करोड़ होती है, उसका एक कानूनी रूप देने के लिए यह विधेयक हमारे सामने विचारार्थ पेश है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज यह बात तो एक तरह से सिद्ध हो रही है कि सरकार कैसे इतनी लम्बी 2 राशियों का अन्दाज नहीं लगा पाती है। इतने इतने तखमीने गलत होते हैं और मैं यह भी आज कहना चाहूँगा, मैं तो चाहता था उपाध्यक्ष महोदय कि आपकी आज्ञा लेकर कह दूं कि पुराने वित मंत्री जिस तरह से चक्कर में पड़े रहे और आज उसी तरह से मौजूदा वित मंत्री भी जिन चीजों के चक्कर में पड़ रहे हैं · ·

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो आपके चक्कर में हूं।

(हंसी)

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन के अन्दर जो मोटी 2 बातें इस एप्रोप्रियेशन बिल के सम्बन्ध में हैं, उनको रखना चाहता हूँ। वह बातें यह हैं कि जहां तक शिक्षा का सवाल है यहां पर शिक्षा की मद में हम यह देखते हैं कि शिक्षा के संबंध में राजस्थान के अन्दर कोई भी किसी प्रकार की नीति ही नहीं है। आज यह समाजवादी ढांचे के समाज रचना की बात को दोहराने का जिम्मा रखने वाली सरकार आज बच्चों के अन्दर असमानता पैदा कर रही है। क्या आवश्यकता है अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरू से ही अंग्रेजी पैदा करने वाली हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन स्कूलों में अंग्रेजी की शिक्षा शुरू से दी जाती है उनको, इस प्रकार की स्कूलों को एक बार में ही, एक ही कलम से और एक ही झटके के साथ समाप्त कर दिया जाना चाहिए। राजस्थान के अन्दर बच्चों को शिक्षा जो है वह एक ही मातृभाषा में दी जानी चाहिए आज बड़े 2 आदमियों के बच्चे, मिनिस्टरों के बच्चे, विधायकों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं और इसकी वजह से एक वर्ग संघर्ष पैदा किया जा रहा है। बच्चों में छोटेपन और ऊंचेपन की भावना पैदा की जा रही है। एक प्रकार का वर्ग भेद पैदा किया जारहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से इस बात का निवेदन करना चाहता हूँ कि आज यहां पर जो शिक्षा का सवाल है, हम यह चाहते हैं कि राजस्थान के बच्चों को समान तौर पर शिक्षा दी जानी चाहिए। चाहे वह किसी राजा का बच्चा हो, चाहे मुख्य मंत्री का बच्चा हो या किसी आम साधारण गरीब और किसान का बच्चा हो, सबको एक समान और एक साथ शिक्षा दी जाय। आज यह नहीं हो सकता कि हजारों रुपया खर्च करके उच्च वर्ग के बच्चों को तो अंग्रेजी टाईप की शिक्षा दी जाय कुछ स्कूलों के अन्दर जहां पर कि उनके लिए भव्य भवन हों और कुछ स्कूल ऐसे हों जिनके अन्दर पेड़ों के नीचे बैठने को भी जगह न हो। बच्चों के पढ़ने के स्थान पर टीन-शेड तक नहीं हो। छोटे 2 गांवों में आज बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए तीन-तीन चार-चार माईल से चल कर आना पड़ता है, बच्चों को प्रतिदिन दो-दो चार-चार माइल चलना पड़ता है और फिर भी उनके लिए शिक्षा की सुविधा सुलभ नहीं है। क्या यही समाजवाद है ? क्या इसी तरह से राजस्थान का कल्याण करना चाहते हैं ? मैं यह चाहूँगा उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि राजस्थान का अगर कल्याण करना है, अगर राजस्थान से वर्ग भेद को

(श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल)
हमारी सरकार खत्म कर देना चाहती है तो मैं यह कहूँगा कि शिक्षा में यह वर्गभेद समाप्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार के जो पब्लिक स्कूल हैं जिनमें कि अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है उनको एक बार ही, एक साथ ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। चाहे किसी का भी बच्चा हो उसे एक तरह से, एक भाईचारे के साथ शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उसके नतीजे बड़े गम्भीर हो रहे हैं। आज कम्पीटिटिव एग्जामिनेशन में, सरकारी सेवाओं में जब भी किसी को लेने का सवाल पैदा होता है उसमें बड़े 2 आदमियों के, अमीरों के, जागीरदारों और महाराजाओं के बच्चे लिए जाते हैं। इस प्रकार से जो शुरू से ही अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं उनका रहन सहन का एक तरीका रहता है उनकी विशेष प्रकार की वेश भूषा होती है, तौर तरीके हैं, वह उसी तरह के अंग्रेजी वातावरण में पल जाते हैं, ढल जाते हैं और उसका मुकाबला एक प्रकार से आने वाले ग्रामीण बच्चे नहीं कर सकते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि राजस्थान की उच्च सेवाओं में कभी भी गरीब का बच्चा आ नहीं सकेगा। सरकारी पदों पर नीचे स्तर के बच्चे आ नहीं सकेंगे। इसका मतलब यह होगा कि अंग्रेजी की शिक्षा इसी प्रकार से चालू रही तो जो मुट्ठियो पर अंगुलियों पर गिने जाने वाले लोग हैं, जो वैल टू डू लोग हैं उन लोगों के बच्चे ही उच्च पदों पर पहुंच सकेंगे इसका मतलब यह होगा कि जब कभी भी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों की आवश्यकता होगी, जब कभी आपको किसी मजिस्ट्रेट की आवश्यकता होगी या किसी मिनिस्टर के······

विपक्ष के कई माननीय सदस्य : मिनिस्टरों के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : मिनिस्टरों में तो बिना पढ़े लोग हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मंत्रियों के सचिवों की जरूरत होगी, या एडवाईजर्स की जरूरत होगी तो उच्च वर्ग के लोग, एक तौर तरीके से पले हुए लोग हमारे ऊपर शासन करते रहेंगे। गरीबों का राज आ नहीं सकता। समाजवाद इस राजस्थान में आ नहीं सकेगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत, निहायत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें एक बार में ही इन पब्लिक स्कूलों को बन्द कर देना चाहिए और जो शुरू से ही अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है उसे बन्द कर देना चाहिए।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि आज कल स्कूलों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट भी निकल रहे हैं और आगे भी निकलेंगे। इनमें ज्यादातर जो बच्चे फेल हो रहे हैं वह एक विदेशी भाषा अंग्रेजी में ही फेल हो रहे हैं। मैं इस सदन के समक्ष देश के कौने 2 से अनेक बार जन मानस की जो आवाज गूंज रही है, उसको रखना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि केवल अंग्रेजी में जो बच्चा फेल हो उनको पास घोषित किया जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक लड़के कि योग्यता का सवाल है जो दूसरे विषयों में पास हो जाता है, तो यह मान लिया जाना चाहिये कि उसमें योग्यता तो है, वह

Page No. 108

(श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल)

योग्यता की कसौटी पर खरा उतरा है परन्तु उसने विदेशी माता का दूध नहीं पीया है, वह भारत माता की गोद में पला है, वह विदेशी माता के दूध पर नहीं पला है, वह इस धरती पर पैदा हुआ है, इस धरती पर खड़ा हुआ और यहीं पर ही बड़ा हुआ है और उसने इस देश के वायु मण्डल में....

(श्री मूलचन्द डागा कुछ बोलने के लिए खड़े हुए)

विपक्ष के कई माननीय सदस्य : बैठ जाओ ! बैठ जाओ !!

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : उसने इस देश के वायु मण्डल में सांस लेना सीखा है और ऐसी हालत में वह धरती पर पला हुआ बच्चा अगर अंग्रेजी के विषय में फेल हो जाता है तो यह उसका अपराध नहीं है। यह अपराध आज हमारी शिक्षा पद्धति का है, जिसमें कि उसके मस्तिष्क पर ज्यादा से ज्यादा विदेशी शिक्षा और विदेशी भाषा लादी जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार जो विदेशी शिक्षा के माध्यम से, विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है और जो विदेशी भाषा अंग्रेजी में ही केवल फेल हैं उनको पास घोषित किया जाना चाहिए। आप यह कहेंगे कि इस प्रकार जो पद्धति इस देश में चली··

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सदन की बैठक आधे घण्टे के लिए और बढ़ाई जाती है।

(5 म. प.)

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज यह बात कहूंगा कि आज देश के अन्दर कोई इस प्रकार की सरकार है भी क्या जिसने आगे बढ़ कर इस प्रकार का अग्रगामी रास्ता उठाया है ? आज मैं निवेदन कर रहा था कि इस देश में विपत्तियों से घिरी हुई और अकाल के भीषण चंगुल में फंसी हुई बिहार सरकार ने हमारे देश के सामने उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। (हियर, हियर) उसने अंग्रेजी के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा में फेल हो जाने वाले समस्त विद्यार्थियों को पास घोषित करने की अपनी नीति की घोषणा की है, और इस प्रकार देश के सामने एक रास्ता दिखाया है। राजस्थान सरकार जो कि प्रगतिशील होने का दावा रखती है वह भी नहीं कर सकी है। कहां हमारा वह राजस्थान जिसकी एक पुरानी परम्परा रही है ! आज मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि मेरे इस बाजू बायें बाजू पर बैठने वाले· · ·

श्री देवीदत्त (बांरा) : बायें बाजू पर तो पत्नी बैठती है।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : माननीय सदस्यों में से कितने ही मेरा मखौल उडा रहे हैं उनकी मैं परवाह नहीं करता हूं। मैं समझता हूं कि वे मैकाले और डलहौजी की सन्तानें हैं। राजस्थान का सही प्रतिनिधित्व तो मीराबाई के अन्दर है, महाराणा प्रताप के अन्दर है, राजस्थान के गांवों के अन्दर रहने वाले लोगों के अन्दर है। आज हमें इस देश से ममत्व होता तो इधर या उधर बैठने वाले माननीय सदस्य तमाम सदस्य इस बात में

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

मेरे साथ हो जाते और राजस्थान के अन्दर सब मिल कर हिन्दी में शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाते। आज आंग्ल भाषा के अन्दर यहां शिक्षा दी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छठी क्लास की लड़कियों को मैंने देखा है, आज सातवीं या आठवीं क्लास की बच्चियों को मैंने देखा है कि भरतपुर जिले का जो रिजल्ट निकला है तो वहां पर 136 बच्चियां गर्ल्स स्कूल के अन्दर दाखिल हुईं और आप ताज्जुब करेंगे कि कुल 19 लड़कियां पास हुईं और बाकी तमाम बच्चियां फेल हो गईं और अधिकतर अंग्रेजी में फेल हुईं। तो इसके लिए हमें कुओं, तालाबों पर पहरे लगाने पड़े केवल इस बात के लिए पहरे लगाने पड़े कि वे बच्चियां आत्महत्या न कर पायें। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्यों से कि इस तरह का एक टाइप, इस तरह का एक पैटर्न हमारे अन्दर घुस गया है कि उनकी अव्यवस्था की आप चिन्ता न करें। मैं इनसे अपने आप ही निपट लूंगा।

तो मैं निवेदन करूंगा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने राजस्थान के अन्दर अग्रगामी और प्रगतिशील कदम उठायें। युनिवर्सिटियों के अन्दर और विश्वविद्यालयों के अन्दर यह पद्धति मान ली गई है कि अगर एक विषय में कोई आदमी फेल हो जाय या दो विषय में फेल हो जाय तो उसको उसके लिये एक प्रकार का मौका दिया जाय कि वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने विषय की तैयारी करके फिर उस विषय में सप्लीमेंट्री या पूरक परीक्षा देकर उस कमी को पूरा कर ले, परन्तु राजस्थान का शिक्षा विभाग हैं उसके द्वारा संचालित जो कुछ भी परीक्षाएं हैं जो कि बोर्ड के द्वारा नहीं होती हैं उनमें यह लागू किया नहीं गया। छोटे बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों में वे आवारागर्दी करते रहें। उनको इससे छुट्टी दिलाने के लिये यह पद्धति चालू नहीं की गई। इसका क्या कारण है ? जब कि युनिवर्सिटी, बोर्ड या दूसरी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को जो एक-दो विषय में फेल होते हैं उनको पूरक परीक्षाओं में बिठाकर उनकी कमी को पूरा करने के लिए उनको मौका देते हैं, लेकिन छठे दर्जे के बच्चों के लिए, पांचवे दर्जे के बच्चों के लिए या नवें दर्जे के बच्चों के लिए यह सुविधा प्राप्त नहीं होती है। एक तरफ तो बोर्ड दूसरी नीति अपनाती है राजस्थान सरकार और दूसरी तरफ दूसरी नीति अपनाती है। एक तरफ पंचायत समितियों का हाल, उपाध्यक्ष महोदय, जिधर देखो उधर रोना ही रोना है . . .

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा आप स्थान ग्रहण करें। यह 64-65 का बजट है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मैं बिल्कुल उसी की तरफ आपको निवेदन करने वाला हूं और उसी के ऊपर हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : जो बजट पेश हुआ है उसी के सिलसिले में ये बातें कही जा सकती हैं एक सीमित दायरे के अन्दर ही बहस हो सकती है।

श्री रामकिशन : सीमित ही हैं।

श्री नत्थीसिंह : सबका सम्मिलित प्रभाव है। एक साल में नहीं बनता है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : आपने जो आज्ञा दी है जो परिधि मेरे लिए सूचित की गई है मैं उसी परिधि के भीतर ही हूं।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

मैं शिक्षानीति के बारे में निवेदन कर रहा था। मैं ज्यादा लम्बाई में नहीं जाना चाहूंगा। आज पंचायत समितियों को शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा संस्थाओं को दे देने से जो चीजें पैदा हुई हैं और शिक्षा का स्तर जिस तरह से गिरा है, जिस तरह से राजनैतिक कारणों से टीचर्स के ट्रान्सफर्स होते हैं, उनका विक्टेमाइजेशन होता है और जिस तरह की चीजें होती हैं उनके बारे में कोई नीति बनाकर चलना पड़ेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो यहां पर बात कही गई सिंचाई के भावों के बारे में आज देश के अन्दर अगर सही मायनों में समाजवादी सरकार कार्य करती होती तो समाजवादी सरकार यह घोषणा करती कि हमारे देश में अन्न संकट छाया हुआ है, जब हम झोली फैलाकर भीख मांगकर विदेशों से अन्न लाते हैं, उनके सामने हाथ फैलाते हैं अपने लोगों का पेट पालने के लिए, तो सरकार यह घोषणा करती कि पानी खेती के लिये जितना भी दिया जायगा उसके लिए टैक्स नहीं लिया जायगा। देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए, देश में अन्न का उत्पादन करने के लिए पानी पर से टैक्स नहीं लिया जायगा। यानि इस देश में कभी समाजवादी सरकार कायम हुई तो वह उस नीति का परिपालन करेगी, मेरी ऐसी मान्यता है, उपाध्यक्ष महोदय। वह खेती के उत्पादन के लिए निःशुल्क पानी की व्यवस्था करेगी। यह सही मायने में किसानों की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है। अगर देश की उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने की ... (व्यवधान) माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं बीच बीच में वे कृपया बाधा न डालें।

श्री मूलचन्द डागा : जो पाइंट रिलेवेन्ट नहीं है उसको रोक देना चाहिए। कभी भाषा पर जा रहे हैं और कभी पानी पर जा रहे हैं, जैसे कि चौपड़ पर भाषण दे रहे हों।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : बड़ा गम्भीर भाषण हो रहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मुझे बड़ा खेद है कि या तो माननीय सदस्य की बुद्धि इतनी विशाल है कि मेरी बात उसमें घुस जाती है और निकल जाती है और टिकती नहीं है या उनकी समझ इतनी मोटी है कि वे समझ नहीं पाते। इसके लिये मुझे खेद है। इससे ज्यादा और नहीं कह सकता।

मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज अगर सही मायने में कोई भी बात इस देश के अन्दर कायम करना है देश के उत्पादन को बढ़ाना है, तो खेती के मामले में सोचना पड़ेगा।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। शायद कुछ बातों से वह सम्बन्ध न रखे, परन्तु एक तरफ तो सरकार सिंचाई पर टैक्स बढ़ा रही है और एक तरफ क्या बात कर रही है सरकार, उपाध्यक्ष महोदय कि एक तरफ तो आम कीमतें बढ़ा रही है, एक तरफ तो शहरों में रहने वाली जनता के लिए सरकार 122 करोड़ रुपया अपनी तरफ से परियोजना के अन्दर तुरन्त उपलब्ध कराने की कोशिश करती है और गांवों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। पानी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं और खाद की कीमत डेढ़ी दुगनी कर दी गई हैं। लेवी का मसला विवादास्पद है। इसके बारे में आगे निवेदन करूंगा उसकी मांग के सिलसिले में, परन्तु

(श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल)

में निवेदन करना चाहूंगा कि जहां बजट 64-65 का सवाल है तो रूपबास तहसील की मिसाल उदाहरण के लिए निवेदन करना चाहता हूं । वहां सिरावली बान्ध को ˙

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (कई कांग्रेसी सदस्यों के बीच बीच में व्यवधान करने प आब्जेक्शन करना है तो जो डिमाण्ड पहर पास हो गई है उस पर डिबेट नहीं हो सकती यह करें । रूल पढ़कर तो आते नहीं हैं और खाली हो हल्ला करते हैं । शिक्षा की डिमाण्ड पास हो गई है उस पर डिबेट नहीं हो सकती है एप्रोप्रियेशन बिल पर ऐसा रूल में मिला हुआ है । वह आपत्ति करते तो उपाध्यक्ष महोदय यील्ड हो जाते । खाली हो हल्ला मचाते हैं ।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : तो उदाहरण के लिए रूपबास तहसील में सिरावली बान्ध के पास˙˙

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कह रहा हूं कि जो शिक्षा विभाग की मांग पास कर ली है उस मांग पर बहस नहीं हो सकती । आप में से कोई खड़े होकर यह कहें ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : आप कह दें । आप नहीं कह सकते ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इस तरह आब्जेक्शन करें तो स्पीकर आपके आब्जेक्शन को होल्ड करेंगे ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप क्यों न करें ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी तरफ मेम्बर बहुत बैठे हुए है वह आपका साथ देंगे ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन कर रहा हूं सिंचाई की योजनाओं के बारे में । मैं निवेदन करूंगा कि सागवाड़ा की योजना का उदाहरण आपके सामने है । वहां पर कड़की हो जाती थी और इस कारण से हजारों बीघा जमीन पानी के नीचे रह जाती थी और उस जमीन पर बिल्कुल सिंचाई नहीं हो सकती थी । कड़की से बचने के लिए वहां के लिए योजना बनाई गई और वहां पर इस तरह की ड्रेन खोद दी गई । लेकिन हुआ क्या कि पहले वहां जो समस्या थी कि वहां पर कड़की हो जाती थी, अब समस्या यह हो गई है कि जो भी पानी आयेगा वह धीरे धीरे ड्रेन में चला जायगा । यह बिल्कुल उसी तरह हुआ कि एक व्यक्ति किसी वैद्य के पास पहुँचा और उससे कहा कि मुझे टट्टियां ज्यादा लग रही हैं । तो उस वैद्य ने उसे इस तरह की दवा दे दी कि उसकी टट्टी भी बन्द और पेशाब भी बन्द । इस तरह की योजना लेकर आप चलना चाहते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में इस सरकार को क्रेडिट कैसे दे सकते हैं जब कि जो पानी खेती के काम में आना चाहिए था, जो पानी सिंचाई के काम में आ सकता था उसको विभाग के अधिकारियों ने मछली के ठेकेदारों से मिल कर वैसे ही निकाल दिया ताकि वहां जो मछली के ठेकेदार हैं वह उसका ठेका ले सकें और लाखों रुपयों का धन्धा कर सकें । इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें हैं, उनके बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, हमें ठण्डे दिल से विचार करना पड़ेगा । आज हम देश के अन्दर उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, आज हम देश में से गरीबी को मिटाना चाहते हैं, आज देश को उन्नतिशील देश की आकांक्षा लेकर खड़ा करना चाहते हैं, तो अपने मन और हृदय से यह सोचना पड़ेगा तमाम तरह के राजनैतिक

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

तूफानों को दूर हटा कर। लेकिन इस सरकार को किसी और बात की चिन्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम गद्दी पर कैसे बैठे रहें। मैं कहना चाहता हूं कि गद्दी पर बैठे रहने का नाम सुशासन नहीं है, आज जो हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार का नाम सुशासन नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ठोस नीतियों को लेकर चलें। और आज जो दूसरी फालतू की चीजों के अन्दर खर्चा होता है उनके लिए मैं निवेदन करूंगा कि उनको एकबारगी ही काट देना चाहिए। उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज सबसे ज्यादा यदि कोई आवश्यकता है तो वह किसान के लिए धरती की और धरती के ऊपर पानी की। जितनी सारी बिजली है उसकी आज की स्थिति में सबसे ज्यादा आवश्यकता है सिंचाई के लिए। किसानों की जमीन पर पानी पहुंचाने के लिए सारी शक्ति लगानी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज यह बात नहीं है कि हमारे किसानों के अन्दर ज्यादा उत्पादन करने की क्षमता नहीं है। इस सदन में माननीय सदस्य बाड़ी के बैठे हुये हैं मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ कि बाड़ी में मैं खुद होकर आया हूँ। वहां मैंने देखा कि वहां एक किसान ने अपने खेत में मेक्सिकन गेहूँ बोया है...

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर! आर्डर!!

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : उसने 112 मन गेहूँ एक एकड़ में पैदा किया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : गलत है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मैं वहां होकर आया हूँ।

श्री मोहम्मद उस्मान (नागौर) : मैं आपकी बात पर विश्वास करने वाला नहीं हूँ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं भी आपकी बात पर विश्वास करने वाला नहीं हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि इसमें डिबेट बहुत सीमित दायरे में हो सकती है। माननीय सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि पहले पढ़ें कि डिमाण्ड क्या है, किन कारणों से एक्सीड़ हुई है...

श्री रामकिशन : वही है।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सीड होने वाली मांग पर बहस हो सकती है। इस समय न तो गवर्नमेंट की पोलिसी पर बहस हो सकती है और न ओरिजिनल डिमाण्ड पर बहस हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि पहले यह जाने कि यह डिमाण्ड किस बात पर है, इसमें जो एक्स्प्लेनेटरी नोट है उसको पढ़ें और फिर उस पर अपनी डिबेट सीमित रखें। नहीं तो जो बात कही जाती है वह असंगत है और उसमें सदन का समय जाता है।

श्री रामकिशन : बिल्कुल संगत है। कृषि अनुसंधान पर बहस नहीं हुई। आप कृषि अनुसंधान पर ही बोल रहे हैं, इसलिए इनके तर्क संगत हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश को स्वीकार करता हूँ किन्तु मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर इसी बात पर बहस हो तो उसमें सदन का समय ज्यादा लिया जायगा लेकिन मैं आपके सामने अपने

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
पक्ष को सिद्ध कर दूंगा कि मैं अपनी सीमा के भीतर ही हूं। लेकिन अध्यक्षादेश के प्रति मेरे मन में आदर है इसलिए उसके ऊपर कुछ कहे बगैर मैं उसे स्वीकार करता हूं।

मैं निवेदन कर रहा हूं कि बाड़ी के उस एक किसान ने अपने खेत के अन्दर 112 मण गेहूं एक एकड़ में पैदा किया है। मैं खुद वहां जाकर देख कर आया हूं कि उसने 112 मण गेहूं एक एकड़ में पैदा किया है। मैंने उस गांव को विजिट किया है, मैं उस किसान से मिला हूं। और दूसरे दूसरे लोगों से भी मिल कर आया हूं। मैं उस गेहूं का नमूना भी लेकर आया हूं जो मेरे पास में मौजूद है। मैं निवेदन करूं कि हमारे अन्दर क्षमता तो है लेकिन क्षमता के साथ ही साथ जरूरत इस बात की है····

श्री मोहम्मद उस्मान–क्या आप उस किसान का नाम बता सकते हैं?

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मैं आपका नाम भी नहीं जानता, मैं उस किसान का नाम क्यों बताऊं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस प्रकार के अर्मेगल आदमी का···

श्री मोहम्मद उस्मान : वह मेम्बर्स की जानकारी के लिए आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनकी बात के बीच में बोल करके उसमें बाधा न डालें।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं नीतियों के बारे में बात करना चाहता हूं केवल दो मिनट के अन्दर···

श्री मोहम्मद उस्मान : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट का समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : किस बात के लिए ?

श्री मोहम्मद उस्मान : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने अभी जो 112 मण गेहूं एक एकड़ में बोने के लिए बताया, सदन के सारे सदस्य इसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं इसलिए उनको जानकारी नाम आदि की चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि उस किसान का नाम क्या है, उसका नाम और गांव का नाम बताया जाना चाहिए कि फलां किसान के खेत में 112 मण गेहूं एक एकड़ में पैदा हुआ है। अगर माननीय सदस्य मिथ्या भाषण करते हैं तो यह गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बात सत्य है तो नाम जरूर बताना चाहिए मुझे नाम मालूम होने पर मैं उससे पर्सनली मिलूंगा और मिल कर सारी बात जानना चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य : क्या ब्लेक मार्केटिंग करने के लिए ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय के मौन का मतलब है कि यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

मैं निवेदन करूं कि ऐसे लोग बड़े बड़े सेठों की दुकानों पर चापलूसी करके उत्पादन को नहीं बढ़ाते हैं। उस किसान ने धरती के पेट को चीर करके, मेहनत करके, खून-पसीना बहा कर उत्पादन को बढ़ाया है। उसका प्रश्न मैंने इस सदन में उठाया है तो राजस्थान के प्रगतिशील जो लोग हैं उनका सर और सीना

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

चौड़ा हो जाना चाहिए। परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज गद्दी का चस्का सबसे ज्यादा है इसलिये यह लोग इसकी अहमियत को समझ नहीं पा सकते।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं और वह है आबकारी विभाग के बारे में। मैं आबकारी विभाग के बारे में और शिक्षा के बारे में एक डेढ मिनिट और लूंगा उसके बाद पूरी बात मैं सामान्य वादविवाद के समय रखूंगा। आज जो गांधीजी के उत्तराधिकारी बनने वालों की सरकार है, वह सरकार शराब की आमदनी के ऊपर निर्भर रह कर सरकार चलाये, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। गांधी जी ने एक बात कही थी कि यदि मुझे अपने पुत्र और पुत्रियों को शिक्षा से वंचित करना पड़े तो मैं एक बारगी कर दूंगा, यदि मुझे शिक्षण संस्थाएं खत्म करनी पड़ें तो मैं एक बारगी खत्म करने के लिए तैयार रहूंगा लेकिन मैं शराब की आमदनी पर पनपने वाली सरकार को एक मिनट सहन नहीं कर सकता। लेकिन गांधी जी के उत्तराधिकारियों की सरकार आज शराब से आने वाली आमदनी पर चल रही है। इसको आप बन्द करिये चाहे किसी रूप में नुकसान हो, चाहे छोटे से छोटा नकसान हो या बड़े से बड़ा नुकसान हो। आज शराब को बन्द करने के लिए सदन से आप एक प्रस्ताव पास करिये और अपने को गांधी जी के चेलों की सरकार कहने का हक प्राप्त कीजिये। यह बात राजस्थान के मस्तिष्क को नीचा करने वाली है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा के बारे में एक मूलभूत बात कही, मैंने सिंचाई के बारे में एक मूलभूत बात कही, जो अंग्रेजी में फेल होता है उसको पास करने की एक मूलभूत बात कही, वर्ग भेद को खत्म करने की मूलभूत बात मैंने कही। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज नहीं, भले ही कभी भी अगर प्रगतिशीलता की ओर कदम बढ़ाने का विचार यह सरकार करती है तो इस सरकार को इन सब बातों के ऊपर चिन्तन करना होगा, मनन करना होगा और ठोस नीतियों का चयन करना होगा। यह मुझे आशा है। इस आशा और भावना के साथ मैं इस एप्रोप्रियेशन बिल का विचार रखते हुए अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने एप्रोप्रियेशन बिल जिस नाटकीय ढंग से रखा, उसके बारे में मेरे पूर्व वक्ता ने शिक्षा से सम्बन्धित बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान सरकार जिस शिक्षा के प्रगतिकरण ......

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि आप पहले इसे पढ़लें और एक्स्प्लेनेटरी नोट को पढ़ लें कि क्यों खर्चा अधिक हुआ है और उसके बारे में कहें वरना आपकी बात इर्रिलेवेन्ट हो जायगी।

श्री देवीदत्त : शिक्षा के विस्तार और प्रचार के नारे को जो लगा रहे हैं, उसके लिए मैं इस सरकार के मंत्रियों से निवेदन करना चाहूंगा कि वह पहले स्वयं के बच्चों को शाहाबाद इलाके के सहरियों के साथ पढ़ने के लिए भेजें जिनके नाम पर करोड़ों रुपया खर्च करके उनका विकास करने का ढिंढोरा पीटते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह पैसा

(श्री देवीदत्त)

किस प्रकार से खर्च होता है, वह पैसा शाहाबाद में खर्च होना चाहिए, वह पैसा कोटा जिले में खर्च करने के लिए रहना चाहिए वह पैसा वहां न रह कर उदयपुर जिले के अन्दर जो एक आदिम जाति सेवा संघ का बोर्ड लगा हुआ है, उस पर खर्च होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि शाहबाद क्षेत्र में जो खर्च होना चाहिए, वह बीच के अन्दर उदयपुर में जाकर फिर वापिस आता है। इस प्रकार उदयपुर के द्वारा यह होता है। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विस्तार और आदिवासियों के उत्थान का नाम लेने वाले मंत्री महोदय शाहबाद में अपने बच्चों को उन आदिवासियों के बच्चों के साथ पढने को भेज कर तो जरा देखें कि उन लोगों को वहां पर खाने को क्या मिलता है। आप देखेंगे कि जहां छात्रावास में वे बच्चे पढ़ते हैं और रहते हैं उनको तीन तीन रोज तक राशन नसीब नहीं होता है। यह है हमारे राजस्थान सरकार की व्यवस्था। छात्रावास को बनिया उधार नहीं देता। क्यों नहीं देता? इसकी खास वजह यह है कि उनके बिलों का पेमेन्ट 6-6 महीनों तक नहीं होता है। उदयपुर में जो आदिम जाति सेवा संघ है उनको लिखा जाता है कि यहां के बच्चों के खाने की व्यवस्था करने के लिये पैसे भेजे जावें मगर वे नहीं भेज सकते। जहां शिक्षा की यह हालत हो वहां पर पीने के पानी के इन्तजाम की क्या आशा कर सकते हैं। शाहबाद तहसील में एक ग्राम में कुआ खुदाने के नाम पर राजस्थान सरकार ने समाज कल्याण के नाम पर अन्य मदों के अन्दर 88 हजार रुपया मन्जूर किया और कुए पर खर्च किया मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस कुए में एक बूंद पानी नहीं है। डूब मरना चाहिये ऐसी सरकार को कि एक कुए के लिये 88 हजार रुपये खर्च करने के बाद भी उसमें से एक बूंद पानी नहीं निकले। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि शाहबाद जिले में किसी भ्रष्टाचारी अधिकारी का बलिदान हो जाता तो शायद पानी निकल आता।

उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट के समय में शाहबाद का बहुत बड़ा किला है। उसमें रियासत की ओर से एक बहुत बड़ी बावड़ी बनी हुई है उस बावड़ी में इतना पानी है कि अगर 50:50 होर्स पावर के दो इन्जिन भी लगा दिये जावें तो उसका पानी नहीं टूट सकता है यदि सरकार इस योजना को लागू करके लोगों को पानी दिलाती और इस योजना के अनुसार एक लाख रुपया खर्च कर देती तो यह समस्या हल हो सकती थी और नल योजना द्वारा पानी दिया जा सकता था। दो इंजन 50-50 होर्स पावर्स के लगाने पर भी उस बावड़ी का पानी नहीं टूटता तो इस योजना द्वारा राजपुर, शाहबाद, फूलिया, छीपाबाड़ी आदि 8 गांवों में पानी वहां के रहने वाले लोगों को पीने के लिये मिल सकता है। लेकिन आज आप वहां पर जा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां के रहने वाले इन्सान किस प्रकार से रहते हैं और किस प्रकार पानी का इन्तजाम करते हैं। आपको यह सुन कर बहुत दुख होगा कि वे लोग आज 10:10 मील की दूरी से पानी लाते हैं लानत है ऐसी सरकार को कि आज राजस्थान की सरकार में रहने वाले

(श्री देवीदत्त)

लोग आज मध्य प्रदेश की सीमा से आ कर पानी लाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, समाजवादी सरकार कहलाने वाली सरकार ने आदिवासियों के नाम पर तालाब और नहरें खुदवाईं। आज वे नहरें और तालाब किसके काम में आ रहे हैं? आज वे तालाब और नहरें आदिवासियों के काम में नहीं आ रही हैं लेकिन वे आज कांग्रेस जनों के लोगों के काम में आती हैं। जिनकी उनके साथ सांठ गांठ है वे लोग फायदा उठा रहे हैं। आज गंगानगर के रहने वाले वहां आ कर इन आदिवासियों के लिए खुदे हुए तालाबों में कब्जा कर रहे हैं। आज वह वहां सिंचाई के साधन जुटा कर लाखों रुपया रोज कमाते हैं। वहां पर आज लाखों रुपयों की शराब तैयार करते हैं। जब उन पर सेल्स टैक्स या एक्साइज वाले छापा मारते हैं तो उनकी मदद की जाती है और जब उस जमीन को वापिस दिलाने की बात होती है तो वे स्वर्णसिंह आज किसी छोटे मोटे व्यक्ति के या मिनिस्टर के पास नहीं जाते वे राजस्थान के मुख्य मंत्री के पास जाते हैं और उनकी शरण लेकर उनसे सांठ गांठ करके नाजायज फायदा उठाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि इतनी ही बात होती तो हमें संतोष होता और हम संतोष करके बैठ जाते लेकिन आपको सुन कर बड़ा दुःख होगा कि वहां के लोगों को खाने को अन्न नहीं मिल रहा है और हमारे यहां पर राजस्थान के मंत्री हलुवा पुड़ी खा खा कर लाल टमाटर हो रहे हैं। आज आप शाहबाद में जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि वे लोग दो बोरी अनाज बारां में जा कर खरीद नहीं सकते। उनको अपनी भूख मिटाने के लिये मध्य प्रदेश में जा कर बोरी नाज खरीदना पड़ता है। वे कहते हैं कि राजस्थान वाले मध्य प्रदेश से बारां की मंडी में अनाज लाने नहीं देते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और वे वहां पर मध्य प्रदेश की जेल में पड़े पड़े सड़ते हैं और जेल में पड़े रहते हैं और सेलिया के लोगों को खाने को अनाज नहीं लाने दिया जाता है। वह सरकार राजस्थान का भविष्य किस प्रकार से उज्ज्वल कर सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब समय नहीं है।

श्री देवीदत्त : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, जहां लोगों को पीने को पानी नहीं, खाने को अन्न नहीं मिले··

(शोर गुल के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: आॅर्डर प्लीज।

कई माननीय सदस्य : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह : सदन में माननीय सदस्य इस प्रकार से कहते हैं जैसे वे दूसरों को जंगली समझते हैं मगर हम जंगली आदमी नहीं हैं जो जंगलियों की तरह व्यवहार करें।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, जंगली आदमी भी इस तरह की बातें नहीं करते····

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
सदस्य आज पीली आँखें दिखाते हैं और मंत्री पद के लिए लालायित हैं मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन पर सोचें और इस प्रकार की गर्मी न लावें वरना इनका मंत्री पद भी खतरे में पड़ जावेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस तरह से हुल्लड़ बाजी में सदन की कार्यवाही को नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। इससे आप कोई अच्छी परम्परा कायम नहीं करते· · ·

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

श्री देवीदत्त : मैं मंत्रीजी से निवेदन कर चुका हूं कि वे मुझे दो मिनट का समय दें।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को पेश करते वक्त मैंने जो जो बातें सामने रखीं और बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे खयाल से · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आप बिल प्रस्तुत करें।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके मारफत अपने अधिकारों के मूलभूत प्रश्न उठावें उनका जवाब मंत्री महोदय को देना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : मैं जवाब देता मगर समय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1967 को पारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1967 को पारित किया जाए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो पहले विचारार्थ लेने को था। इसको पहले स्वीकार करें तब पारित करने का प्रश्न पैदा होता है।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने रख दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो पारित करने के लिये है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1967 को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1967 को पारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विनियोग (संख्या 2) विधेयक पारित किया जावे।

हां पक्ष जीता ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल एवं अन्य कई विरोधी दल के माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : आप डिविजन क्लेम करते हैं क्या ?

(विराम)

क्या सदन की मंशा है कि सदन का समय 15 मिनट और बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय 15 मिनट और बढ़ाया गया।

(मत विभाजन सूचक घंटी)

(विराम एक क्षण के लिये)

(श्री उपाध्यक्ष आसन पर खड़े हुए)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of order, sir....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1967 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः काल 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5.35 म. प. पर दिनांक 31-5-67 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या 105 का उत्तर देखिये)

विभागीय मेलों की सूची एवं उनसे प्राप्त आय, 1964-67

वर्ष 1966-67 में लगे विभागीय पशु मेलों की सूची व उनसे प्राप्त आय

1-मालीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा (बाड़मेर)	1,84,592 रु.
2-बलदेव पशु मेला, मेड़ता सिटी (नागौर)	67,669 ,,
3-तेजाजी पशु मेला, परबतसर (नागौर)	3,72,732 ,,
4-गोगामेड़ी पशु मेला, गोगामेड़ी (गंगानगर)	96,463 ,,
5-पशु मेला, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)	76 ,,
6-गोमती सागर पशु मेला, झालरापाटन (झालावाड़)	25,999 ,,
7-जसवंत पशु मेला एवम् प्रदर्शनी, भरतपुर (भरतपुर)	80,553 ,,
8-चन्द्रभागा पशु मेला, झालरापाटन (झालावाड़)	42,578 ,,
9-रामदेव पशु मेला, नागौर (नागौर)	1,23,440 ,,
10-शिवरात्रि पशु मेला, करौली (सवाई माधोपुर)	70,697 ,,
11-पुष्कर पशु मेला पुष्कर (अजमेर)	1,32,494 ,,
12-राठ पशु मेला, बेहरोड़ (अलवर)	3,791 ,,
योग:-	12,01,084 रु.

———

1966–67 में विभागीय पशु मेलों एवं प्रदर्शनियों में किये गये व्यय

का मदानुसार विवरण

(आयोजना भिन्न और योजना व्यय सम्मिलित)

1966–67

मद	व्यय
(1) पारितोषिक वितरण	24,800
(2) रोशनी एवं पानी व्यवस्था	1,02,820
(3) सफाई इत्यादि	11,200
(4) फर्राश खाना, पेट्रोल आदि	35,000
(5) विविध मदों पर व्यय	1,24,925
योग:– रु.	2,98,745

परिशिष्ट 2

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या 111 का उत्तर देखिये)

सूची 'क'

प्रश्न संख्या (1) जिला बांसवाड़ा में 1 जनवरी, 1967 के पश्चात् प्रत्येक तहसील में कितनी-कितनी लागत के क्या-क्या प्रकार सहायता कार्य प्रारम्भ किये गये हैं ?

उत्तर कार्य जो 1 जनवरी, 67 के पश्चात मार्च, 67 तक प्रारम्भ किये गयेः-

क्र.सं.	नाम विभाग	तहसील									
		बांसवाड़ा		गढी		घाटोल		बागीडोरा		कुशलगढ़	
		कार्य	लागत	कार्य	लागत	कार्य	लागत	कार्य	लागत	कार्य	लागत
1.	सिंचाई विभाग	–	–	1	11836)	4	22083)	1	1975)	1	2938)
2.	सिंचाई (सा. विकास)	7	32934)	17	60975)	2	1928)	27	230944)	16	131372)
3.	भू-संरक्षण विभाग	21	167984)	27	60563)	30	74956)	31	225015)	37	224517)
4.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	1 जनवरी, 67 के पश्चात 57 सड़कों पर अकाल सहायता कार्य प्रारम्भ किये गये, जिन पर करीब 54 लाख रुपया खर्च किया गया। तहसीलवार सूचना इसलिए नहीं दी जा सकती है कि कार्य सड़क एक तहसील से दूसरी तहसील तक कराया गया है।									

नोटः—अकाल सहायता कार्यों की दर्शाई गई लागत माह मार्च, 67 तक खर्च हुई राशि ही है।

परिशिष्ट 3

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या 111 का उत्तर देखिये)

सूची 'ख'

तारांकित प्रश्न संख्या 43 दिनांक 6–5–67, प्रश्नकर्ता श्री हीरा, विभाजन संख्या 182 सदस्य विधान सभा (राजस्थान)

प्रश्न संख्या (2) जनवरी व फरवरी माह में प्रत्येक तहसील में कितने-कितने मजदूर काम पर लगाये गये थे ? तथा मार्च, 1967 में कितने कितने मजदूर काम पर लगाये गये ?

उत्तर माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च, 67 में अकाल सहायता कार्यों पर लगाये गये मजदूरों की संख्या:–

क्र. सं.	तहसील का नाम	जनवरी, 67	फरवरी, 67	मार्च, 67
1.	बांसवाड़ा	1,996	1,223	2,294
2.	गढी	4,491	5,371	5,507
3.	घाटोल	5,181	4,576	3,357
4.	बागीडोरा	5,282	9,261	6,385
5.	कुशलगढ़	6,299	6,690	3,220

नोट:–उपरोक्त सूचना में मजदूरों की संख्या औसत प्रतिदिन दर्शाई गई है, एवं इसमें सड़कों के राहत कार्यों पर लगाये गये मजदूरों की संख्या सम्मिलित नहीं है।

नोट:–सड़कों के राहत कार्यों पर माह जनवरी में 50,000, माह फरवरी में 95,000 एवं माह मार्च में 1,00,000 प्रतिदिन कार्यों पर लगाये गये हैं। चूंकि सड़कों का कार्य तहसीलवार नहीं दर्शाया जा सका है, अतः मजदूरों की संख्या भी तहसीलवार नहीं दर्शाई जा सकी है।

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

अलवर जिले की औद्योगिक सहकारी समितियां

112. श्री गंगासहाय:—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में कितनी औद्योगिक सहकारी समितियां हैं?

(2) कितनी उनमें से इस समय चालू हैं?

(3) उनको कितना कितना ऋण किन किन वर्षों में दिया गया है?

(4) तथा दिये गये ऋण की वसूली की क्या प्रगति है?

उत्तर

(1) अलवर जिले में कुल 133 औद्योगिक सहकारी समितियां हैं।

(2) इनमें से 35 औद्योगिक सहकारी समितियां चालू हैं।

(3) औद्योगिक सहकारी समितियों को निम्न वर्षों में उनके सामने लिखी धनराशि ऋण के रूप में दी गई है:—

वर्ष	ऋण
1949-50	2472) 50
1954-55	14317) 50
1955-56	10500)
1957-58	4400)
1958-59	31501)
1959-60	15242)
1960-61	11152)
1961-62	19600)
1962-63	38924)
1963-64	60450)
1964-65	412) 50
1965-66	10812)
1966-67	9631)
	2,29,41) 50

(4) इस ऋण में से 7288) 5 पैसे ऋण की वसूली हो चुकी है।

भूमि एलाटमेन्ट की किश्तों की अदायगी

113. श्री हंसराज आर्य: क्या कोलोनाइजेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि माखरा नहर में पानी की कमी के कारण फसलें नहीं के बराबर हुई हैं और इस कारण हर एक किसान के जुम्मे जो भूमि एलॉटमेंट की किश्तों का रुपया कई किश्तों का बकाया रह गया है उसे आज हर एक किसान देने में असमर्थ हो गया है? यदि हां, तो क्या उसे वसूली से रोका जावेगा। यदि वसूली को रोकने का विचार नहीं है, तो क्यों नहीं?

(2) क्या ऐसी भूमि की कीमत जो कुल 15 हिस्सों में वसूल करनी थी अब उसे 30 किश्तों में वसूल करने की मन्शा है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(3) यदि हां, तो यह किश्तें कब तक बढ़ा दी जावेंगी?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चिड़ावा पंचायत समिति का ट्रेक्टर

114. श्री मूलचन्द कटेवा: क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चिड़ावा पंचायत समिति, जिला झुंझुनू के किसानों को खेती के कार्यों के लिये किराए पर देने के लिये कोई ट्रेक्टर खरीद रखा है ?

(2) अगर हां, तो यह ट्रेक्टर माह दिसम्बर से माह अप्रेल तक हर महीने कितने कितने घंटे चला है ?

(3) क्या यह सत्य है कि किसानों को ट्रेक्टर की इस पंचायत समिति में अत्यधिक आवश्यकता है ?

(4) क्या यह सत्य है कि किसानों को ट्रेक्टर मांगने के कई दिन बाद भी उपलब्ध नहीं होता है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) माह दिसम्बर, 66 में 136।। घंटे
जनवरी, 67 में 19 ,,
मार्च, 67 में 39 ,,
अप्रेल, 67 में 83 ,,

(3) जी हां ।

(4) जी नहीं ।

पंचायतों द्वारा तहसील शेरगढ में जन-सहयोग की जमा धनराशि

116. श्री खेतसिंह: क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायतों द्वारा जन सहयोग के रूप में 2 अक्टूबर सन् 1959 के पूर्व जो रकम तहसील शेरगढ में जमा करवाई गई थी वह अभी तक वापस पंचायतों को नहीं लौटाई गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) इस रकम को लौटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) कुल कितनी धनराशि पंचायतों को लौटानी है ?

उत्तर

1 जी हां । विलम्ब के कारण निम्न हैं:—

(1) स्थानीय विकास कार्य एवं जल-प्रदाय योजना जिससे यह धनराशि संबंधित थी, अक्टूबर, 59 से पंचायत समितियों को हस्तान्तरित करदी गई ।

(2) जल बोर्ड का कार्यालय समाप्त हो गया ।

(3) पुराना मामला होने से वांछित पत्रावलियां समय पर नहीं मिल पाई ।

(4) इन योजनाओं के नियमों में भी परिवर्तन हो गया ।

(5) संबंधित पंचायतों की ओर से वांछित प्रपत्र समय पर प्राप्त नहीं हुए।

(6) सरपंच जिनके हस्ताक्षरों से धनराशि जमा कराई गई थी, वह सरपंच नहीं रहे।

(7) 2 अक्टूबर, 59 के पूर्व की धनराशि होने से सम्पूर्ण धनराशि राजस्व मद में हस्तान्तरित करली गई।

2. इस धनराशि को लौटाने के संबंध में महालेखापाल एवं वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

3. 5,350) रु०।

छोटी जोतों पर लगान की माफी

117. श्री रावतराम : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या राजस्थान सरकार ने छोटी जोतों पर लगान माफ करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कृपया यह बतावें कि चूरू जिले में कम से कम कितना बीघा भूमि पर लगान माफ किया गया है और इसका फायदा कितने भूमिधारकों को मिलेगा ?

(2) चूरू जिले में जिन किसानों को लगान से मुक्ति मिलेगी, तहसीलवाइज उनकी कितनी-कितनी संख्या है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सरकार ने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 53 (1) के अनुसार अलाभदायक जोतों को लगान मुक्त करने के आदेश दिये हैं, इस हिसाब से इस जिले की चार तहसीलों—राजगढ़, रतनगढ़, सुजानगढ़ व चूरू में 13 एकड़ तक होल्डिंग को अलाभकारी माना गया है और शेष तीन तहसीलों—तारानगर, डूंगरगढ़ और सरदारशहर में 15 एकड़ तक होल्डिंग अलाभदायक माना गया है। भूमिधारकों की संख्या 21712 के लगभग है।

(2) ऐसे किसानों की तहसील वाइज संख्या निम्न प्रकार है।

नाम तहसील	संख्या
1. चूरू	2013
2. सरदारशहर	2759
3. रतनगढ़	2746
4. सुजानगढ़	4795
5. डूंगरगढ़	1971
6. राजगढ़	4969
7. तारानगर	2499
	21752

पाली में चने की निकासी सम्बंधी शिकायत

120. श्री शंकरलाल (जैताले) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1965 में पाली में चने की निकासी के संबंध में जो शिकायत अधिकारियों के विरुद्ध हुई थी उसे सतर्कता आयोग को सलाह हेतु सौंपा गया ? यदि हां, तो क्या नतीजा रहा ?

(2) सरकार उस चने की निकासी के मामले की जांच का मामला आगे बढ़ाना चाहती है अथवा नहीं ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) जी नहीं।

अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी में बढ़ोत्तरी

12'. श्री खेतसिंह : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अकाल राहत कार्यों पर काम करने वाले आदमियों, स्त्रियों तथा बच्चों को एक दिन की क्या मजदूरी दी जाती है ?

(2) क्या मंहगाई को ध्यान में रखते हुए इन दरों में तरमीम करने का सरकार का विचार है ? यदि है, तो क्या बढ़ोत्तरी की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अकाल राहत कार्यों पर काम करने वाले स्त्री व पुरुषों को समान मजदूरी दी जाती है। बच्चों की मजदूरी की दर भिन्न है। ये दरें निम्न प्रकार हैं :—

अ-खोदने वाले	1.12 पै. प्र. दिन
ब-ढोने वाले	0.87 पै. प्र. दिन
स-बच्चे	0.75 पै. प्र. दिन

(2) विगत मन्त्रिमण्डलीय उप-समिति द्वारा सहायता कार्यों पर मिलने वाली मजदूरी की दरों में वृद्धि हेतु विचार विमर्श किया गया था। वित्त विभाग से भी परामर्श लिया गया। राज्य के वित्तीय साधनों एवं अकाल सहायता पर हो रहे व्यय को देखते हुए अभी मजदूरी में वृद्धि करने का विचार नहीं है। पर मंहगाई को देखते हुए सस्ती दरों पर अनाज राजकीय दुकानों से वितरण किया जा रहा है।

अनाज के निकास के लिये परमिट

122. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अप्रेल, 66 से अक्टूबर, 66 तक जब सीमा के 10 मील के अन्दर-अन्दर अनाज का निकास बन्द था, तब कोटा के अधिकारियों ने कोटा के व्यापारियों को रामगंज मंडी, इन्द्रगढ़, छबड़ा, छीपाबड़ोद आदि-आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में निकास के लिये परमिट जारी किए थे ?

(2) अगर हां, तो कब-कब किस-किस पार्टी को, कितने-कितने व कौन-कौन से गल्ले के परमिट किस-किस स्थान के लिए ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त पार्टियों से परमिट के लिये समय-समय पर प्रति बोरी चेरिटी फंड अथवा सुरक्षा कोष के नाम से रुपया इकट्ठा किया था ?

अगर हां, तो कुल कितना रुपया इकट्ठा हुआ ? व इसके लिए कौन सी रसीदों का प्रयोग किया गया था ?

उत्तर

(1) यह सही है।

(2) जो परमिट जारी किये गये उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

एक अप्रेल, 66 से 31 अक्टूबर, 66 तक कुल 436/- रुपया सुरक्षा कोष के लिये

Page No. 127

जमा हुआ था। जिस रसीद से यह रकम जमा हुई उसका नम्बर व तारीख प्रश्न के भाग 2 के उत्तर की सूची में अंकित कर दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पशु मेलों से होने वाली आय

123. श्री रामसिंह कुड़ी : क्या पशु-पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पशु मेलों से होने वाली आय में से पशु-पालकों के हित में कितनी राशि खर्च की जाती है ?

(2) क्या पशु मेले की आय का कोई भी भाग पशु मेले के विकास हेतु व्यय किये जाने का सरकार का विचार है ?

(3) क्या राजकीय पशु मेलों में रोशनी, पानी, सराय व सड़कों का समुचित प्रबन्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में व्यवस्थाएं करने हेतु कोई विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पशु-मेलों की आय से पशु-मेलों के खर्च का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(2) पशु-मेलों के इन्तजाम के लिए धनराशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती है, उसी के अनुसार उन मेलों का प्रबन्ध किया जाता है।

(3) राजकीय पशु-मेलों में रोशनी, पानी व सड़कों का स्वीकृत बजट के अनुसार पूर्ण प्रबन्ध किया जाता है। सरायों के लिए इस विभाग के पास कोई प्रावधान नहीं है।

रामगंज मंडी व सांगोद तहसील में कृषकों के कुए

124. श्री जुझारसिंह : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रामगंज मंडी व सांगोद तहसील में कृषकों के कितने कुए सरकारी दर्ज हो गये हैं और उनमें से कितनों पर खातेदारी हक दिये जा चुके हैं ?

(2) अपनी जमीन पर स्थित सरकारी कुओं पर काश्तकारी हक दिये जाने संबंधी सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) तहसील रामगंज मंडी में अब तक कुओं के 385 केस दायर हुए जिनमें से 9 हक खातेदारी और 38 फैसल हो चुके हैं, तथा 338 केस बकाया चल रहे हैं जिनकी जांच व तकमील होने पर शीघ्र फैसला किया जावेगा।

तहसील सांगोद में कुल चाह 21 सरकारी दर्ज हुए जिसमें से 13 पर खातेदारी अधिकार कृषकों को दिये जा चुके हैं और 8 मामलों में कार्यवाही जारी है।

(2) अपनी जमीन पर स्थित कुओं बाबत राज्य सरकार की नीति आदेश सं० एफ. 4(10) राज/स्वा/अप 1163 भाग-2 दिनांक 4 जून 1965 द्वारा स्पष्ट कर दी गई है।

पंचायत समिति सूरजगढ़ द्वारा कुओं के लिये ऋण

125. श्री मूलचन्द कटेवा : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) पंचायत समिति सूरजगढ़, जिला झुंझुनू द्वारा अब तक कितने सिंचाई के कुओं के लिये कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गई और कितने सिंचाई के कुए अब तक तैयार हुये ? तथा कितने लोगों के अभी तक भी कुए तैयार नहीं हुए ?

(2) जिन लोगों ने कुए तैयार नहीं किये उनमें से कितने लोगों से वापिस धन-राशि वसूल किये जाने की कार्यवाही की गई और कितने लोगों से अभी तक वापिस धन-राशि वसूल करने की कार्यवाही नहीं की गई है ?

(3) जिन लोगों ने सिंचाई के कुए अभी तक तैयार नहीं किये हैं उनसे वापिस धन-राशि वसूल करने की कार्यवाही नहीं किए जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) 134 कुओं के लिए 3,56,800/- रु० की धनराशि दी गई। इनमें से 108 कुए बन गये हैं। 21 पर काम चालू है। 3 पर काम आरंभ नहीं हुआ। 2 कुए अधूरे पड़े हुए हैं और काम बन्द है।

(2) सभी के विरुद्ध कार्यवाही चालू की गई है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सबलाना तहसील कामां में पटवार घर का निर्माण

126. श्री मजलिस खां : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सबलाना, तहसील कामां में पटवार घर का नव निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो यह निर्माण कब कराया गया ? और किस ठेकेदार द्वारा और कितनी रकम के ठेके पर ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पटवार घर की छत टूट गई है और दीवारें भी खुल गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करने और पुनः उसी ठेकेदार से मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक मरम्मत करा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। मार्च सन् 1961 में यह निर्माण कार्य आरंभ हुआ और कार्य पूरा भी हो चुका है। इसका ठेका श्री हीरालाल पुत्र श्यामलाल को 4500/- रुपये में दिया गया था।

(2) यह सही नहीं है (छत नहीं टूटी है)। केवल छत के ऊपर का खंजर खराब हो गया है और दीवार में 4-5 जगह दरार पड़ गई है।

ठेकेदार से ऐसी कोई शर्त तय नहीं की कि वह कार्य पूरा करने के बाद भी टूट-फूट का जिम्मेदार होगा। अतः उसके द्वारा मरम्मत नहीं की जावेगी।

सार्वजनिक कुओं के निर्माण के लिये राशि, पंचायत समिति लाडनूं

127. श्री हरजीराम बुरड़क : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांवों में पीने के पानी के सार्वजनिक नये कुओं के निर्माण हेतु पंचायत समिति लाडनूं ने गत वर्ष (नये कुओं के निर्माण हेतु) सरपंच मालगांव व सरपंच तन्दाई को क्रमश: ग्राम गेनाणा व चुण्डासरिया में नये कुए बनाने के लिये पांच-पांच हजार रुपये प्रथम किश्त के दिये थे, किन्तु कुए नहीं बनाये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो रुपये कहां गये व उन सरपंचों के विरुद्ध सरकार ने क्या-कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 30-5-67)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
16	13	तफसीश	तफसील
18	अन्तिम से 9	श्री जुझरसिंह	श्री जुझारसिंह
22	10	डिसीज	डिजीज
24	अन्तिम से 11	मेरे पर	मेले पर
,,	17	(कृपया परिशिष्ट देखिये)	(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)
26	अन्ति से 11	गोबर	गोबर की
30	2	में	के
32	6	महरावल	महारावल
33	4	इन्वेस्टमेन्ट	इन्वेस्टमेन्ट
36	अन्तिम से 4	कर्य	कार्य
38	6	सुनता है ।	सुनाई देता है :
44	5	Staight	Straight
47	1	लमणसिंह	लक्ष्मणसिंह
49	1	व्यस	व्यास
57	6	अयक्ष	अध्यक्ष
,,	12	,,	,,
66	अन्तिम से 2	ओर्ड	ओर्डर
78	14	श्री दुगालाल	श्री दुर्गालाल
78	अन्तिम से 4	रिवेक्सेशन	रिलेक्सेशन
91 से 94	शीर्षक	अधिक अनुदान की मांगों पर 30 मई, 1967-कटौती प्रस्ताव	अधिक अनुदान 30 मई, 1967 की मांगें
80	अन्तिम से 5	श्री हरदेव जोशी	श्री हरिदेव जोशी
97 से 206	शीर्षक	अधिक अनुदान-30 मई, 1967 की मांगें	अधिक अनुदान की मांगों: 30 मई, 1967 पर विचार
99	शीर्ष	(श्री दुर्गालाल बाढदार)	श्री दुर्गालाल बाढदार

1	2	3	4
110	11	नियस	नियम
121	2	गरीग	गरीब
133	4	चाहिये	चाहिए
138	6	एसचेकर	एक्सचेकर
155	20 व 21	भ्रष्टाचार की बू आती है	--
157	अन्तिम से 7	रिर्पाटिशन	रिपीटिशन
164	7	ओवरसियर्र	ओवरसियर
183	10	अजमेरा	अजमेर
191	16	उनकी	उनको
191	20	बुलेटिन	गुलेटिन
194	8	देवें।	दे दूं।
195	अतिम से 12	आवश्यक	अवश्य
207 से 210	शीर्षक	अधिक अनुदान–30 मई, 1967–की मांगें	राजस्थान विनियोग (स.2) 30 मई, 1967 विधेयक, 67 पुरःस्थापित
211 से	शीर्षक	अधिक अनुदान 30 मई,	राजस्थान विनियोग
217 से	अन्तिम पक्ति	हैं जसके	है जिसके
218	15	वोर्ड	वोर्ड में
221	6	करने प	करने पर)
,,	7	पहर	पहले
223	23	बा ी	बाडी
,,	अन्तिम से 4	श्री उपायक्ष	श्री उपाध्यक्ष
224	18	जाने कि	जानें कि
231	8	ताज़ाब	तालाब
234	अंतिम सें 11	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
236		1967 को मांगें	(स. 2)–30 मई,1967 विधेयक 1967 विचारार्थ
243	20	जैताले	जैतारन